ज्ञानशौर्यम्

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal

Website : http://gisrrj.com

GYANSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 5, Issue 3, May-June-2022

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com

ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal

Volume 5, Issue 3, May-June-2022

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India

- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India

- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India

- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India

- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India

- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India

- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
  Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
  Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
  Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
  Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
  Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
  Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन** डॉ. सर्वेश चन्द्र	01-07
2	**शिशुशिक्षणाय कथाशिक्षणविधयः** डॉ. दशरथभरासागरः	08-13
3	**माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन** संजय शर्मा	14-20
4	**मेवाड़ के संस्कृत-शिलालेखों का मूल्यांकन** डॉ. मधुबाला जैन	21-33
5	**वैदिकसंस्काराणां सामाजिकोपयोगिता** डॉ. सुधांशुशेखरमहापात्रः	34-40
6	**पद्मश्री डा. उषाकिरण खानक 'हसीना मंजिल' उपन्यासमे स्त्री पात्रक जीवन** डॉ. अरुणा चौधरी, मेघा झा	41-46
7	**श्रवण बाधित बालकों एवं बालिकाओं को अभिभावकों एवं समाज की सहयोगिता: एक अध्ययन** वन्दना मिश्रा, डॉ दीपक कुमार त्रिपाठी	47-53
8	**वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन** डॉ. आलोक कुमार मिश्र, विजया रानी वर्मा	54-60
9	**हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्द्धि का तुलनात्मक अध्ययन** डॉ. अरुण कुमार मिश्र, रंजना मिश्रा	61-67
10	Economic and Environmental Impact of National Food Security Act of India (With special reference to Uttar Pradesh) Dr. Khalid Anwar	68-74
11	**शकुन्तलायाः भाग्यवादः** Sraboni Tudu	75-82

12	**सतना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन** डॉ. रचना श्रीवास्तव, श्रीमती विनीता सिंह	83-102
13	Contract Labour a Nonstandard form of Employment Saurabh Kumar	103-109
14	**अभिज्ञानशाकुन्तले प्रयुक्तानां तिङन्तपदानामनुशीलनम्** डॉ. कैलाशचन्द्रसैनी	110-116
15	**शब्दकौस्तुभस्य प्रभाव्याख्यादिशा मङ्गलश्लोकसमीक्षा** राजेश मण्डल	117-120
16	An Introduction of E-Governance Trends Dr. Omendra Singh	121-126

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

(Study of attitude towards examination system of students of academic and professional courses studying in higher education)

डॉ. सर्वेश चन्द्र
(असिस्टेंट प्रोफेसर), एम.एड. विभाग, जी. एफ. पी. जी. कालेज, शाहजहांपुर

Article Information
Volume 5, Issue 3

Page Number : 01-07

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 03 June 2022
Published : 30 June 2022

सारांशः – शिक्षा मात्र पठन-पाठन की क्रिया नहीं है हमारे जीवन के लिए एक ऐसी अनिवार्यता है जो हमें समाज के प्रगति में कुछ योगदान करने के लिए लायक बनाती है लेकिन जब हम आसपास के परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं तो लगता है कि हम अपने आप को शिक्षित करने में विफल रहे प्रस्तुत शोध "' उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन है । प्रस्तुत अध्ययन महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध शाहजहांपुर जनपद के कुल 20 उच्च शिक्षा सस्थाओं का चयन किया गया है। जिसमें जनसंख्या एवं न्यादर्श के रूप में शैक्षिक पाठ्यक्रमों में से 400 विद्यार्थियों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से 400 विद्यार्थियों, कुल 800 विद्यार्थियों का चयन किया गया । आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी अनुपात का प्रयोग किया गया है । शोध अध्ययन में शून्य परिकल्पना का परीक्षण किया गया, शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत् सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है । प्रस्तुत शोध अध्ययन में उपकरण के रूप में शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित परीक्षा प्रणाली अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया है । निष्कर्ष में प्राप्त होता है कि उच्च शिक्षा स्तर के शैक्षिक तथा व्यवसाय दोनों ही पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा प्रणाली की प्रवृत्ति के अध्ययन में सकारात्मक अंतर पाया जाता है जबकि परीक्षा नियोजन के प्रति व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है और उनमें आपस में कोई सार्थक अंतर भी नहीं है परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों की आवृत्ति सकारात्मक है तथा उन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है ।

मुख्य शब्दावली : उच्च शिक्षा, शैक्षिक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, छात्र, परीक्षा प्रणाली, अभिवृत्ति, आदि ।

प्रस्तावना :

किसी भी शिक्षा प्रणाली का टेस्ट परीक्षा प्रणाली लिटमस के माध्यम से होती है । यह विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, समाज में शिक्षा के स्तर तथा शिक्षा की उपयोगिता को स्थापित करने के मानक के रूप में कार्य करती है । वास्तव में परीक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है । अतः शैक्षिक

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

कैलेंडर में इसका स्थान एवं दायित्व शिक्षण से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। परीक्षा परिणामों को मात्र छात्रों की शैक्षिक प्रगति का घोतक न मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंगों को पृष्ठपोषण प्रदान कर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने में सकारात्मक योगदान देना चाहिए। विभिन्न प्रकार की परीक्षा प्रणाली जो उच्च शिक्षा स्तर पर संचालित शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चल रही है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है ? यह छात्रों के लिए कितनी उपयोगी और सहायक हो सकती है ? अतः छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति को ज्ञात करने का प्रयास प्रस्तुत शोध प्रपत्र में किया गया है जिससे यह ज्ञात होता किया जा सके कि परीक्षा के प्रणाली के किन क्षेत्रों में छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति सकारात्मक है तथा किन क्षेत्रों में सकारात्मक नहीं है। जिससे कि उन क्षेत्रों में सुधार करके परीक्षा प्रणाली को और अधिक उपयोगी तथा विश्वसनीय बनाया जा सके।

सिन्हा 1977, ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया तथा अध्ययन से प्राप्त किया कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में गुण दोष दोनों हैं। छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक वर्तमान परीक्षा व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट पाए गए और वे चाहते हैं कि इसमें तत्काल सुधार किया जाए।

कुशवाहा 1985, ने कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली पर अध्ययन किया। कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली से संबंधित ब्राह्य परीक्षकों, आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों, केंद्रीय मूल्यांकन तथा परीक्षाओं का संचालन की विवेचना पर अभिकल्पित था। अध्ययन का मुख्य परिणाम पाया गया कि विषय समूह सम्बंधित सेमेस्टर और वार्षिक के अपरिवर्तित अंकों की तुलना में पुनः मूल्यांकन के कारण अंकों में परिवर्तन के केस अधिक थे। 10% से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या में वार्षिक वृद्धि पाई गई। परिणामों में कोई परिवर्तन न होने वाले केसों का प्रतिशत परिणाम में परिवर्तन की अपेक्षा कम पाया गया।

लारा, जोसेफ एवं रिचर्ड 1989, ने छात्रों की ओर केंद्रित तत्कालीन सुधार कानून के प्रभाव का परीक्षण एवं सुधार संबंधी प्रभाव के प्रति छात्रों के प्रत्यक्षण का अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि विद्यार्थी विद्यालय को मौज- मस्ती के स्थान के रूप में नहीं देखते हैं। विद्यार्थी महसूस करते हैं कि ग्रेडिंग अब कठिन हो गई है तथा अधिकांश विद्यार्थी फेल हो रहे हैं और मध्य में पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस परिवर्तन में आसानी से अनुकूलित हो जाती हैं। एकत्रित आंकड़ों तथा शोधार्थी द्वारा निकाले गए निष्कर्षो के आधार पर अध्ययन साउथ सन एंटोनियो स्वतंत्र विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश करता है।

दूबे 2003, ने में उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में अध्ययन विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं समुदाय के प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन किया। जिसमें प्रयोग कर पाया कि पुरुष एवं महिला विद्यार्थियों ने वर्तमान शिक्षा पद्धति के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की है। दूसरे शब्दों में पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुरुष तथा महिला अध्यापकों ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की। दूसरे शब्दों में पुरुष तथा महिला अध्यापकों ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। उच्च, मध्यम तथा निम्न आर्थिक स्तर वाले अभिभावकों ने वर्तमान परीक्षा पद्धति के प्रति असन्तुष्टि व्यक्त की। दूसरे शब्दों में उच्च, मध्यम तथा निम्न आर्थिक स्तर वाले अभिभावकों ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की।

वांग 2007, ने चीन में स्वाध्यायरत् विद्यार्थियों हेतु राज्य प्रशासित उच्च शिक्षा की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन किया। इस अध्ययन में चीन में रह रही विशाल ग्रामीण जनसंख्या हेतु उच्च शिक्षा परीक्षा पद्धति को अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने पर बल दिया। जिसमें प्रशासनिक संरचना, परीक्षा प्रक्रिया, उपलब्ध विषय, विद्यार्थियों का विवरण, शैक्षिक सहायता विधियां तथा तकनीकों पर विशेष बल दिया गया।

उपयुक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। परीक्षा परिणाम मात्र विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का घोतक न होकर संपूर्ण शिक्षण प्रणाली के विभिन्न अंगों को पृष्ठ पोषण कर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने में सकारात्मक योगदान देती है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए यह प्रासंगिक है कि यह अवलोकित किया जाए कि विभिन्न प्रकार की परीक्षा प्रणाली जो उच्च शिक्षा स्तर पर संचालित शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में चल रही है वो विद्यार्थियों के लिए कितनी उपयोगी और सहायक है ।

अध्ययन के उद्देश्य :

शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. उच्च शिक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणालियों के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना
2. उच्च शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणालियों के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना
3. उच्च शिक्षा के शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणालियों के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति की तुलना करना
4. उच्च शिक्षा के शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा मूल्यांकन के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति की तुलना करना

शोध परिकल्पना :

1. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है ।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा नियोजन के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है।
3. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा संचालन के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है।
4. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है।

शून्य परिकल्पना

1. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा नियोजन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा संचालन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।
4. उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

समस्या कथन :

प्रस्तुत शोध कथन "उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन" है।

समष्टि तथा न्यादर्श:

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध शाहजहांपुर जनपद के नियमित एवं वित्त पोषित शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक व परास्नातक के विद्यार्थी हैं। न्यादर्श के रूप में शाहजहांपुर जनपद में अध्ययनरत् शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 400-400 विद्यार्थियों को लिया गया है । इस प्रकार कुल 800 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है ।

शोध उपकरण :

प्रस्तुत समस्या के अध्ययन के लिए "परीक्षा प्रणाली अभिवृत्ति मापनी" का शोधार्थी द्वारा स्वयं निर्माण किया गया है।

अभिवृत्ति मापने का निर्माण:

इस मापनी में महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध शाहजहांपुर जनपद के शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा प्रणाली के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस उपकरण को परीक्षा प्रणाली की तीन विमानों परीक्षा नियोजन, परीक्षा संचालन तथा परीक्षा मूल्यांकन में विभक्त करके किया गया है। प्रत्येक बीमाओं के प्रति एकांश के लिए लिकर्ट मापनी पर आधारित तीन विकल्प अनुकूल, उदासीन तथा प्रतिकूल लिए गए हैं। तीनों विकल्पों में से किसी एक पर सही का निशान लगाकर विद्यार्थी तथा शिक्षक को अपनी प्रतिक्रिया देना है। इस अभिवृत्ति मापनी में कुल 45 प्रश्नों का निर्माण किया गया है।

प्रदत्त संकलन :

प्रदत्तो के संकलन के लिए परीक्षा प्रणाली अभिवृत्ति मापनी की सहायता से महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध शाहजहांपुर जनपद में अध्ययनरत् 800 विद्यार्थियों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

प्रदत्त विश्लेषण :

आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, टी अनुपात का प्रयोग किया गया है।

तालिका संख्या 01

शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति की तुलना।

पाठ्यक्रम	N	M	Sd	T अनुपात
शैक्षिक पाठ्यक्रम	400	108.26	5.92	0.127
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	400	108.31	6.32	
योग	800			

★ 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

तालिका 01 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.127 है जो कि द्विपुच्छीय सार्थकता परीक्षण के मुक्तांश(df) - 798 के 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी मान 1.98 से कम है, अतः 0.05 स्तर पर असार्थक है। इसीलिए शून्य परिकल्पना की " उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है" को स्वीकार किया जाता है। अर्थात् शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। चूंकि दोनों प्रकार के

पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के अभिवृत्ति मध्यमान 90 से अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में परीक्षा प्रणाली के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है।

तालिका संख्या 02

शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा नियोजन के प्रति अभिवृत्ति की तुलना ।

पाठ्यक्रम	N	M	Sd	T अनुपात
शैक्षिक पाठ्यक्रम	400	33.91	3.15	2.418
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	400	34.43	3.04	
योग	800			

★0.05 स्तर पर सार्थक है।

तालिका संख्या 02 में परिगणित टी-अनुपात का मान 2.418 है जो कि द्विपुच्छीय सार्थकता परीक्षण के मुक्तांश (df) 798 के 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी मान 1.98 से अधिक है, अतः 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। इसीलिए शून्य परिकल्पना कि "उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा नियोजन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है" को अस्वीकार किया जाता है। अर्थात् 0.05 सार्थकता स्तर पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा नियोजन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है। चूंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों का मध्यमान शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के मध्यमान से अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अपेक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में परीक्षा नियोजन के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति पायी जाती है।

तालिका संख्या 03

शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा संचालन के प्रति अभिवृत्ति की तुलना ।

पाठ्यक्रम	N	M	Sd	T अनुपात
शैक्षिक पाठ्यक्रम	400	38.86	3.47	1.346
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	400	38.53	3.50	
योग	800			

★ 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

तालिका संख्या 03 में परिगणित टी-अनुपात का मान 1.346 है, जो कि द्विपुच्छीय

सार्थकता परीक्षण के मुक्तांश (df) 798 के 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी मान 1.98 से कम है, अतः 0.05 स्तर पर असार्थक है। इसलिए शून्य परिकल्पना कि "उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा संचालन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है", को स्वीकार किया जाता है। अर्थात् शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा संचालन के

प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। चूंकि दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के अभिवृत्ति मध्यमान 30 से अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी परीक्षा संचालन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं।

तालिका संख्या 04

शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का परीक्षा मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति की तुलना।

पाठ्यक्रम	N	M	Sd	T अनुपात
शैक्षिक पाठ्यक्रम	400	35.50	2.83	0.678
व्यावसायिक पाठ्यक्रम	400	35.35	3.11	
योग	800			

★ 0.05 स्तर पर सार्थक नही है।

तालिका संख्या 04 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.678 है जो कि द्विपुच्छीय सार्थकता परीक्षण के मुक्तांश(df) 798 के 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी मान 1.98 से कम है। अतः 0.05 स्तर पर असार्थक है। इसलिए शून्य परिकल्पना कि " उच्च शिक्षा स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है", को स्वीकार किया जाता है । अर्थात् शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही पाठ्यक्रमों के अध्ययनरत् विद्यार्थियों का परीक्षा मूल्यांकन के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। चूंकि दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के अभिवृत्ति मध्यमान 30 से अधिक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शैक्षिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में परीक्षा मूल्यांकन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं।

निष्कर्ष :

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है।

उच्च शिक्षा स्तर के शैक्षिक तथा व्यावसायिक दोनों ही पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के परीक्षा प्रणाली के प्रति अभिवृत्ति के अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों ही पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति परीक्षा प्रणाली के प्रति सकारात्मक है तथा उनमें आपस में कोई सार्थक अंतर नहीं है जबकि परीक्षा नियोजन के प्रति व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक है तथा उनमें आपस में सार्थक अंतर भी है। परीक्षा संचालन तथा परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति सकारात्मक है तथा उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

सुझाव:

अध्ययन के निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि परीक्षा नियोजन के संदर्भ में शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति अपेक्षाकृत कम सकारात्मक है। अतः परीक्षा नियोजन के प्रमुख बिंदुओं जैसे प्रश्न पत्र निर्माण, प्रश्नों की प्रकृति, आदि में सुधार कर परीक्षा प्रणाली को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

[1]. अग्रवाल, जे.सी., 2007, इसेन्सियल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, इवैल्यूएशन टेस्ट एंड मेजरमेंट, दिल्ली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड,

[2]. गुप्ता, एस.पी.,2002 , स्टैटिस्टिक्स मेथेड, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन,

[3]. सिंह, अरुण कुमार , 2002 ,"शिक्षा शशास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में शोध विधियां, नई दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन

[4]. कुशवाहा, ए .एस.,1985, सिस्टम आफ एग्जामिनेशन इन कानपुर यूनिवर्सिटी, पीएचडी शोध ग्रंथ, शिक्षाशास्त्र, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर

[5]. दुबे, प्रसाद राजेंद्र, 2000, एटीट्यूड आफ स्टूडेंट आफ हायर एजुकेशन टूअर्डस एग्जामिनेशन सिस्टम, ए डाक्टोरल थीसिस इन एजुकेशन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस,

[6]. भटनागर, सुरेश एवं सक्सेना 2005, शिक्षा मनोविज्ञान, लायल बुक डिपो, मेरठ।

[7]. गैरेट, हेनरी (999, शिक्षा एवं मनोविज्ञान सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स।

[8]. कपिल, एच.के. 1998, अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।

[9]. शर्मा, आर. ए. 2008, शिक्षा अनुसंधान, लाल बुक डिपो, मेरठ .

[10]. रेड़डी, वी. मलिकार्जुन 2010, ए स्टडी ऑफ टीचिंग एटीट्यूट, सोशल एडजेस्टमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन आफ सेकेंडरी स्कूल साइंस टीचर्स, शोध प्रबंध शिक्षाशास्त्र, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश ।

[11]. मौर्य, एच.सी. 1990, विश्वविद्यालय और पूर्व विश्वविद्यालयी व्याख्याताओं की शैक्षिक दक्षता व्यक्ति और अभिवृत्ति के बीच संबंध के अध्ययन का प्रयास, पीएचडी शोध प्रबंध, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।

[12]. भावना, 2005, देवीपाटन के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की ऊर्जा शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं योग्यता व्यक्तित्व विशेषताओं के संबंध का अध्ययन, शोध प्रबंध शिक्षाशास्त्र, डॉ राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

शिशुशिक्षणाय कथाशिक्षणविधयः

डॉ.दशरथभरासागरः
सहायकाचार्यः, केन्द्रीसंस्कृतविश्वविद्यलयः, क.जे.सोमैयापरिसरः, मुम्बई ।

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 08-13
Publication Issue :
May-June-2022
Article History
Accepted : 05 May 2022
Published : 15 May 2022

शोधसारः- बालानां कृते शिक्षकः कथं शिक्षणं कुर्यात् । एतदर्थं शिक्षणविधयः प्रत्येकस्तरे शिक्षणविधयः शिक्षाविद्भिः निर्धारताः। अतःबालशिक्षायाः उद्देश्यमपि वर्त्तते । संस्कृतशिक्षणे मदुमनस्कानां बालानां कृते लघु लघुकथामाध्यमेन आदौ शिक्षयेत्। तेन तेषां रुचिः जागरिता भवति । अत्र बालानां कृते कथं शिक्षा सरला भवेत्। एतदर्थमत्र शिक्षणविधयः पत्रेऽस्मिन् चर्चिताः। तथाहि –कथाविधिः, क्रीडाविधिः, अभिनयविधिः, प्रत्यक्षविधिः, प्रतिमानविधिः, चित्रविधिः इत्यदयः।

प्रमुखबिन्दवः- नाटकबोधः, कथाबोधः, साहित्यतत्वज्ञानम्, बालविधेः ज्ञानम्, शिशुस्तरबोधः, मानसिकक्षमतापरीक्षणम् , गुणवत्तापरिवर्धनम्, मनोवैज्ञानिकविधेः ज्ञानम् इत्यादय अत्र शोधबिन्दवः वर्त्तन्ते ।

समस्ताखिलमण्डले शिक्षा मनुजानां दीव्यनेत्रं तृतीयनेत्रं वा भवति। इयं मानवस्य उत मानवसमाजस्य अभिन्नमंगं वर्तते।तत्रानेन अंगेन मानवसमाजः सम्यक् विश्वं चलितुं शक्तो भवति।अपराह–ऐहिकामुष्मिकाणां समस्तसमस्यानां समुचितसमाधानात्मकं तत्वं ज्ञानं पर्यायफलेन शिक्षेतिफलितम्। औपनिषद्यां शिक्षा व्याख्यास्यामः इत्यादौ आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपं विद्या सन्धिः प्रवचनं सन्धानमिति तत्र शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया अस्तीति भाषते, शिक्षणं तु एकमुखी (Mono polar),द्विमुखी (Bipolar),त्रिमुखी (Tripolar), बहुमुखी (Multipolar) भवति ।यत्र केवलं गुरुकेन्द्रिता शिक्षा तत्र तु एकमुखी प्रक्रिया शिक्षायाः,यत्र उभयोः योगदानं वर्तते तदा द्विमुखी प्रक्रिया,यदा छात्रशिक्षकपाठ्यक्रमाणां योगदानं तदा त्रीमुखी प्रक्रिया,यदा प्रवचनमपि जायते तदानीं शिक्षेयं प्रक्रिया वर्तते,पुरा क्वचित् शिक्षा गुरुकेन्द्रिता एकमुखी आसीत्।अतः आधुनिककाले छात्रकेन्द्रित शिक्षा,अस्मिन् प्रक्रमे शिक्षणं कथं भवति ?कुत्र शिक्षा दातव्या ? किं दातव्यम् ?इत्यादीनां समस्यानां समाधानमित्थम्- समाजस्य समुचितावश्यकता विज्ञाय शिक्षकाः छात्रान् शैक्षिक वातावरणे तान् विषयान् विधिप्रविधीभ्यां शिक्षयन्ति,ते च छात्राः सम्यगर्थान् विज्ञाय उपाधिमर्जयन् लोकोपकारकाय तां विद्यां तदूत्तरवर्तिनां कृते शैक्षिकवातावरणे स्वज्ञातस्य स्थानान्तरणं कृत्वा प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां समाजस्य राष्ट्रस्य वा मङ्गलं करोति ।तेन राष्ट्रोन्नत्यै कश्चित् प्रमुखः प्रयासःअस्ति ।यथा कश्चन कृषको अन्यान् पोषयति तत्रावश्यमेव राष्ट्रविकासे अंशतः संलग्नः एव स ।यदि देशे तत् तत् क्षेत्रे कार्यकराणां अभियन्तृणां, वैज्ञानिकानां शिक्षकाणां वा अभावः स्यात् तर्हि देशस्य सामाजिक–आर्थिक–नैतिक–धार्मिक–सांस्कृतिक स्तरेषु न्यूनता आगछति,तदर्थं समाजे विद्यमानानां जनानां सम्यक् पोषणाय वर्धनाय पारलौकिकसत्ता ज्ञापनाय च सर्वाः विद्याः अपेक्षिता तासां समासां विद्यानां ज्ञानाय नियमपूर्वक शिक्षणमपेक्षितम्, धार्मिक,सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक–विकासाय आदौ मूल्यानां ज्ञानमावश्यकं स्यात् मूल्येभ्यः व्यवहारज्ञानां व्यवहारात् व्यक्तित्वविकासः व्यक्तित्व विकासे सदाचरणैः सामाजिकानां सुःखदुःखादीन् अनुभवितुमर्हति,कथाशिक्षणेन मील्यानां बोधः जायते तर्हि का नाम कथा ? कति भेदाः तस्याः ?कानि प्रयोजनानि कथाशिक्षणस्य ? एतेषां प्रश्नानां समाधानमित्यम्

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सर्गबद्धोऽभिनेयार्थं तथैवाख्यायिका कथे ।
अनिवद्धं च काव्यादि तत् पुन: पञ्चोच्यते ।।

1. सर्गबद्ध काव्यम्,खण्डकाव्यम्,महाकाव्यम्,गीतिकाव्यम् ।
2. नाटकम्
3. आख्ययिका
4. कथा
5. मुक्तककाव्यम्

कथा कल्पित वृत्तान्ता सत्यर्थाऽख्यायिकामहा इति ।कथ्यते अनया शैल्या विविधान् विषयान् सा कथेति ।तत्र द्विधा पशुपक्षीणां प्रसङ्गवर्णनं कल्पनेभ्य: सा कथा,आख्यानं तु कथितेतिहासस्य यथायथं वर्णनमाख्यानमभिधीयते ।कथासाहित्यस्य भेदा:

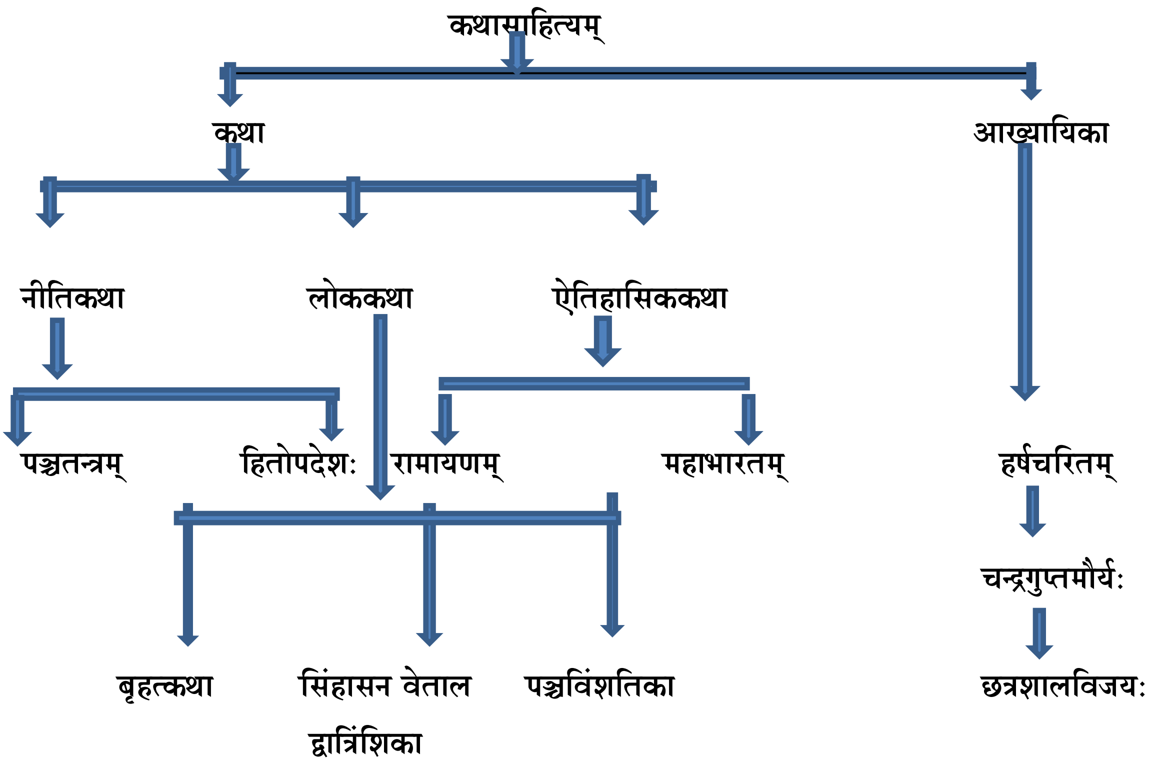

वस्तुत: कथा इति जातिपक्षस्वीकारे एकधैव समासां बोध:।अत: सामान्यगद्यापेक्षया अस्या: अध्यापनं भिन्नं,यावत् कथाया: आवश्यकताया: ध्यानं न दीयते तावत् उद्देश्यानि अपि न सिद्ध्यन्ति ।कथाशिक्षणे पुस्तकं सत्यपि मौखिकरूपेण कथाकथनं कुर्यात् ।कथानां भाषा अतीव सरला स्पष्टा च स्यात् ।प्रश्नकरणं तु गद्यैव करणीय: ।कथाशिक्षणक्रम: अनेनक्रमेण स्यात् ।सामान्यपरिचय:,सामान्योद्देश्यानि,विशिष्टोद्देश्यानि,पूरवज्ञानं प्रस्तावना,उद्देश्यकथनम्,पाठोपस्थापनम्,अध्यापककथनम्,बोधप्रश्ना:,नवशब्दव्याख्या,मूलकथाया:शुद्धोच्चारणम्,उत्प्रेरणा प्रश्न:,कथानिष्कासनम्,गृहकार्यं तत्र सन्ति कथाशिक्षणस्य प्राथमिकस्तरे प्रयोजनानि ।तथाहि

कथशिक्षस्योद्देश्यानि (Objectives of story Teaching)

1.संस्कृतकथासाहित्यस्य परिचय: ।

2.कल्पनाशक्ते: विकास: ।

3.बालकानां चरित्रनिर्माणम् ।

4.समाजस्य सन्नागरिकाणां निर्माणनम् ।

5.बालकान्तर्निहित समुचित शक्तीनां विचाराणां वा बहिरानयनम् ।

6.परोक्षतया कथागत शैक्षिकसामाजिकनैतिकाध्यात्मिकमूल्यानामुपदेश:।

7.मनोरञ्जनेन सह बालकस्य ज्ञान विकास: ।

8.लघु लघु संस्कृतकथा निर्माणे क्षमतोत्पादनम् ।

9.संस्कृत सम्भाषणे रुच्युत्पादनम् ।

10.स्मृतिशक्ते: विकासश्च ।

एतेषामुद्देश्यानां परिपूरणे प्राथमिकस्तरे कथाशिक्षणे आवश्यकं स्तरानुगुणं विधिरिति ।सन्ति स्तरेSस्मिन् कथाशिक्षणस्य विधय: ।ते च–

कथाशिक्षणस्य विधय: (Methods of Stories)

अभिनयविधि:। चित्रविधि:। कल्पनाविधि:। संवादविधि:। उपकरणविधि:। व्याख्यानविधि:। इति

अभिनयविधि:

शिक्षक: आदौ सम्यक्तया पूर्वलृसिद्धाता कृत्वैव कक्ष्यां गच्छति । तत्र कथापाठने कथागत प्रत्येक वाक्यानुसारं स्वस्य हावभावादीनां प्रदर्शनं करोति । तेन प्रदर्शनेन कथागत रसानां सन्दर्भाणां वा ज्ञानं सरलतया बालानां कृते भवति । बाला: सिक्षकस्य क्रोधम्,हासम्,दु:खम् ,सुखम्,चिन्तनम्,विस्मयम्,हीनभावान् इत्यादीन् अनुभूय प्रसङ्गं समनुगच्छन्ति । सहैवानुकरणं कुर्वन्ति बाला:। शिक्षक: कतथागतदृश्यं स्वाभिनयेन बालानां दृष्टिपुरत: स्थापयति । बाला अपि शिक्षकस्य भावम्,सङ्केतम्,कटाक्षादीन् अभिविज्ञाय पाठगतभावान् विषयांश्च अवगच्छन्ति । तेन स्वयमपि कथानिहितमूल्यानि अभिज्ञातुं प्रभवन्ति ।सहैव विविधा: भावना: तेषां बालानां हृदयेषु विकसिता: भवन्ति । अनेन बाला: स्वपाठ्यविषयं समीचीनतया गृह्णन्ति ।तेन सह मनोरंजनमपि भवति । तत्र केचन बाला: कक्ष्यायां यामितां नानुभवन्ति ।

चित्रविधि:

कथाशिक्षणे कथानुगुणं चित्रं निर्मीय शिक्षक: आनयति एवं कथागत सर्ने अंशा: बालान् चित्रमाध्यमेन बोधयति,यदि चित्रे स्पष्टता भवति,चेत् सर्वे बाला: कथागत सर्वे विषया: अवगन्तुं प्रभवन्ति तेन उभयो: शिक्षकबालयो: सक्रियतां द्रष्टुं शक्यते । तत्र बाला: चित्रमवलोक्यैव सन्दर्भं स्मर्तुं शक्नुवन्ति ।अनेन विषया: तेषां मनसि चिरकालं तिष्ठन्ति ।ते च विषया: बालानां स्वजीवने महती भवति ।तदर्थं बालानां कृते शिक्षप्रदानं सरलभाषया चित्रमाध्यमेन बोधयति,यदि चित्रे स्पष्टता भवति,तर्हि सरवे बाला: कथागत सर्वे विषया: अवगन्तु प्रभवन्ति ।अनेन उभयो: शिक्षकबालयो: सक्रियता द्रष्टुं शक्यता तत्र बाला: चित्रमवलोक्यैव सन्दर्भं स्मर्तुं शक्नुवन्ति ।सर्वे बिषया: चिरकालं तिष्ठन्ति ।अत: बालानां कृते शिक्षप्रदानं सरलभाषया चित्रमाध्यमेन करणीयमिति ।

कल्पनाविधि:

कथाशिक्षणप्रक्रमे शिक्षक: कथां कथयन् पशु-पक्षीणां विषये वदति ।तदानीं बाला:स्वकक्ष्यावातावरणे एव वनमयं चिन्तयति एवं स्वस्य मानसपटले ईषद् बलं दत्वा सिंहादीनां मनसि आकृतिं स्मरन्ति तेन तस्मिन् वास्तविकं सिंह कल्पयति ।न तु कथागत सिंहोऽस्ति ।तदा तस्य बालस्य सम्यक् कथाया: भाव: अवगत: स्यात् ।कथागत भावाबोधे चिन्तनं प्राधान्यं तत्र प्राधान्यताया: कारणम् उभयो: कथाशिक्षणे कथागत कल्पना कृता ।अनेन नूतना कथा, पूर्वश्रुतानां कथानां स्मरणं भविष्यति ।तेनैव कथानिर्माणे रुचिर्भवति ।

संवादविधि:

शिक्षक:कथापात्राणां कथाकथनप्रसङ्गे स्वबालैस्सह वार्तालापं करोति तथा परस्परं बालानां साहाय्येन सम्पूर्णकथां कक्ष्यायां शिक्षक: कथयति ।पात्राणां कथने महत्वप्रदानात् तथा च बालानां प्रतिक्रिया: वार्तालापै: अवगमनादयं नाम संवादविधिरुच्यते ।माध्यमिकस्तरेऽपि अस्य विधे: प्रयोगं कर्तुं शक्नोति शिक्षक: ।

कथोपकथनविधि:

कथितस्यकथनं कथोपकथनमुच्यते, प्रकृतौ शिक्षक: बहुमुल्यमयीं कथां श्रुतवान् तामेव कथा बालेभ्य: श्रावणीयं चेत् तत्र कथागत ये च भावा: यत्र पूर्ववाचकेन यथा श्रावितं तथैव यथायथं श्रावणं कष्टमेव तथापि शिक्षक: स्वप्रयासै: यथायथं बालानां पुरत: श्रावयति ।तदानीं तां कथां श्रुत्वा सर्वे बाला: मनोरञ्जनेन सह मील्यानि गृह्णन्ति, पुनश्च कदाचित् गृहं गत्वाऽपि स्वमित्रान् भ्रातृन् च यथायथं श्रावयन्ति ।अस्यविधे: लाभोऽस्ति यत् स्मृते: शक्ते: विकास: अरथावगमनपुरस्सरं स्मरणमिति ।

उपकरणविधि:

अस्मिन् विधौ श्राव्यदृश्योपकरणं भवति तेन माध्यमेन बालानां कृते कथाशिक्षणं भवति ।तदर्थं कक्ष्यावातावरणमपि सामान्यापेक्षया परिवर्तनीयम् ।तेन बालानामधिगमे न बाधा जायेत ।सन्ति बहूनि उपकरणानि कथां बोधयितुम् ।तानि दृश्योपकरणानि-श्रव्योपकरणानि-दृश्यश्रव्योपकरणानि च वर्णानां, पदार्थानाञ्च स्वरूपं दर्शयितुं युज्यते तानि दृश्योपकरणानि ।यथा-हरितफलकम्, चित्राणि, रेखाचित्राणि, मानचित्राणि, छायाचित्राणि, प्रतिकृतय: प्रदर्शिनी इत्यादीनि ।

विविधान् ध्वनीन् शब्दांश्च, श्रोतुमुपयुक्तमुपकरणम् ।यथा-रेडियो,ग्रामोफोन्, टेपरिकार्डर, सान्द्रमुद्रिकाचालक:(C.D Player) इत्यदीनि ।

द्रष्टुं श्रोतुञ्च योग्यमुपकरणं श्रव्यदृश्योपकरणम् ।यथा-नाटकम्, चलनचित्रम्, दूरदर्शनम्,सङ्गणकमित्यादीनि ।

सम्प्रति उपकरणानां माध्यमेन कथाशिक्षणं छात्राणांकृते विशिष्य प्राथमिकस्तरे बहु लाभाय भवति ।घटं नय घटमानय इत्यादि कथनेन साक्षात् पश्यन् घटम् इति वदन् शृण्वन् समन्वयं संस्थाप्य तदनन्तरं केवलं घटपदेन श्रवणेनापि घटाकृतिकज्ञानं जायेत तद्वदिहापि कथागत् चित्राणां ध्वनिं श्रुत्वा इन्द्रियसन्निकर्षात् विषयं चिरकालं तिष्ठति बालानां मनसि ।अत: बालानां कृते कथाशिक्षणे शिक्षकै:उपकरणानां साहाय्यम् अवश्यं स्वीकरणीयमिति ।

व्याख्यानविधि:

शिक्षक: प्रथमिकस्तरीय छात्रान् कथागत शब्दानां विविधप्रचलित उदाहरणेश्च कथाया: व्याख्यान्ं करोति सरलरीत्या येन लघु लघु बाला: सम्यगवगच्छेयु: ।तत्र पंक्ते क्वचित् बालानां पुरत: साक्षात् अर्थं कथयति तेन बाला: तत्पदार्थं विज्ञाय स्वबुद्धौ स्थापयन्ति ।तदा ते अत्यन्त सरलया भाषया अन्यानि मित्राणि श्रावयन्ति ।कदाचित् शिक्षकस्य व्याख्याने प्रभाव: अधिको न भवति,तर्हि कथाया: विस्मरणं जायते तदानीं कथाया: रूपं परिवर्तितो भवति,तदर्थं व्याख्यानं शिक्षकै: स्पष्टतया सदृष्टान्तेने सरलवाक्यश्च करणीयमिति ।

पूर्वप्राथमिकस्तरे पाठ्यक्रमनिदर्शनम्

हिन्दीवर्णपरिचय:,वर्णोच्चारणम्

संस्कृतवर्णपरिचय:, वर्णोच्चारणम्

पदपरिचय:,पदोच्चारणम्

सचित्रपशुपरिचय:,पशुनामोच्चारणम्

सचित्रपक्षीपरिचय:,पक्षीनामोच्चारणम्

सचित्रपुष्परिचय:,पुष्पनामोच्चारणम्

सचित्रगृहवस्तुपरिचय:,गृहवस्तुनामोच्चारणम्

सचित्रवाहनपरिचय:,वाहननामोच्चारणम्

शरीरावयवानां सङ्केत:, तेषामुच्चारणञ्च

वासराणां समुच्चारणाभ्यास:

मासानां समुच्चारणाभ्यास:

हिन्दी तथा संस्कृत गायनाभ्यास: ।

कथाश्रवणम् एवं कथाकथनम् इत्यादय: ।

कथाया: महत्वम्

कथासाहित्यं जनानां कृते आदियुगादेव मनोरञ्जनपुरसरं कालक्षेपाय प्रवर्तते ।कथा अद्यापि मनोरञ्जनेन साकं ज्ञानात्मक-नैतिक-आचारशिक्षादीनां स्रोत: अस्ति ।पुराकालादेव अस्या: महत्वमस्माभि: स्वीकृतम् ।कथाया: प्रयोग: तदानीम् आचारस्य लोकव्यवहारस्य च शिक्षा- दीक्षयो: कृते आसीत् ।पञ्चतन्त्र-हितोपदेश-बृहत्कथामञ्जरी-कथासरित्सागरादय: तदानीन्तया: प्रसिद्ध: ग्रन्था: ।तत:परं बेतालपञ्चविंशति:,सिंहासनद्वात्रिंशतिका चेत्यादय:अपि कथासाहित्ये प्रसिद्धा: ।अत: साहित्यस्य भेदत्वात् कथाया: शिक्षणपर्यन्तं महत्वपूर्णम् ।प्राम्भिशिक्षायां प्रविधित्वेन इतिहास-भूगोल-सामान्यविज्ञान-गणितादि-विषयेषु कथाया: स्थानमवश्यं स्मरणीयम् ।शिशव: छात्रा: वा कथासु रुचिमन्त: भवन्ति । अत: प्रारम्भिकशिक्षायां तदर्थं कथा आश्रीयते ।अक्षरशिक्षणात् प्रारभ्य विषयाणां पाठनपि कथाप्रविधौ अत्यन्तं रुचिकरं भवति ।यद्यपि कथाया: प्रमुखमुद्देश्यं मनोरञ्जनं, तथापि कल्पनाशक्ते: स्मरणशक्तेश्च विकासाय कथाशिक्षणं प्रामुख्यं भजति ।अन्नेकेषां विषयाणां कथामाध्यमेन शिक्षणस्य इदमेव तात्पर्यम् ।द्रुतपाठे स्वाध्यायप्रवृत्ते: विकासाय कथाया: सन्निवेश: प्राधान्य भजति ।

कथानां वैशिष्ट्यानि

1.कथाया: विभिन्नतत्त्वानि कथानकं,चरित्रचित्रणं,कथोपकथनं,भाषा-शैली,शीर्षक: एवञ्च उद्देश्यस्य दृष्ट्या संस्कृतकथा उच्चस्तरीया: सन्ति ।एतासां कथानकं क्रमबद्धै: जीवनोपयोगिपरिस्थितिभिश्च सम्बन्धितमस्ति ।पशुपक्षिण: मनुष्यान् च पात्ररूपे सङ्कलितवन्त: ।इदमुपदेशात्मकं शिक्षात्मकञ्च वर्तते ।एतासु आदर्शभाषाया: प्रयोग: कृत: भाषा अतीव सरला सुग्राहया च वर्तते ।

2.आभि: मनोरञ्जनेन सह नीते: सदाचरणस्य च शिक्षा अपि प्राप्यते ।

3.इमा: कथा: कौतूहलपूर्णा: सन्ति ।कल्पना एव आसां विकासस्य प्रादुर्भावस्य च स्रोतोऽस्ति ।

4.कथा: मानवेषु व्यवहारकौशलोतपादने सहायिका: भवन्ति,यतोहि आभि: पाठकेषु नैतिकगुणानां विकासो भवति ।

5.आभि: धर्म-अर्थ-कामश्चेति त्रिवर्गस्य प्राप्तिर्भवति ।

6.इमा: कथा: देवभाषाया: पाठनशैल्या: आदर्शमपि उपस्थाप्यन्ति ।

7.कथा: जटिलभावानां स्पष्टीकरणे सहायिका: भवन्ति ।

8.कथामाध्यमेन बालानां मस्तिष्कान् प्रभावशालीरूपेण प्रभावयितुं शक्यते ।यतोहि बाला: कथा: एकाग्रचित्तो भूत्वा शृण्वन्ति एवञ्च ता: तेषामन्तर्मन: ।

9.कथाप्रसङ्गे आगतानां शब्दानां, वाक्यानां,लोकोक्तीनाञ्च वास्तविकार्थं ते सरलतया गृह्णान्ति ।

10.कथामाध्यमेन सांसरिकज्ञानस्य वृद्धिर्भवति ।

11.कथामाध्यमेन बालेषु तर्कशक्ति–विवेक– संकल्प–इत्यादीनां सद्गुणानां वृद्धिर्भवति ।

12.कथामाध्यमेन कल्पनाशक्ते:विकास एवञ्च भावानाम् अभिव्यक्तिकरणस्य क्षमताया: प्रादुर्भावो भवति ।

उपसम्हार:

लघु लघु बालानां मन: विचित्रं भवति । तेषां बालानां पाठनं सर्वेषां कृते नातिसरलं भवति । एतदर्थं बालानां मानसं सम्यगालोच्य अनेकविधीनां साहाय्यं स्वीकृत्य शिक्षणं दद्यात् गुरु: । न सर्वथा एका पद्धति: सर्वदा सरवस्मिन् काले योग्याल भवति । कालानुगुणं विधे: प्रविधेर्वा परिवर्तनं करणीयमेव । तद्यथा गूगलद्वारा अभ्यास:,सामान्यश्यामफलकानां स्थाने स्मार्टबोर्ड द्वारा शिक्षणम् ,पुस्तकानां भारनिवारणाय टैबद्वारा शिक्षणम् इति । इत्थं परिवर्तनं वाञ्छति ।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. शिक्षामनोविज्ञानम् –प्रो. लोकमान्यमिश्र:
2. संस्कृतशिक्षणविधय:–डॉ.संतोषमित्तल:
3. संस्कृतशिक्षणविधय:–प्रो.चा.ल.न शर्मा
4. हिन्दीशिक्षणविधय:–प्रो.रजनीकान्तशुक्ल:
5. शिक्षामनोविज्ञानम् –प्रो.रामशकलपाण्डेय:
6. शिक्षामनोविज्ञानम् –डॉ.पी.डी.पाठक:
7. भारतीयशिक्षादर्शनम् –प्रो.सोमनाथसाहु:
8. मानवाधिकारशिक्षा–डॉ.भाग्यसिंह गुर्जर:
9. शिक्षाया: मनोवैज्ञानिकाधारा:–डॉ.बि.पद्ममित्रश्रीनिवास:
10. मनोविकृति विज्ञान–सं.रामजीश्रीवास्तव
11. मनोविज्ञान,समाजशास्त्र तथा शिक्षायां शोधविधय: –अरुणकुमार सिंह:
12. हिन्दीशिक्षणम् –डॉ.रघुनाथसफाया
13. भाषाविज्ञानम्–डॉ.उदयनाथतिवारी
14. भाषाविज्ञानम्–डॉ.भोलाझा:
15. पञ्चतन्त्रकथा–पं.विष्णुशर्मा

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

[Study of attitude of secondary level students towards the concept of marriage]

संजय शर्मा (शोध-छात्र)
शिक्षाशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय)
कोटवा-जमुनीपुर- दुबावल, प्रयागराज, उ.प्र.

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 14-20

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 05 May 2022
Published : 15 May 2022

सारांश (Abstract) :
प्रस्तुत शोध पत्र माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन है । जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया गया है । इसमें न्यादर्श के रूप में प्रयागराज जनपद के सरकारी मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों में से 400 छात्र एवं छात्राओं का चयन लॉटरी विधि से किया गया है । जिसमें 200 छात्र–छात्राएं कला वर्ग के एवं 200 छात्र–छात्राएं विज्ञान वर्ग से हैं । शोध के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है । शोध की साख्यिकीय गणना के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात के साथ सार्थकता स्तर का प्रयोग किया गया है । विवाह की अवधारणा की अभिवृत्ति को मापने के लिए प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित "मैरिज एटीट्यूट स्केल" (MAS) का प्रयोग किया गया है । इनसे प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति एक समान है पर कुछ असमानताएं मिलती हैं जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण हो सकती हैं ।

Keywords : माध्यमिक स्तर, विवाह, अवधारणा, अभिवृत्ति आदि ।

शिक्षा मानव जीवन के निर्माण की वह प्रक्रिया है जो मानव जाति को सहस्त्र वर्षों के अनुभव के बाद प्राप्त होती है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है उसे समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है ।

जान डीवी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक गुणों की अभिवृद्धि है शिक्षा मनुष्य के लिए है और मनुष्य मानवता के लिए है । मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है । किशोरावस्था को बाल्यवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहा जाता है ।

स्टैनले हाल ने कहा है कि "किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था" है । हम किशोरावस्था को एक शब्द में "परिवर्तन" कह सकते हैं । माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी किशोरावस्था की उम्र से गुजरते हैं जिससे उन्हें कुछ

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रवृतियां स्वत: जागृत होती है और कुछ वातावरण के बाद जागृत हो जाती हैं । अत: इस अवस्था में विद्यार्थियों के विचारों को जानना अति आवश्यक होता है । इसी अवस्था में छात्रों में कामभावना जागृत होती है और विवाह की ओर संवेगात्मक से उन्मुख होते हैं । मानव आवश्यकताओं में यौन संतुष्टि एक आधारभूत आवश्यकता है । मानव समाज के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी भी यौंन इच्छाओं की पूर्ति से वंचित नहीं होते हैं । मानव में यौंन इच्छाओं पूर्ति का आधार मात्र दैहिक न होकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी होता है । जिससे विवाह, परिवार, रिश्तेदारी का जन्म होता है । परंतु यह सब विवाह के द्वारा ही पूर्ण होता है ।

भारतीय समाज में इसी किशोरावस्था में अधिकांश विद्यार्थी वैवाहिक जीवन में बंध जाते हैं या बधने की ओर अग्रसर होते हैं । माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी 18 वर्ष तक के होते हैं । विवाह जितनी ही अधिक उम्र में होगी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जनित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है । इसी समस्या से निजात के लिए इस शोध की आवश्यकता पड़ी ।

अध्ययन की आवश्यकता : वैस्टरमार्क ने लिखा है कि "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न संतानों को अधिकार एवं कर्तव्य का समावेश होता है प्राचीन काल में लड़कियों और लड़कों की विवाह की आयु अलग-अलग मिलती है जो हर काल में एक समान नहीं रहती है । विवाह से अनेक समस्याओं का जन्म होता है जिसमें जनसंख्या विस्फोट एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है । अधिक संतान की उत्पत्ति, भारतीय समाज में समृद्धि का प्रतीक माना जाती है । शिशु की मृत्युदर भारत में अधिक है । कम संतान होने से मरने की संभावना अधिक होती है तो परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ऐसी धारणा भारत के समाज में बनी हुई है । दो बच्चे को आदर्श परिवार माना जाए तो भी कम ही लोग स्वीकार करते हैं । इस तरह से अनेक समस्याएं है जिनके अध्ययन की आवश्यकता है । इस शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों मे विवाह के प्रति मानव की स्वीकृति एवं अस्वीकृति कहां तक है जानने का प्रयास किया गया है ।

समस्या का कथन : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है जबकि इसके बाद की अवस्था में यह प्रवृत्ति तो पाई जाती है परंतु शांत एवं संरचना का भाव निहित रहता है । आज यह आवश्यकता है कि अल्प आयु एवं पूर्ण किशोरावस्था में विवाह करने के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन हो ।

उपयुक्त विवेचना के आधार पर शोध समस्या का शीर्षक निम्न वत है ।

"माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन"

शोध का उद्देश्य : शोधार्थी द्वारा निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं ।

(1) माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।

(2) विषय वर्ग के आधार पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना ।

परिकल्पना : निम्नलिखित परिकल्पनायें है ।

(1) माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

(2) माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

(3) माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

(4) माध्यमिक स्तर के कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

शोध विधि : शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है । सर्वेक्षण विधि में मुख्य रूप से तीन प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है वे सूचनाएं हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, तथा हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? ।

न्यादर्श : न्यादर्श एक समष्टि का वह अंश होता है, जिसमें समष्टि के अध्ययन हेतु समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिनिधित्व दिखाई पडता है । चूंकि संपूर्ण समष्टि पर.शोध कार्य करना, समय, शक्ति, श्रम, धन एवं परिणाम की दृष्टि से बहुत कठिन है । इसीलिए संपूर्ण समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है । उन पर उनके आंकड़े प्राप्त करके शोध कार्य पूर्ण किया जाता है । इस न्यादर्श मे ऐसे माध्यमिक स्तरीय सरकारी विद्यालय आते हैं जो प्रयागराज जनपद के शहरी क्षेत्र में सरकारी मान्यता प्राप्त हैं । इनमें से कुल 400 विद्यार्थियों का चयन किया गया है । जिसमें 200 छात्र एवं 200 छात्राएं सम्मिलित हैं ।

उपकरण : शोध समस्या से संबंधित परिकल्पना के निर्माण के पश्चात उसके परीक्षण के लिए आवश्यक तथा तर्कसंगत आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता होती है । इस शोध अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति की जांच करने के लिए प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित हिंदी वर्जन की "मैरिज एटीट्यूड स्केल'' (MAS) प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है । इस प्रमाणित प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न है । प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख हां या नहीं अंकित है । उन बालकों को इनके सामने अपनी सहमति, असहमति, अनिश्चितता के अनुसार गोला खींचना है । प्रश्नावली में दिए गए सभी प्रश्नों में केवल 28, 29, 31 और 33 को छोड़कर सभी प्रश्न सकारात्मक है । प्रश्नावली में सकारात्मक मूल्यों वाले प्रश्नों के लिए हां पर 3 अंक अनिश्चितता के लिए 2 अंक एवं नहीं के लिए 1 अंक दिया गया है । परंतु नकारात्मक मूल्य वाले प्रश्नों के लिए हां के लिए 1, अनिश्चितता के लिए 2 अंक तथा नहीं के लिए 3 अंक दिया गया है ।

उपकरणों का प्रशासनिकरण : प्रमापीकृत प्रश्नावली को एक प्रतिदर्श पर प्रशासित कराया गया । प्रदत्त संकलन हेतु चयनित न्यादर्श को आवश्यक निर्देश देते हुए प्रश्नावली का प्रशासन किया गया । निश्चित समय के पश्चात प्रश्नावली को संकलित करके फलांकन, प्रश्नावली निर्माण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के सहयोग से किया गया ।

प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधि : शोध उद्देश्यों की प्राप्ति आंकड़ों के संकलन तथा उपयुक्त सांख्यिकीय प्रविधि के विश्लेषण द्वारा ही संभव है । प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात के मान का प्रयोग शोध अध्ययन में किया गया है ।

(1) मध्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र :

M = A.M.+(€fd/N)×i

(2) मानक विचलन ज्ञान करने के लिए प्रयुक्त सूत्र :

S.D. = (♂) ✓€fd²/N -(€fd/N)²

मध्यमान तथा मानक विचलन की गणना से प्राप्त मानो की सहायता से क्रांतिक अनुपात(C.R) मान की गणना की गई ।

(3) क्रांतिक अनुपात मान के लिए प्रयुक्त सूत्र :

$$C.R. = m^{1}-m^{2}/\checkmark ♂^{2}/N^{1}+♂^{2})N^{2}$$

सार्थकता स्तर के लिए शोध में 0.05 एवं 0.01 स्तर पर विभिन्न मध्यमानो के बीच अन्तर के सार्थकता की जांच की गई उसी पर विभिन्न अभिवृत्तियों को स्वीकार एवं अस्वीकार किया गया है ।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या : माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात की तालिकाओं को प्रस्तुत किया गया है ।

परिकल्पना सं. 01 :

माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.1

क्र.सं.	माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1	छात्र N=400	84.25	13.32	3.25	+0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है
2	छात्राएं N=400	87.10	11.35		

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों का विवाह के प्रति मध्यमान 84.25 तथा मानक विचलन 13.32 है तथा माध्यमिक स्तर की छात्राओं का विवाह के प्रति मध्यमान 87.10 तथा मानक विचलन 11.35 है । दोनों समूहों के मध्य क्रांतिक अनुपात का मान 3.25 है जो कि सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है ।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है,, अस्वीकृत की जाती है क्योंकि उपयुक्त विवेचना में माध्यमिक स्तर के छात्रों की अपेक्षा माध्यमिक स्तर के छात्राओं में विवाह के प्रति सापेक्ष अंतर है ।

परिकल्पना सं.02

माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.2

क्र.सं.	कला वर्ग के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक	क्रान्तिक	सार्थकता स्तर

			विचलन	अनुपात	
1 2	कला वर्ग के छात्र N=200 कला वर्ग की छात्राएं N=200	85.07 86.53	11.13 10.75	1.33	किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर नही है

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग के छात्रों का मध्यमान 85.07 है तथा मानक विचलन 11.13 है तथा माध्यमिक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं का मध्यमान 86.53 है तथा मानक विचलन 10.75 है । दोनों समूहों के मध्य क्रांतिक अनुपात का मान 1.33 है जो सार्थकता के किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित नहीं करता है ।

अत: परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के कला वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है । उपरोक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर के कला वर्ग की छात्राओं का मध्यमान छात्रों की अपेक्षा अधिक है लेकिन सार्थक अंतर न होने के कारण परिणाम समान है ।

परिकल्पना सं. 03

माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.3

क्र.सं.	विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1 2	विज्ञान वर्ग के छात्र N=200 विज्ञान वर्ग की छात्राएं N=200	88.71 87.70	14.27 11.95	3.04	+0.01 स्तर पर सार्थक अंतर है

उपरोक्त तालिका को देखने से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान वर्ग के छात्रों का विवाह के प्रति मध्यमान 88.71 है तथा मानक विचलन 14.27 है, तथा विज्ञान वर्ग की छात्राओं का विवाह के प्रति मध्यमान 87.70 तथा मानक विचलन 11.95 है । इन दोनों समूहों के मध्य क्रांतिक अनुपात का मान 3.04 है जो सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करता है ।

अत: परिकल्पना "माध्यमिक स्तर के विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं के मध्य विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है ।

उपयुक्त तालिका के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर की विज्ञान वर्ग की छात्राओं का मध्यमान विज्ञान वर्ग के छात्रों की अपेक्षा अधिक है ।

परिकल्पना सं. 04

माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राओं का विवाह की अवधारणा के प्रति मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात की तालिका :

तालिका सं. 0.4

क्र.सं.	कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता स्तर
1	कला वर्ग के छात्र-छात्राएं N=400	85.80	10.95	0.11	किसी भी स्तर पर सार्थक अंतर नही है
2	विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं N=400	85.70	13.29		

(4) माध्यमिक स्तर के कला एवं विज्ञान दोनों वर्ग के छात्र-छात्राओं की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति समान है अर्थात दोनों शासन द्वारा निर्धारित उम्र पर विवाह करने के पक्ष में है ।

सुझाव :

(1) विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में विवाह, परिवार विषय को सम्मिलित किया जाए जिससे जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों तथा परिवार से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक बनाया जा सके ।

(2) महिलाओं को घर से बाहर निकलकर रोजगार प्राप्त करने, आत्मनिर्भर होने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे शीघ्र विवाह का विरोध, जनसंख्या वृद्धि पर रोक आदि पर महिलाएं निर्णय ले सकें ।

(3) माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में पाठ सहगामी क्रियाओं में विवाह, परिवार आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

(4) समाज में महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देना चाहिए वे शिक्षित होंगी तो समाज में अनेक बुराइयों का खात्मा हो सकता है ।

शैक्षिक निहितार्थ : प्रस्तुत अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित है ।

(1) आज के आधुनिक समय में पिछड़ी एवं निम्न जातियां विवाह के प्रति जागरूक नहीं है । जिसका मूल कारण अच्छी शिक्षा का अभाव है । अनुसंधान के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त छात्र-छात्राएं सभी जाति एवं वर्ग के लोग कम उम्र में विवाह करना नहीं चाहते हैं परंतु इसके लिए उन्हें जागरूक करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करनी होंगी, जो शासन द्वारा करनी चाहिए जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके ।

(2) निम्न एवं पिछड़ी जातियों को विशेष रूप से जागरूक बनाने की आवश्यकता है उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि अति शीघ्र विवाह से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं । तथा कम उम्र में मां बनना यह महिलाओं को कमजोर और बीमार बना देती हैं वहीं पर जनसंख्या वृद्धि, से अधिक समस्याएं को बढ़ावा मिलता है ।

(3) समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है । जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब कम उम्र में विवाह जैसे बंधन में लोग बधना नहीं चाहेंगे परिवार का ढांचा आर्थिक स्थिति खराब होने से बिगड़ जाती है और घर में विपन्नता आ जाती है सभी प्रकार के विकास रूक जाते हैं उनकी सोच केवल रोटी,कपड़ा और मकान तक ही सीमित हो जाती है । इसके लिए सुझाव की आवश्यकता है ।

भावी अनुसंधान हेतु सम्भावनायें : भावी अनुसंधान हेतु निम्नलिखित संभावनाएं हैं ।

(1) प्रस्तुत शोध प्रयागराज जनपद के शहरी छात्र छात्राओं पर किया गया है ।भविष्य मे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी शोध किया जा सकता है ।

(2) यह शोध माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के बीच किया गया है अत: भविष्य में समाज के अन्य आयु वर्ग स्नातक स्तर के लोगों पर भी शोध किया जा सकता है ।

(3) प्रस्तुत शोध केवल विवाह को लेकर किया गया है भविष्य में विवाह के साथ-साथ दहेज, जनसंख्या वृद्धि, परिवार की अवधारणाओं पर भी शोध किया जा सकता है ।

(4) प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में विवाह के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है भविष्य में समग्र रूप से इस पर समूह द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा सकता है ।

(5) विवाहित और अविवाहित स्त्री पुरुषों पर विस्तृत क्षेत्र पर अनुसंधान किया जा सकता है ।

संदर्भ :

1. www.unicef.org/.../2013childmarraige...
2. en.wekipedici.org/.../childmarraigein....
3. अग्रवाल, सी.(2003),भारतीय नारी : विविध आयाम, दिल्ली : इंडियन पब्लिशर्स ।
4. कपिल, एच. के. (2007), अनुसंधान विधियां, आगरा : हरप्रसाद भार्गव ।
5. कुमार, आर. (2005), नारी के बदलते आयाम, नई दिल्ली : अर्जुन पब्लिशिंग हाउस ।
6. गुप्ता, एस.पी. (2005), साख्यिकीय विधियां, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन ।
7. चंद्रलेखा, (2014), प्राचीन भारत में लड़कियों के विवाह की आयु,अनुकृति ।
8. जैन, शोभिता, (2004), भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स ।
9. शर्मा, कुमुद (2002), नारी शिक्षा की चुनौतियां, समाज कल्याण के क्षेत्र, समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
10. सिंह, एम.एन. (2006), महिला सशक्तिकरण का सच, नई दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन्स ।
11. सारस्वत, मालती (1979), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, लखनऊ : आलोक प्रकाशन ।
12. राजा रमन, इंदिरा (2007), 11वीं योजना में महिलाएं, योजना 51(2), 321 ।
13. राय, पारसनाथ (2006), शैक्षिक अनुसंधान, आगरा : लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ।
14. भाटी, कांता (2004), महिला उत्पीड़न, दहेज, प्रताड़ना तथा दहेज हत्या, जयपुर पोइन्टर पब्लिशर्स ।

मेवाड़ के संस्कृत–शिलालेखों का मूल्यांकन

डॉ० मधुबाला जैन
अतिथि व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय मावली, उदयपुर, राजस्थान।

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 21-33
Publication Issue :
May-June-2022
Article History
Accepted : 05 June 2022
Published : 15 June 2022

शोध सारांश– सांस्कृतिक विकास एवं समृद्धि हेतु शिल्प, वास्तुकला, साहित्य एवं कला ने मेवाड़ को कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा दिया। चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ, राणकपुर के जैन मन्दिर, सूर्य–मंदिर जहाँ शिल्प के बेजोड़ नमूने हैं वहीं सैन्य स्थापत्य कला में कुंभलगढ़ का कोई सानी नहीं है।

मुख्य शब्द– मेवाड़, संस्कृत, शिलालेख, मूल्यांकन, साहित्य, सांस्कृतिक, राजस्थान।

राजस्थान इतिहास उज्ज्वल और गौरवमय रहा है। यह प्रदेश वीरत्व एवं शौर्य की क्रीडास्थली रहा है लेकिन जिन गुणों ने इसके इतिहास को गौरवान्वित किया है तथा इसे अमरत्व प्रदान किया है, वे मात्र वीरत्व एवं शौर्य के गुण ही नहीं है, अपितु उनके प्रेरक वे आदर्श एवं जीवनमूल्य हैं, जिन्होंने उनकी वीरता को एक अनूठी गरिमा और महिमा से मंडित किया। इसी राजस्थान के मेवाड़ प्रान्त की गौरवमयी परम्परा ने राजस्थान की धरती को महिमा–मंडित किया है।

वीर–प्रसविनी मेवाड़ की भूमि मात्र शौर्य, बलिदान, त्याग और देशानुराग की स्थली ही नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति की पोषक और संरक्षक भी रही है। मातृ–भूमि की रक्षा के लिए आत्माहुति देने के साथ–साथ संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करने की एक दीर्घकालीन परम्परा मेवाड़ के इतिहास में दिखाई देती है। राष्ट्रीय संस्कृति के मूलमन्त्र 'शस्त्रेण रक्षितः राष्ट्रे शास्त्रचिन्ता प्रवर्तते।' का पूर्णतः पालन मेवाड़–प्रदेश ने किया।

संस्कृत शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश में अनेक महाराणाओं ने समय–समय पर विद्वानों को प्रश्रय एवं अनुदान देकर प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप संस्कृत साहित्य के अध्ययन के प्रति लोगों में अनुराग उत्पन्न हुआ। यद्यपि संस्कृत सर्वमान्य भाषा तो नहीं बन सकी तथापि अनेक इच्छुक लोगों को संस्कृत–साहित्य के अध्ययन के प्रति रूचि जागृत हुई। अतः एक ओर परम्परागत वैदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य का इस क्षेत्र में प्रचार हुआ जिससे प्राचीन साहित्यिक धरोहर को अक्षुण्ण रखा जा सका तथा दूसरी ओर संस्कृत में कतिपय मौलिक रचनाओं का सृजन भी हो सका। मेवाड़ के लगभग सभी महाराणाओं ने संस्कृत साहित्य की प्रगति में यथासम्भव योगदान दिया। मेवाड़ प्रदेश में अनेक उत्कृष्ट प्रशस्तिकार तथा कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाएँ संस्कृत में गद्य और पद्यों द्वारा सृजित की। प्रशस्ति रचनाओं द्वारा मेवाड़ के धर्मानुष्ठान एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता रहा है। मेवाड़ के प्रशस्तिकारों ने न केवल संस्कृत भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ाई अपितु उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा एक नई प्रेरणा भी विकसित की जो भविष्य

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

के साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शक बनी। मेवाड़ के इन शिलालेखों में पौराणिक एवं ऐतिहासिक वंशावलियाँ दी गई है जिससे मेवाड़ के प्राचीन महाराणाओं के वंशक्रम के बारे में ज्ञान होता है। तत्कालीन शासक, उसके राज्यकाल तथा उसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। उदाहरण के लिए रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित राजप्रशस्ति के प्रारम्भ के पाँच सर्गों में पौराणिक एवं ऐतिहासिक वंशावली दी गई है। इसमें कवि ने महाराणाओं से संबंधित घटनाओं, रचनात्मक कार्यों, तथ्यों का संवत्, तिथि, वार आदि देते हुए प्रमाणिकता के साथ वर्णन किया है। इस प्रकार ये शिलालेख ऐतिहासिकता को भी संतुष्ट करते है।

मेवाड़ के इन शिलालेखों से तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। सम्पूर्ण शासन का सर्वोपरि स्वयं राजा होता था जो राज, महाराज, परमभट्टारक, महाराजाधिराज आदि विरूदों से सम्बोधित होता था। राजा प्रजा के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के नेता थे। वे प्रजा के संरक्षक होते थे जो शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करते थे। गुहिलवंशीय शील के राज्य में अन्य भागों से व्यापारी आकर उसकी जनप्रियता के कारण आकर बसे थे। शील को उसके प्रशस्तिकार ने शत्रुओं की जीतने वाला देव, ब्राह्मण और गुरूजनों का आनन्द देने वाला कहा है। इसके साथ–साथ उसे पृथ्वी का विजेता भी माना है।[1] इन राजनैतिक आचार–नियमों के अतिरिक्त इस युग के शासकों के कर्त्तव्यों में दुष्टों को दण्ड देना, धर्म की रक्षा करना, प्रजा पालन करना, युद्ध में सैन्य–संचालन करना, न्याय वितरण करना, जनोपयोगी कार्यों का सम्पादन करवाना, सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेना आदि भी सम्मिलित थे। आहड़ के हस्तिमाला मंदिर की सीढ़ी पर लगे शिलालेख में शुचिवर्मा को मर्यादा पालन करने वाला, दानी और शत्रुओं को नष्ट करने वाला शासक कहा है जो राजा के सम्बन्ध में ऊपर बताए हुए कर्त्तव्यों की ओर संकेत करता है।[2]

मेवाड़ के महाराणाओं में प्रायः धार्मिक सहिष्णुता प्रचलित थी। बप्पा रावल को शिव की कृपा एवं शैवमतानुयायी हारित राशि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था अतएव उसके वंशज शैव मतानुयायी हुए, परन्तु उन्होंने कभी धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया। जिससे अन्य धार्मिक विश्वासों को भी मेवाड़ में फलने–फूलने का अवसर मिला। मेवाड़ की धरा पर शैव, वैष्णव, लकुलीश सम्प्रदाय, मातृ–शक्ति, तथा जैन मंदिरों की स्थिति से हमें यहाँ के महाराणाओं का सर्वधर्म समभाव की नीति का पता चलता है। आहड़ के जैन मंदिर को देवकुलिका के लेख में शक्तिकुमार 'जैन धर्म' के प्रति उदार दिखाई देता है।[3] सारणेश्वर मंदिर के लेख में राजा अल्लट द्वारा आहड़ में विष्णु के अवतार वराह भगवान का विशाल मंदिर बनवाकर अपनी धार्मिक उदारता को प्रदर्शित किया था, साथ ही मंदिर के निर्वाह के लिए उसने 'गोष्ठिको' की नियुक्ति भी की थी तथा करों की व्यवस्था का निर्धारण भी किया था।[4]

इन प्राचीन मंदिरों के अतिरिक्त वि.सं. 718 वर्ष में कुंडा ग्राम की प्रशस्ति में श्रीबन्ध की पत्नी यशोमती द्वारा विष्णु मंदिर, संवत् 1708 वर्ष में जगत्सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर, संवत् 1774 वर्ष में संग्राम सिंह के शासनकाल में महाराव सुरतान सिंह ने बेदला गांव में विष्णु मंदिर आदि बनवाए। वि.सं. 1028 वर्ष में वेदांगमुनि ने एकलिंगजी के स्थान में नाथों के मठ पर लकुलीश का मंदिर बनवाया। विसं. 1485 वर्ष में चित्तौड़ की महासतियों में महाराणा मोकल ने समिद्धेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा की। वि.सं. 1775 वर्ष में संग्रामसिंह की राजमाता देवकुमारिका ने सीसारमा गाँव में वैद्यनाथ महादेव का मंदिर बनवाया। वि.सं. 1226 वर्ष में श्रेष्ठी लोल्लक ने बीजोलिया ग्राम में पार्श्वनाथ जिनेश्वर का मंदिर बनवाया। वि.सं. 1478 वर्ष में महाराणा मोकल के शासनकाल में जावर नामक ग्राम में पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया गया। वि.सं. 1496 वर्ष में महाराणा कुंभकर्ण ने राणकपुर जैन मंदिर में जिसे त्रिलोक्यदीपक जिनालय कहा जाता है, उसमें ऋषभदेव की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित की। वि.स. 1819 वर्ष में महाराणा श्री अरिसिंह के शासनकाल में शाह कपूरचन्द

ने उदयपुर के हाथीपोल दरवाजे के बाहर चौगान के पास पद्मनाथ तीर्थंकर का मंदिर बनवाया। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के प्रति मेवाड़ के शासकों की सहिष्णुता थी।

राजा के पद के बाद युवराज या महाराजकुमार का स्थान शासन में बड़े महत्व का था। बहुविवाह की परम्परा के कारण राजाओं के अनेक राजकुमार होते थे, अतएव इनमें से एक को उत्तराधिकारी चुन लेना आवश्यक होता था। राजा बहुधा अपने जीवनकाल में ही उत्तराधिकारी बना लिया करते थे जिससे वे युद्ध और शान्ति के समय राजा के सहायक बने रहें और पीछे से उत्तराधिकार की समस्या न उपस्थित हो। कभी–कभी राजा किसी विशेष कारणों से अपने जीवनकाल में ही राज्य–काल से विरक्ति प्राप्त कर शासन का भार राजकुमार को दे दिया करता था। बापा का राज्य छोड़कर सन्यास लेना और खुम्माण को राज्य सुपुर्द करना प्रसिद्ध ही है।[5]

मेवाड़ की शासन–व्यवस्था में मन्त्रियों और उच्चाधिकारियों का राज्य व्यवस्था में विशेष स्थान था। राजा इन्हें अपनी इच्छा से नियुक्त करता था और हटा देता था परन्तु विशेष रूप से जो मंत्री जनहित सम्पादन का कार्य करने में उपयुक्त थे उनका पद पितृ–परम्परा से चलता रहता था। वैसे तो यह आवश्यक नहीं था कि सदैव राजा इन मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य हो, परन्तु वह बहुधा योग्य मंत्रियों का सम्मान करता था। महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय के मंत्रियों में वरिष्ठ धर्मात्मा बिहारीदास हुए जो सर्वाधिकारी पद पर नियुक्त किए गए थे। शास्त्र के जानकार होने के साथ ही सत्य और धर्म के द्वारा ईमानदारी को बीस को बीस ही करते थे। बिहारीदास राजा की अनुमति से दान करते थे। बिहारीदास के मंत्रियों में मुख्य होने पर संग्रामसिंह राजा के वशिष्ठ होने पर दोनों में अनुकूलता प्राप्त हुई।[6] अमात्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक पदों की जानकारी भी इन शिलालेखों से प्राप्त होती है। सारणेश्वर मंदिर के शिलालेख में सान्धिविग्रहिक एवं अक्षपटलिक नामक अधिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अल्लट के समय में सान्धिविग्रहिक के रूप में दुर्लभराज का उल्लेख मिलता है। जिसकी तुलना आज विदेश मंत्री से की जा सकती है। इसी शिलालेख में अल्लट द्वारा मयूर और समुद्र को अक्षपटलिक नियुक्त किया। इस पदाधिकारी का मुख्य कार्य राज्य की आय–व्यय का हिसाब रखने का था।[7]

राज्य की आय के साधन में राजस्व व्यवस्था प्रमुख स्थान रखती थी। यह आय भूमि–कर, दण्ड, शुल्क और अन्य आवश्यक करों पर निर्भर थी इसके अतिरिक्त कृषि, पशुपालन एवं उद्योगों से भी आय होती थी। मेवाड़ में आने वाले विभिन्न देशों के व्यापारियों से विभिन्न प्रकार के कर के रूप में राशि ली जाती थी। सारणेश्वर मंदिर की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कर्णाटक, मध्यप्रदेश, लाट, टक (पंजाब का एक भूभाग) तथा अन्य स्थानों से आने वाले वणिकों के द्वारा दान देना निर्धारित था। यह दान मंदिरों की आवश्यक सामग्री और रख–रखाव में काम लिया जाता था। आहड़ को उच्च व्यापारिक केन्द्र बनवाना अल्लट की एक महान् उपलब्धि थी। मेवाड़ की आय का साधन यहाँ की खनिज उपलब्धता भी थी। जगन्नाथराय प्रशस्ति में कहा है कि मेवाड़ी राजाओं के राज्य में धरती खोदने पर पूर्णरूप से चाँदी निकली।[8] कर व्यवस्था तथा खनिज सम्पदा के अतिरिक्त यहाँ के महाराणाओं द्वारा युद्ध में जीते गए शत्रु–राजाओं से दण्ड–स्वरूप धन लिया जाता था जो राजकीय कोष में जाता था। महाराणा जगत्सिंह के प्रधान भागचन्द ने जब बांसवाड़ा पर विजय प्राप्त की तब रावल समरसिंह ने दण्ड–स्वरूप दो लाख रूपये देकर महाराणा की अधीनता स्वीकार की।[9] इस प्रकार शत्रु–राजाओं के दण्ड–स्वरूप लिए जाने वाले धन से भी राजस्व आय होती थी।

मेवाड़ के इन शिलालेखों में युद्ध–विजय एवं राज्य–विस्तार के वर्णनों की प्रधानता प्राप्त होती है। यहाँ के सूर्यवंशी महाराणाओं ने अपने प्रताप से शत्रु रूपी कीचड़ को सूखा दिया। गुहिल–पुत्र राजा भोज

के युद्ध के समय प्रयाण के समय घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल अन्तरिक्ष में चली जाती है तब ऐसा लगता है जैसे बादल छा गए हो। राजा भोज के तेज दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज सुनकर युवतियों के असहज हो जाने पर शुत्र जंगल में चले जाते हैं।[10] महाराणा राजसिंह की सेना के पास विद्यमान तोपों का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये सुन्दर तोपें शत्रुओं का संहार करने वाली कलिकाएँ हैं। बगल में रखे हुए गोलों के बहाने इन्होंने मुण्ड–मालाएँ पहन रखी हैं। इन तोपों को मौत की दाढे, शत्रुओं के प्राणों का संचय करने वाली कंदराएँ तथा पाताल लोक के घड़ियाओं का वक्रमुख कहा है।[11] इस प्रकार मेवाड़ की सेना शक्ति सम्पन्न थी।

मेवाड़ के इन शिलालेखों से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों के अतिरिक्त कायस्थ आदि का भी उदय हो गया था। व्यवहारिक रूप से वर्णों का बदलाव वर्गों के रूप में हो गया था यथा राजवर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, खेतिहर वर्ग, राज्याश्रित विद्वान वर्ग, निम्न वर्ग तथा साधुवर्ग आदि। धार्मिक कार्यों में संलग्न होने से ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान मिला हुआ था। विभिन्न महाराणाओं ने अपने राज्याश्रित ब्राह्मण गुरूओं के प्रति सम्मान स्वरूप अनेक दान किए। महाराणा राजसिंह अश्वमेघ यज्ञ के समय अपने नवल नामक घोड़े पर अपने गुरू मधुसूदन को बिठाया तथा उसके आगे वे पैदल–पैदल चले।[12] विक्रम संवत् 1226 के बिजौलिया की पार्श्वनाथ प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि वाक्पतिराज के वंशज कुंतपाल के बड़े भाई का पुत्र पृथ्वीराज ने स्वर्ण पर्वत का दान किया तथा स्वर्णादि दश दानों के समूह से तथा नगरदान आदि के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। महाराणा मोकल के काल में ब्राह्मणों की दशा आर्थिक रूप से कमजोर होने पर इन्होंने कृषि कर्म अपना लिया तब महाराणा मोकल ने उन्हें कृषि–कार्य से हटाकर पुनः पूजा पाठ की ओर प्रेरित किया। उन्हें अंगों सहित वेद पढ़ाने की व्यवस्था की।[13]

वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान क्षत्रिय का है। क्षत्रिय वर्ण का कर्म शत्रुओं से रक्षा करना तथा युद्ध करना था किन्तु कुंभाकालीन सभी लोग युद्ध के अभ्यस्त थे क्योंकि यह काल व्यक्तिगत शौर्यप्रदर्शन का था। सभी लोग देश की रक्षा के लिए मर मिटने पर तुले हुए थे। मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा क्षत्रियों के युद्ध में विजित होने पर अनेक उपहार दिये जाते थे। महाराणा जगत्सिंह ने भागचन्द द्वारा बांसवाड़ा विजय करने पर उसे हाथी–हथिनी तथा एक नया महल दिया तथा जीवन पर्यन्त प्रधान की पदवी दी।[14]

वैश्य वर्ण वस्तुओं का क्रय–विक्रय करते थे। पशुपालन, कृषि एवं व्यापार इनका प्रमुख कर्म था। विक्रम संवत् 1010 वर्ष में आहड़ व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात एवं पंजाब से वणिक यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे जिनसे यहाँ पर कर लिया जाता था।[15] इन वर्णों के अतिरिक्त मेवाड़ में कायस्थ वर्ग का भी वर्णन मिलता है। ताम्रपत्रों, शिलालेखों और अन्य पत्रों को लिखने का कार्य ये अधिकारी ही करते थे। सारणेश्वर मन्दिर की प्रशस्ति में पाल और वेल्लक नामक दो कायस्थों का उल्लेख हुआ है। कायस्थ एक जाति के रूप में विकसित हो चुकी थी।

मेवाड़ के शिलालेखों में पारिवारिक जीवन के भी दर्शन होते हैं। समाज में एकल तथा बहुविवाह प्रथा दोनों का प्रचलन था। पति और पत्नी की अनुकूलता ही परिवार के सुख एवं अभ्युदय का कारण होती है। गुहिलवंश में उत्पन्न श्रीबन्ध की पत्नी का वर्णन इसका अनुपम उदाहरण है– 'उसका नाम यशोमती था, वह उसकी पत्नी थी, प्रेम करने वाली यशोमती उत्पथ में जाने वाले चित्त को रोकती थी, विनय के कारण वह अरून्धती भी थी।'[16] मेवाड़ के महाराणाओं एवं समाज में बहुविवाह का प्रचलन था। मेवाड़ के हारित ऋषि के शिष्य द्विज बापा ने सैकड़ों राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह किया।[17] महाराणा कुंभा हमेशा नवीन

राजकन्याओं के साथ प्रतिदिन विवाह करता था। कुछ राजकन्याएँ वीरों द्वारा शत्रु –राजाओं को दण्डित कर प्राप्त करता था, कुछ राजकन्याएँ धन, गज, घोड़े देकर अपने साथ ले आता था, कुछ को युद्ध में हरणकर साथ ले आता था। इस प्रकार महाराणा कुंभा नवीन–नवीन राजकन्याओं से परिणय करता था।[18] मेवाड़ के राजवंशों में अपरिणिता प्रियाओं को रखने का भी प्रचलन था। महाराणा जगत्सिंह की अपरिणीता प्रिया (रखैल) से मोहनदास[19] तथा उपपत्नी से नारायणदास[20] उत्पन्न हुए। समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। गुहिल वंश में महाराजा पद्मसिंह के पुत्र योगराज के छोटे भाई के वंशज बालाक के युद्ध में परलोक जाने पर उसकी पत्नी भोली विद्वानों के समक्ष सती हो गई।[21] मेवाड़ में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था ऐसा शिलालेखों से ज्ञात होता है। पुरूषों के समान 'श्री' लगाया जाता था। महाराणा कुंभा की पुत्री के लिए 'श्रीरमावर्णन' लिखा गया है।[22] पितृवंश के साथ–साथ मातृवंश का वर्णन भी इन शिलालेखों में मिलता है। संग्रामसिंह की माता देवकुमारिका के पितृवंश का वर्णन किया गया है।[23]जिससे स्पष्ट होता है कि मेवाड़ में स्त्रियों को भी प्रधानता दी गई थी। मेवाड़ में जहाँ स्त्रियाँ केवल गृहकार्य तक ही सीमित थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं महाराणा कुंभा ने इस परम्परा को तोड़ा। रमा बाई को शिक्षित किया। रमा बाई ने अपनी संगीत परम्परा को आगे बढ़ाया।[24] महाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह द्वारा खानखाना की स्त्रियों का अपहरण करने पर महाराणा प्रताप ने उन्हें वापस बहन–बेटी के समान संतुष्ट कर भेज दिया।[25] ये आदर्श भी हमें मेवाड़ के शिलालेखों में दृष्टिगत होते हैं जिसमें पराई स्त्री के प्रति सम्मान की भावना अभिव्यक्त होती है। परिवार में कोई भी धार्मिक कृत्य स्त्रियों के बिना पूर्ण नहीं होता था। महाराणा राजसिंह ने पत्नियों के वसनांचलों के साथ गठबंधन कर राजसमुद्र की परिक्रमा की थी।[26] इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मेवाड़ में स्त्रियों को गृहलक्ष्मी और पूजनीय भी माना गया है। परिवार में माता–पिता की प्रधानता होती थी। माता–पिता की बुद्धि, क्षमता, कर्त्तव्यपरायणता, सदाचरण एवं धार्मिकता का प्रभाव सम्पूर्ण परिवार पर पड़ता था। माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार प्राप्त होते थे। पुत्रों के द्वारा ही पितृ–तर्पण कर्म किया जाता था। मेवाड़ के महाराणा लक्षसिंह ने गया को मुस्लिम शासकों के कर से मुक्त किया। पितरों को मुक्ति रूपी अमृत का पान कराया। उसके पुत्र मोकल में भी गया में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण किया। मोकल ने ऋणमोचन और पापमोचन तीर्थ पर कुण्ड का निर्माण करवाया।[27] पुत्र वही होता है जो अपने पितरों को ऋणों से मुक्त करता है, वही व्यक्ति ऋणरहित होता है। यही सोचकर महाराणा जवानसिंह ने अपने खर्चे पर आत्मीय लोगों का पिण्ड–दान दिया। उसके पुत्र सरदारसिंह ने भी पितरों की मुक्ति के लिए यात्राएँ की। जवानसिंह की प्रतिज्ञा को पूरा किया तथा गया में होने वाली क्रियाओं को किया। जवानसिंह के पौत्र स्वरूपसिंह ने भी अपने दादा की प्रतिज्ञा के अनुसार शराब को हाथ नहीं लगाया।[28] मेवाड़ की धरा पर केवल राजवर्ग ही नहीं अपितु सामान्य प्रजा भी उच्च आदर्शों को धारण करती थी। उदयपुर में महाराणा जगत्सिंह के शासन काल में झंझा नामक गुर्जर था जो धर्म की निष्ठा वाला तथा उदार था। उसका पुत्र नाथा नामक गुर्जर था जो अनाथों का बंधु, गुण–समूह का सागर था। उसी के वंश में उसका प्रपौत्र धायभाई मानजी दास था जिसके दान को प्राप्त करके, भिक्षा मांगने वाले लोग पुष्ट और संतुष्ट होते थे।[29] भीमसिंह की माता तथा महाराणा अरिसिंह की पत्नी बडारण रामप्यारी द्वारा मंदिर, बाड़ी, धर्मशाला तथा बावड़ी की प्रतिष्ठा के समय राजा की माता सेविकाएँ सहित अपनी बहू के इस उत्सव को देखकर प्रसन्न हुई, इसकों कहीं भार नहीं माना। बहू द्वारा किए गए खर्चों को व्यर्थ नहीं माना।[30] यह बात तत्कालीन सास–बहू के मधुर रिश्तों को उजागर करती है।

मेवाड़ के इन शिलालेखों के अनुसार धार्मिक जीवन तीन मुख्य धाराओं से प्रभावित था–वैदिक, पौराणिक और जैन। वैदिक अर्थ के प्रधान अंग यज्ञ, बलिदान, श्राद्ध आदि थे। यज्ञों में पशु मारे जाते थे जिनका निषेध उस समय के जैन ग्रन्थों में मिलता है। पौराणिक धर्मों में शिव, विष्णु, देवी की मान्यता थी। ब्राह्मणों को आदर से देखना सभी धर्मों का कर्त्तव्य था। मेवाड़ के शिलालेखों में चित्तौड़, आहड़, जावर, सीसारमा, उदयपुर, कुम्भलमेरू आदि कस्बों में कई शिव, विष्णु, महावीर, वराह आदि देव–देवियों के मंदिर बनाए गए थे। जगत् का देवी मंदिर, चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, समिद्धेश्वर मंदिर, सीसारमा का वैद्यनाथ महादेव का मन्दिर, कुम्भलमेरू का मामादेव मन्दिर, कैलाशपुरी का एकलिंग जी मंदिर, उदयपुर का जगन्नाथराय मन्दिर, जावर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का सारणेश्वर महादेव का मंदिर, चीरवा का मंदिर तत्कालीन धार्मिक सहिष्णुता के द्योतक है। नागदा, चित्तौड़ आदि स्थानों से मिलने वाले कतिपय शिलालेख उस समय के पौराणिक आराध्य देवों की स्तुतियों से भरे पड़े हैं। तीर्थयात्रा करने की प्रथा का भी हमें इन शिलालेखों से पता चलता है। मेवाड़ में सभी सम्प्रदायों को विश्वास और पूजा–पद्धति की पूर्ण स्वतन्त्रता थी इसलिए अनेक जैन आचार्य शैव या वैष्णव मतावलम्बी राजाओं के राज्य में अपने धर्म का प्रचार करते थे। अनेक मंदिरों चाहे वे शिव के हो, विष्णु के हो या देवी के हो या महावीर के हो उन्हें शासकों द्वारा अनुदान प्राप्त होता था। शक्तिकुमार के 977 ई. के शिलालेखों में आहड़ के जैन मंदिर तथा सूर्य मंदिर के बनाए जाने का उल्लेख है।

मेवाड़ के शिलालेख उत्कृष्ट कोटि के साहित्य के निदर्शन है। इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत एवं लोकभाषा है। विक्रम संवत् 8 वीं सदी का अपराजित का शिलालेख उस समय के संस्कृत साहित्य का विशुद्ध उदाहरण है। इस लेख की कविता बड़ी मनोहर है। कुटिल लिपि में लिखे गए लेखों में यह उत्कृष्ट शिल्प का उदाहरण है। नरवाहन के समय का 971 ई. का नाथों का लेख भी रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी श्लोक बद्ध रचना वेदांगमुनि के कृपापात्र आम्रकवि ने की। मेवाड़ के शिलालेखों से यह पता चलता है कि मेवाड़ के संस्कृत गद्य और पद्य लिखने का स्तर बड़ा ऊँचा था और शिक्षा की प्रगति संतोषजनक थी। उस समय के राजा भी विद्या के वैभव से वंचित नहीं थे, जैसा कि नरवाहन को 977 ई. के शिलालेख में कलाओं का आधार और विद्या की वेदी कहा है।[31] श्री एकलिंग जी की प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को गीतगोविन्द और संगीतशास्त्र नामक ग्रन्थों का रचयिता कहा है।[32] महाराणा कुंभा ने संगीत, शिल्पकला, काव्यशास्त्रादि का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने वेद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरणादि विषयों का अध्ययन करते हुए स्वयं साहित्य रचना का कार्य किया। महाराणा कुंभा के समय अनेक विद्वानों, कलाकारों एवं कवि–कोविदों को प्रश्रय प्राप्त था। प्रख्यात शिल्पी सूत्रधार मंडन ने वास्तुशास्त्र और शिल्प विषयक अनेक बहुमूल्य रचनाएँ इनके आश्रय में ही की।

महाराणा कुम्भा ने चार नाटकों की रचना भी की थी, जिनका कीर्तिस्तम्भ की प्रशस्ति में केवल उल्लेख मात्र मिलता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कुम्भा ने इन नाटकों में संस्कृत–भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं (महाराष्ट्री, कर्णाटकी और मेवाड़ी) का भी प्रयोग किया था।[33] इस प्रकार महाराणा कुम्भाकालीन साहित्यिक युग वास्तव में स्वर्णयुग था। मेवाड़ की महाराणा प्रताप के समय में राज्याश्रित कवि चक्रपाणि मिश्र ने विश्वल्लभ, मुहूर्तमाला एवं राज्याभिषेकपद्धति आदि ग्रन्थों की रचना की। महाराणा अमरसिंह के राज्याश्रित कवि जीवन्धर ने अमरसार नामक ग्रन्थ की रचना की। महाराणा जगत्सिंह के काल में कवि रघुनाथ पालीवाल ने जगत्सिंहकाव्यम् तथा पं श्री मोहनभट्ट ने जगत्सिंहाष्टक की रचना की जिसमें प्रशस्ति काव्य की परम्परानुसार महाराणा जगत्सिंह का आशीर्वादात्मक रूप में स्तुतिगान किया गया है। महाराणा

राजसिंह के काल में संस्कृत–साहित्य के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई। इनके समय में वैदिक साहित्य, कर्मकाण्डीय साहित्य, पौराणिक साहित्य एवं विविध विषयक संस्कृत रचनाओं का अत्यधिक प्रचार रहा। महाराणा राजसिंह के राजकीय संरक्षण में प्राप्त कवियों ने अनेक काव्य–रचनाओं का सृजन कर अपने काव्य–कौशल का प्रदर्शन किया। महाराणा राजसिंह के दरबारी कवियों में प्रथम स्थान रणछोड़भट्ट का है। उनके द्वारा रचित राजप्रशस्ति महाकाव्य अत्यन्त प्रौढ़ रचना है, जिसका मुख्य विषय महाराणा राजसिंह की राजनैतिक उपलब्धियों और राजसमुद्र निर्माण कार्य का विशद वर्णन है। राजसिंह के दूसरे महत्वपूर्ण कवि सदाशिव नागर थे जिन्होंने राजरत्नाकर नामक काव्य की रचना की जो एक ऐतिहासिक काव्य है। महाराणा राजसिंह के काल में मुकुन्द ने राजसिंहाष्टक, पं. लालभट्ट ने राजसिंहप्रभोर्वर्णनम्, पं. जगन्नाथ पालीवाल ने राजपट्टाभिषेक–पद्धति की रचना की। महाराणा जयसिंह के समय में रणछोड़ भट्ट द्वारा जयसिंह प्रशस्ति नामक काव्य की रचना हुई। जिसमें जयसमन्द झील के निर्माण का वर्णन किया गया है। महाराणा राजसिंह के पौत्र एवं महाराणा जयसिंह के पुत्र अमरसिंह द्वितीय के शासनकाल में रणछोड़ भट्ट द्वारा अमरकाव्यम्' नामक काव्य की रचना की गई। बैकुण्ठ व्यास नामक पालीवाल ब्राह्मण ने अमरसिंहाभिषेक नामक काव्य की रचना की। इन साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त अनेक धर्म–सम्प्रदायों यथा वैष्णव, शैव तथा जैन मतावलम्बियों के विद्वानों ने साहित्य सृजन किया। गोकुलचन्द्रमा की प्रशस्ति में महाराणा शंभुसिंह द्वारा विभिन्न ग्रन्थों की अलंकार युक्त टीका करवाये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है।[34]

मेवाड़ के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर गुरूओं का समाज में उच्च स्थान था। विद्वानों को आचार्य, पण्डित, उपाध्याय, भट्ट, कविप्रवर आदि कहते थे। गुरू के सान्निध्य में बैठकर शिष्य वेद, धर्म, पुराण, ज्योतिष, गणित, साहित्य, व्याकरण आदि विषयों में ज्ञान प्राप्त करते थे। शिक्षा निःशुल्क होती थी और गुरू–शिष्य का सम्बन्ध घनिष्ठ रहता था। गुरू का शिष्य के चरित्र–निर्माण में पूरा हाथ रहता था। मेवाड़ के महाराणाओं ने विभिन्न गुरूओं के सान्निध्य में अनेक प्रकार की विद्याएँ ग्रहण की। इन शिक्षकों के भरण–पोषण का भार दानप्रिय जनता या राजाओं पर था जो दान और अग्रहार के गाँवों से उनके व्यय की व्यवस्था करते थे। कुंभकर्ण के पुत्र राजा रायमल्ल ने गोपाल भट्ट नामक गुरू को थूर नामक गाँव दिया जिसमें अच्छे अच्छे गन्ने उत्पन्न होते हैं, सुन्दर मूँग की माला उत्पन्न करने वाला पानी सुलभ है, शाली नामक चावल उत्पन्न होते हैं, अच्छे आम उत्पन्न होते हैं, और पानी में कमल खिलते हैं। रायमल्ल के गुरू गोपालभट्ट कामनापूर्ण यज्ञ करने वाले थे, जिसके स्वस्तिवाचन से सम्पदाएँ बढ़ती है, राज्य उन्नत होता है, आपदाएँ और शत्रु नाश को प्राप्त होते हैं।[35]

महाराणा जगत्सिंह ने विद्वान् कृष्णभट्ट को भैंसड़ा नामक गाँव दिया। मधुसूदन शर्मा को आहड़ नामक ग्राम में दो हलवाह जमीन दी।[36] महाराणा राजसिंह ने बड़ी में जनासागर की प्रतिष्ठा के अवसर पर ब्राह्मण गरीबदास को गुणहंडा तथा देवपुरा नामक दो ग्राम प्रदान किए।[37]इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मेवाड़ में गुरूओं का स्थान सम्माननीय था।

मेवाड़ के इन शिलालेखों में महाराणाओं एवं प्रजाजनों द्वारा जनकल्याण हेतु अनेक बाँधों एवं जलाशयों का निर्माण करवाये जाने का वर्णन मिलता है। चित्तौड़ पर शासन करने वाले मौर्य शासकों के काल में मान नामक मौर्य राजा ने तालाब बनवाया जो मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध है।[38] महाराणा लाखा के समय पिछोली के तट पर पिछोला का निर्माण संभवतः किसी बनजारे ने करवाया। महाराणा लाखा के पुत्र मोकल ने ऋणमोचन, पापमोचन तीर्थ और सेतुमण्डन नामक सुन्दरकुण्ड का निमार्ण करवाया।[39] रावत बाघा नामक अपने भाई की मुक्ति के लिए नागदा में निर्मल जल वाले बाघेला नामक तालाब का निर्माण

करवाया।[40] मोकल की हत्या के बाद उनका पुत्र कुंभा मेवाड़ का शासक बना। महाराणा कुंभा का काल निर्माण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण काल था। जैसे शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है उसी प्रकार मेवाड़ में महाराणा कुंभा का काल स्वर्णकाल कहा जाता है। उसने 84 किले तथा अन्य निर्माण करवा कर मेवाड़ को महत्वपूर्ण प्रदेश बना दिया। कुंभा ने कुंभलमेरू दुर्ग में सात तालाब खुदवाये।[41] वर्द्धनपुर में तालाबों का निर्माण करवाया।[42] अपनी पुत्री रमाबाई के नाम से रामकुण्ड या रमाबाई के कुण्ड का निर्माण करवाया।[43]

कुंभा के पुत्र रायमल्ल ने रामा नामक तालाब का विस्तार किया तथा शंकर नामक महान् सरोवर को खुदवाया।[44] महाराणा उदयसिंह ने उदयपुर बसाने के साथ ही उदयसागर सरोवर का निर्माण करवाया। तड़ाग की प्रतिष्ठा पर उसने छीतूभट्ट तथा उसके सहोदर लक्ष्मीनाथ को भूरवाड़ा नामक गाँव दान में दिया।[45]

महाराणा राजसिंह ने वि.स. 1725 में बड़ी नामक ग्राम में तड़ाग की प्रतिष्ठा करवाई तथा अपनी माता जनादे के नाम से इसका नाम जनासागर रखा। इसके निर्माण में 6 लाख 80 हजार रूपये व्यय हुए। तालाब की प्रतिष्ठा के अवसर पर पुरोहित को चित्तौड़ का गिलूंड तथा थामला का देवपुरा नामक गाँव दिया।[46] जनासागर की प्रतिष्ठा के दिन महाराणा राजसिंह की आज्ञा से राजकुमार जयसिंह ने रंगसर नामक तालाब की प्रतिष्ठा करवाई।[47] महाराणा राजसिंह का सबसे बड़ा योगदान गोमती नदी को बाँधकर कांकरोली के समीप राजसमन्द नामक तालाब का निर्माण है। महाराणा ने भी इस कार्य को इतना महत्त्वपूर्ण माना कि इस घटना को काव्यरूप में वर्णित करवाने के लिए दो कवियों को कार्य किया। महाराणा उदयसिंह के काल से निरन्तर जुड़े हुए तैलंगभट्ट परिवार के रणछोड़ भट्ट ने राजप्रशस्ति नाम से काव्य की रचना की।[48] इसे 25 शिलाओं पर शिलांकित करवा कर राजसमन्द की पाल पर लगवाया गया।[49] इसका प्रयास राजसिंह के मंत्री गरीबदास के संरक्षण में सदाशिव नागर ने राजरत्नाकर नामक काव्य की रचना की।

इन दोनों काव्यों में राजसमन्द झील के निर्माण की प्रक्रिया बड़े विस्तार से दी गई है। राजप्रशस्ति में सर्ग 9 से लेकर सर्ग 11 तक निर्माण की प्रक्रिया दी गई है। सर्ग 12 से लेकर सर्ग 22 तक राजसमुद्र की प्रतिष्ठा का वर्णन है। इसके निर्माण का कारण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि कुमार पद में राजसिंह जब विवाहार्थ जैसलमेर गया तो उसने धोयन्दा, सनवाड़, सिवाली, भिगावदा, पंसूर, खेड़ी, छापरखेड़ी, तासोल, मंडावर, भाण लुहाणा, बांसोल, गुठली, कांकरोली और मढ़ा गाँव की सीमा में तड़ाग निर्माण योग्य भूमि देखकर जलाशय बनाने का विचार किया। राज्य प्राप्त करने हेतु रूपनारायण के दर्शन हेतु उधर गया तो एक बार वह स्मृति पुनः हो आई और तालाब बनाने का विचार दृढ़ हुआ। इस हेतु दो बड़े पर्वतों के बीच गोमती नदी को रोककर महासेतु बनाने का प्रयास किया गया। पुरोहित गरीबदास ने शिलान्यास किया। इसकी प्रतिष्ठा एवं निर्माण में कुल एक करोड़ इक्यावन लाख, बहत्तर हजार, दो सौ तैंतीस रूपये, चार आने खर्च हुए।[50] महाराणा राजसिंह ने इसके पश्चात् इसका विधिवत् उत्सर्ग किया जिसमें अनेक महादान किए। इसके साथ ही महाराणा ने पर्वत पर राजमंदिर नामक महल एवं समीप ही राजनगर नामक पुर का निर्माण करवाया।[51] इतना ही नहीं महाराणा राजसिंह ने एकलिंग जी के समीप स्थित इन्द्रसरोवर का जीर्णोद्धार करवाया। महाराणा राजसिंह की रानी जोधपुरी जो राठौड़ रूपसिंह की पुत्री थी उसने महाराणा की आज्ञा से राजनगर में बावड़ी की प्रतिष्ठा की जिसके निर्माण में तीस हजार रूपये व्यय हुए।[52] महाराणा राजसिंह की आज्ञा से उनकी रानी रामरसदे ने देबारी में जया नामक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसमें 24,000 रजत–मुद्राओं का व्यय हुआ।[53]

महाराणा राजसिंह के पुत्र महाराज कुमार जयसिंह ने जहाँ कुमारपद में रंगसागर और देवाली का तालाब बनवाया वहीं शासन–सूत्र संभालने के पश्चात् छप्पन क्षेत्र में गोतोड, पाटन, गामडी, शकुरेडिया, भटवाड़ा, नाक, डीगला, मालक, अधवाड़ा आदि 23 गाँवों की भूमि में तालाब बनाने की योजना बनाई। यहाँ भी मणियाल नामक पर्वत के दो नाकों के बीच में गोमती नदी को बाँधने का प्रयास किया गया। सेतु की लम्बाई 50 गज तथा ऊँचाई 51 गज है। तल में चौड़ाई 600 गज, आगे 50 और विस्तार में 50 गज हैं। इस पर महल, मंदिर और बुर्ज बनवाये गए। इसका वर्णन जयसिंह प्रशस्ति नामक अप्रकाशित काव्य में प्राप्त होता है। यह एशिया की मानव–निर्मित सबसे बड़ी झील मानी जाती है। महाराणा ने इसका नाम जयसमन्द, नगर का नाम जयनगर तथा प्रासाद का नाम जयप्रासाद रखा।[54] फतहसागर का निर्माण करवाया। जो आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

इन विशाल सरोवरों के अतिरिक्त मेवाड़ में अनेक बावड़ियों का निर्माण भी हुआ है। महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने बड़ीपाल के पीछे नीलकंठ महादेव के पास बावड़ी का निर्माण करवाया।[55] संग्रामसिंह की माता देवकुमारी ने सीसारमा गाँव में मीठे जल का कुंड बनवाया।[56] जगत्सिंह द्वितीय के शासन काल में हरिवंश शर्मा ने वापी का निर्माण करवाया।[57] महाराणा जगत्सिंह द्वितीय के विजयराज्य में धायभाई मानजित् ने गोवर्धन विलास में कुंड का निर्माण करवाया।[58] महाराणा जगत्सिंह के विश्वासपात्र देवजीत् ने दिल्ली दरवाजे के पास वापी का निर्माण करवाया।[59]

महाराणा अरिसिंह तृतीय की रानी प्रभु बारातण ने बावड़ी का निर्माण किया।[60] महाराणा अरिसिंह तृतीय के शासनकाल में धायभाई रूपजीत् की पत्नी पूराबाई ने सालेड़ा ग्राम में बावड़ी का निर्माण करवाया।[61] महाराणा अरिसिंह के पुत्र महाराणा भीमसिंह के शासन काल में उनकी माता रामप्यारी जो बाइजीराज के नाम से विख्यात थी उसने बाड़ी में बावड़ी का निर्माण करवाया।[62]

इसके पश्चात् महाराणा स्वरूपसिंह ने स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर तथा महाराणा फतहसिंह ने देवाली के पास फतहसागर का निर्माण करवाया।

मेवाड़ में स्थापत्य कला के प्रतीक मंदिरों और दुर्गों का निर्माण प्राचीन काल से ही होता रहा है। जो आज भी मेवाड़ की सांस्कृतिक अभ्युन्नति को प्रकट करती है। मेवाड़ के शिलालेखों में महाराणाओं द्वारा मंदिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा एवं मंदिर के जीर्णोद्धार तथा दुर्ग–निर्माण से सम्बन्धित अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।

मेवाड़ के शासकों द्वारा सभी धर्मों की प्रति सहिष्णु होने के कारण यहाँ शैव, वैष्णव, जैन एवं शाक्त (देवी) सम्बन्धी मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के निर्माण में अल्लट नामक राजा ने हिमालय के शिखर के समान ऊँचा मुरारि (विष्णु) का मन्दिर बनवाया।[63] लोलक नामक श्रेष्ठी ने बीजोलिया में पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया जो त्रिभुवन के आभूषण स्वरूप है। कीर्तिपूंज मन्दिर को देखकर देवता यह तर्क करते हैं कि क्या मंदिर सुमेरू पर्वत का शिखर है या हिमालय की चोटी है?[64] मेवाड़ के राजा तेजसिंह एवं उनकी रानी जयतल्ल देवी द्वारा चित्तौड़ में पार्श्वनाथ मंदिर बनाये जाने का उल्लेख है।[65]मेवाड़ के राजा समरसिंह ने आबू पर अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया तथा मंदिर में ऊँचा स्वर्ण–दण्ड बनवाया।[66] महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में समिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। राजा मोकल ने एक–एक पत्थर पर इतनी मूर्तियाँ बना दी है कि सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए महल बना दिए हैं, प्रत्येक दिशा की ओर आकाश की सीमा तक फैलते हुए मंदिरों का निर्माण कर दिया।[67] महाराजा मोकल ने समिद्धेश्वर मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा मणि का तोरण बनवाया। उसने इस मंदिर में अनेक धातुओं से सुन्दर सिंह का निर्माण करवाया तथा विष्णु

के मंदिर में पक्षिराज गरूड़ का निर्माण करवाया।[68] महाराणा कुंभा ने रणकपुर में त्रैलोक्यदीपक नामक चतुर्मुख युगादिश्वर का मंदिर बनवाया।[69] कुंभा ने एकलिंग के मंदिर को उच्च तोरण से युक्त बनाया। ऊँची पताकाओं से उसने पुनः इस मंदिर को सुन्दर बनाया।[70] महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने कुंभलमेरू पर्वत पर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया।[71] महाराणा जगत्सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथराय मंदिर का निर्माण करवाया। सफेद वर्ण के ऊँचे इस विष्णु मंदिर पर रत्नों का घट सुशोभित होता है।[72] महाराणा राजसिंह ने श्रीनाथ जी एवं द्वारकाधीश की प्रतिमाओं को मुगल सम्राट औरंगजेब से सुरक्षा प्रदान कर क्रमशः नाथद्वारा और कांकरोली में शरण देकर प्रतिष्ठित किया।[73] महाराणा राजसिंह के पुत्र अरिसिंह ने अपनी माता की इच्छापूर्ति के लिए रामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।[74] महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) ने बड़ीपाल के पीछे दक्षिणामूर्ति महादेव का निर्माण करवाया। महाराणा संग्रामसिंह की माता देवकुमारिका ने सीसारमा गाँव में वैद्यनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा की।[75] इस प्रकार मेवाड़ के महाराणाओं तथा विभिन्न धर्मावलम्बियों के द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया जो आज भी अपने स्थापत्य एवं मूर्तिकला के द्वारा कलाविदों को आश्चर्यचकित कर देते हैं।

दुर्ग–निर्माण प्राचीनकाल से होता रहा है। दुर्गों में गिरि–दुर्ग को श्रेष्ठ माना गया है। मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने राज्य की रक्षा–नीति में दुर्गों के महत्व को समझकर मेवाड़ पर होने वाले आक्रमणों से रक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण कराया। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए हैं। महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग एवं कीर्ति स्तम्भ प्रमुख है। कुंभलगढ़ दुर्ग मात्र मेवाड़ और राजस्थान का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत के दुर्गों में दुर्ग–स्थापत्य एवं सैन्य–स्थापत्य की एक अनोखी रचना तथा विलक्षण स्थापत्य नीधि है। इस दुर्ग का निर्माण–कार्य महाराणा कुम्भा की राज्य–सभा के प्रमुख शिल्पी सूत्रधार मण्डन के निर्देशन में सम्पन्न हुआ। समुद्र तल से 3568 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला इतनी बुलन्दी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ चारों तरफ से कई मील लम्बी उन्नत एवं सुविस्तृत प्राचीर से परिवेष्ठित है। एकलिंग के मन्दिर की प्रशस्ति में कहा भी गया है–कुंभा कुंभलमेरू रूपी आकाश का रत्न था, बीच–बीच में पर्वत से आए झरनों से मनोहर जल से, ऊँचे विन्ध्यपर्वत को धारण किया। ऊँचे दुर्गों को दुर्ग की घाटी में चार दरवाजें से युक्त, प्राचीन दुर्ग को भली प्रकार से नया बनाते हुए, विशाल प्रवेश द्वार वाले दुर्ग को श्रेष्ठ विधाधरों द्वारा बनवाया गया।[76] यह दुर्ग शस्त्रागार, अन्नागार अश्वशाला, हस्तिशाला, भण्डार, राजप्रासाद, देवप्रसाद और जलाशयों आदि से सर्वथा सुविधापूर्ण है।

चित्तौड़ दुर्ग का ऐतिहासिक महत्त्व विश्व–प्रसिद्ध है। यह एक गिरि–दुर्ग हैं तथा धरातल से 500 फीट ऊँचा है। यह चारों ओर से समुद्र प्राचीर द्वारा सुरक्षित है। कीर्ति–स्तम्भ प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़–दुर्ग को अनेक प्रकार से सुदृढ़ किया।[77] कुंभा ने इसमें सात दरवाजे बनवाये जिनमें रामपोल मुख्य है।[78]

महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़ के किले पर राजमहलों के निकट एक स्तम्भ का निर्माण करवाया। यह स्तम्भ विजय–स्तम्भ, कीर्ति–स्तम्भ के नाम से जाना जाता है। कीर्ति–स्तम्भ शिल्प–स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से सारे संसार में अद्वितीय है। यह विशाल स्तम्भ भीतर और बाहर दोनों ओर से अलंकृत है। यह 30 फीट लम्बे और इतने ही चौड़े आधार पर निर्मित है। इसकी ऊँचाई 122 फीट है। इसमें नौ मंजिल तथा 127 सीढ़ियाँ है। इस कीर्ति स्तम्भ पर अनेक प्रकार की मूर्तियाँ नामोल्लेख

सहित प्रतिष्ठित है।[79] इसमें अनेक देवी–देवताओं की मूर्तियाँ है जो महाराणा कुंभा को धर्म सहिष्णु तथा सम्यक् धर्म के उपासक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। मेवाड़ के इन दुर्गों और कीर्ति–स्तम्भ के अतिरिक्त महाराणा कुंभा ने आबू पर्वत के ऊँचे शिखर पर अचलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया। इस दुर्ग पर जाने के लिए सर्वप्रथम हनुमान पोल है। इसके पास ही सुरक्षा–सैनिकों के लिए निवास स्थान बने हुए हैं। दूसरे द्वार चम्पापोल के पास पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। अचलगढ़ के सबसे ऊपरी भाग में कुंभा के महल है। सावन–भादो नामक सरोवर है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ के कुम्भ–स्वामी मंदिर के सामने एक सरोवर रामकुण्ड भी है।[80]

इन दुर्गों के अतिरिक्त महाराणा अमरसिंह द्वारा बनाये गए अमरविलास महल का कर्णसिंह ने जीर्णोद्धार करवाया।[81] महाराणा अमरसिंह ने अमरविलास नामक महल का निर्माण करवाया तथा तालाब के भीतर जगमन्दिर नामक महल बनाया मानो समुद्र के बीच चांदी के पहाड़ हो।[82]

इस प्रकार सांस्कृतिक विकास एवं समृद्धि हेतु शिल्प, वास्तुकला, साहित्य एवं कला ने मेवाड़ को कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा दिया। चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ, राणकपुर के जैन मन्दिर, सूर्य–मंदिर जहाँ शिल्प के बेजोड़ नमूने हैं वहीं सैन्य स्थापत्य कला में कुंभलगढ़ का कोई सानी नहीं है।

संदर्भ–ग्रन्थ सूची

1. नागरी प्रचारणी पत्रिका, भाग–1, पृष्ठ 311–24
2. राजस्थान थ्रू द एजेस, पृष्ठ–313
3. ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग–1, पृष्ठ 130
4. वीरविनोद, भाग–1, पृष्ठ 380
5. एकलिंग महात्म्य, अध्याय–20, श्लोक 21–22
6. सीसारमा गाँव के वैद्यनाथ महादेव जी के मंदिर की प्रशस्ति, द्वितीय प्रकरण, श्लोक–66–69
7. सारणेश्वर महादेव मंदिर की प्रशस्ति, वीरविनोद भाग–1, पृष्ठ 380
8. जगन्नाथराय मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–39
9. राजप्रशस्ति सर्ग 5/28
10. चित्तौड़ के महासती स्थान के दरवाजे की प्रशस्ति–श्लोक–16,17
11. राजप्रशस्ति सर्ग–7/3–4
12. वहीं सर्ग–6/40
13. कुंभलगढ़ प्रशस्ति, श्लोक–217
14. बेडवास सराय के पास बावड़ी की प्रशस्ति।
15. सारणेश्वर मंदिर की प्रशस्ति।
16. कुंडा ग्राम की प्रशस्ति।
17. एकलिंग जी मन्दिर में दक्षिणा द्वार के सामने दीवार में लगी प्रशस्ति–श्लोक–16
18. कुम्भलमेरू पर मामादेव के मन्दिर की प्रशस्ति की चतुर्थी पट्टिका–श्लोक–252
19. राजप्रशस्ति–सर्ग 5/24
20. वहीं, सर्ग 6/8

21. चिरवा गाँव के मन्दिर के दाहिनी ओर की प्रशस्ति–श्लोक–20
22. जावर की प्रशस्ति में श्रीरमावर्णन
23. सीसारमा गाँव के वैद्यनाथ महादेव मंदिर की प्रशस्ति–चतुर्थ प्रकरण–श्लोक–1
24. जावर की प्रशस्ति में श्रीरमावर्णन में श्लोक–1,2
25. राजप्रशस्ति–सर्ग 4/32
26. वहीं, सर्ग 16/6
27. कुम्भलमेरू पर मामादेव के मंदिर की प्रशस्ति के चौथे पाषाण की चतुर्थ पट्टिका–श्लोक–209, 219, 223
28. जगत्शिरोमणि के मन्दिर की प्रशस्ति–श्लोक–36,40,47
29. गोवर्धन विलास में मानजी धायभाई के कुंड की प्रशस्ति–श्लोक–4,5,8–10
30. उदयपुर में रामप्यारी की बाड़ी के मंदिर की प्रशस्ति–श्लोक–8
31. राजस्थान का इतिहास, मध्ययुग भाग–1 जी.एन.शर्मा पृष्ठ–121
32. श्री एकलिंग जी के निजमंदिर में दक्षिणाद्वार के सामने की दीवार में लगी हुई प्रशस्ति–श्लोक 59
33. कीर्तिस्तम्भ की प्रशस्ति
34. गोकुलचन्द्रमा की प्रशस्ति, श्लोक–54
35. श्री एकलिंग जी के निजमंदिर में दक्षिणाद्वार के सामने की दीवार में लगी हुई प्रशस्ति–श्लोक 87,81
36. जगन्नाथ राय मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक 118–119
37. राजप्रशस्ति–सर्ग 8/47–48
38. वीरविनोद भाग–1, पृष्ठ 378–380
39. वीरविनोद भाग–1,कुम्भलमेरू के मामादेव के मन्दिर की प्रशस्ति श्लोक–223
40. राजप्रशस्ति, सर्ग 4:10
41. वीरविनोद भाग–1, एकलिंग जी में दक्षिणाद्वार के सामने की प्रशस्ति श्लोक–51
42. वहीं, कुम्भलमेरू के मामादेव के मन्दिर की प्रशस्ति श्लोक–257
43. वीरविनोद भाग–2, जावर की प्रशस्ति
44. वीरविनोद भाग–1, एकलिंग जी में दक्षिणाद्वार के सामने की प्रशस्ति, श्लोक–74,75
45. राजप्रशस्ति, सर्ग 4:18,19
46. वहीं, सर्ग 8:47–49
47. वहीं, सर्ग 8:41, 42
48. राजप्रशस्ति, प्रत्येक सर्ग का अन्तिम श्लोक
49. वहीं, सर्ग 8:53
50. वहीं, भूमिका–पृष्ठ 35
51. वहीं, सर्ग 18:16
52. वहीं, सर्ग 24:11,12
53. वीर विनोद भाग–2, त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति–श्लोक–58,60
54. जयसिंह प्रशस्ति
55. वीर विनोद भाग–2, बड़ी पाल के पीछे दक्षिणामूर्ति में महादेव के मन्दिर की प्रशस्ति, श्लोक–8
56. वीर विनोद भाग–2, सीसारमा गाँव के वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति का चौथा प्रकरण, श्लोक–29

57. वीर विनोद भाग–2, हरबेनजी के खुरे पर शिवालय की प्रशस्ति, श्लोक–25
58. वहीं, गोवर्धन विलास में मानजी, धायभाई के कुंड की प्रशस्ति, श्लोक–10
59. वहीं, दिल्ली दरवाजे के पास बाईजीराज के कुंड के दरवाजे के सामने पंचोलियों के मन्दिर की प्रशस्ति, श्लोक–28
60. वहीं, प्रभु बारातण की बाड़ी के मन्दिर की प्रशस्ति, श्लोक–11
61. वहीं, मेवाड़ के सालेड़ा ग्राम में पूर्व दिशा वाली बावड़ी पर महादेव मन्दिर की प्रशस्ति
62. वहीं, उदयपुर के रामप्यारी की बाड़ी के मन्दिर की प्रशस्ति, श्लोक–13
63. सारणेश्वर महादेव की प्रशस्ति।
64. बिजौलिया के पार्श्वनाथ मन्दिर की प्रशस्ति–श्लोक–80
65. चित्तौड़ में नौकोठा के पीछे महल के चौक में गड़े हुए स्तम्भ की प्रशस्ति
66. अचलेश्वर मंदिर के पास मठ में लगी प्रशस्ति, श्लोक 53, 54
67. चित्तौड़ के समिद्धेश्वर महादेव के मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–73
68. कुम्भलमेरू पर मामादेव मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–224–225
69. रणकपुर जैन मन्दिर की प्रशस्ति
70. कुम्भलमेरू पर मामादेव मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–240
71. जावर की प्रशस्ति, श्लोक–2
72. जगन्नाथ राय मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक 7, 11
73. उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग–2 पृष्ठ 547
74. रामेश्वर मंदिर की प्रशस्ति श्लोक–18
75. सीसारमा गाँव के वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–18
76. एकलिंग जी के मंदिर में दक्षिणाद्वार के सामने दीवार पर लगी प्रशस्ति, श्लोक 50
77. जी.एन.शर्मा, राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ 574
78. डॉ. डी. एन. शुक्ल, वास्तुशास्त्र भाग–1, पृष्ठ 259
79. डॉ. हर्षप्रभा–कुम्भाकालीन जैन साहित्य, पृष्ठ–39
80. वहीं, पृष्ठ–43
81. जगन्नाथ राय मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक 24
82. सीसारमा गाँव के वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति, श्लोक–44, 45

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

वैदिकसंस्काराणां सामाजिकोपयोगिता

डा.सुधांशुशेखरमहापात्रः
सहाचार्यः, धर्मशास्त्रविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः।

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 34-40
Publication Issue :
May-June-2022
Article History
Accepted : 05 June 2022
Published : 20 June 2022

सारांशः – *मानवस्य सम्पूर्णजीवनं संस्कारमयम्। स च संस्कारः गर्भाधानादारभ्य अन्त्येष्टिं यावत् अर्थात् जननात् प्रागारभ्य मरणादनन्तरमपि प्रचलति। समाजस्य सुरक्षार्थं संस्कार एव मुख्यं साधनं येन संस्कृतो मानवः समाजं सेवितुं शक्नुयात्। स च संस्कारः मनुमतानुसारेण त्रयोदशविधः, याज्ञवल्क्यमतानुसारेण द्वादशविधः तेन मनूक्तः केशान्तसंस्कारः नैव स्वीक्रियते, तथैव व्यासमतानुसारेण तु षोडशविधः। यद्भवतु एतादृशानां संस्काराणां सामाजिकोपयोगिता विषये मया अधुना आलोच्यते।*

मुख्यशब्दाः – संस्काराः, गर्भाधानम्, नामकरणम्, उपनयनम्, विवाहः, अन्त्येष्टिः।

समुपसर्गात् कृधातोः घञि प्रत्यये भूषणार्थे सुडागमे च कृते संस्कारशब्दो निष्पद्यते। स च संस्कारशब्दो विभिन्नेषु भारतीयशास्त्रेषु विभिन्नार्थको दृश्यते यथा– यज्ञाङ्गपुरोडाशेषु प्रोक्षणादिजन्यद्रव्यधर्मत्वेन मीमांसकाः, स्नानाचमनादिजन्यदीवधर्मत्वेन वेदान्तिनः, भावस्य व्यक्तीकरणाय आत्मव्यञ्जनशक्तिरेव संस्कारं इति नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति। अतस्तेषां मते संस्कारो गुण एव। शिक्षा-प्रशिक्षण-संस्कृति-संस्करण-परिष्करण-भूषण-स्मरणशक्ति शुद्धिक्रियादिरूपत्वेन च साहित्यिकाः संस्कारशब्दं सम्यक् व्यवहरन्तो दृश्यन्ते। धर्मशास्त्रेषु मानवस्य कायिक-मानसिक-वाचिकपरिशुद्ध्यर्थमात्मनि जायमानो धर्मविशेषः संस्कार इति प्रतिपादितम्। अत एव मित्रमिश्रेण प्रत्यपादि यत्– आत्मशरीरान्यतरनिष्ठाविहितक्रियाजन्याऽतिशयविशेषः संस्कार इति। स च ब्राह्मदैवभेदेन द्विविधः। गर्भाधानादिसंस्काराः ब्रह्माः, पाकयज्ञादिसंस्कारा दैवा इति।

संस्कारशब्दस्य अंग्रेजीभाषायां सेक्रामेण्ट इत्यार्थो बाहुल्येन व्यवह्रियते। धार्मिकविधिविधानमेव तस्य शब्दस्यार्थः। अनेनैव प्रकारेण बहुधार्मिकक्षेत्रे प्रयुक्तः व्याप्तश्चायं शब्दः संस्कृतसाहित्ये शुद्धिप्रायश्चित्तव्रतादिष्वन्तर्भवति।

मनुमतानुसारेण गर्भाधानादारभ्यान्त्येष्टिं यावत् त्रयोदश संस्काराः सन्ति। ते यथा– गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं, जातकर्म, नामकरणं, वहिःनिष्क्रमणम्, अन्नप्राशनं, चूडाकर्म, उपनयनं, केशान्तः, समावर्तनं, विवाहः, अन्त्येष्टिश्चेति। याज्ञवल्क्येन केशान्तसंस्कारं विहायन्ते सर्वे मनुक्ताः संस्काराः स्वीकृताः। तेन प्रायशः केशान्तस्य समावर्त्तनेऽन्तर्भावः कृतः। एते सर्वेऽपि संस्काराः ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यानां द्विजातीनां समन्त्रका एवानुष्ठीयन्ते। शूद्रस्योपनयनसंस्काराभावात्तस्य एकजातित्वाच्च तदतिरिक्ता अन्ये सर्वे संस्कारा यथाकालममन्त्रका एवोपदिष्टाः यथोक्तं [i]याज्ञवल्क्येन–

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्र वर्णस्त्वाद्यस्त्रयो द्विजाः।
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः।।

व्यासमतानुसारेण षोडशैव सन्ति संस्काराः। गर्भाधानादारभ्योपनयनान्ताः दशसंस्काराः ततश्च वेदारम्भः, केशान्तः, स्नानमुद्वाहः, विवाहाग्निपरिग्रहः, त्रेताग्निसंग्रहश्चेति षडिति मिलित्वा षोडश। अङ्गिरसा पञ्चविंशतिसंस्काराः, गौतमेन

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सर्वाधिका: चत्वारिंशत्संस्कारा: अष्टौ आत्मगुणाश्च प्रतिपादिता:। ते यथा– गर्भाधानम्, पुमसवनम्, सीमन्तोन्नयनम्, जातकर्म, नामकरणम्, अन्नप्राशनम्, चौलम्, उपनयनम्, चत्वारि वेदव्रतानि, स्नानम्, सहधर्मचारिणीसंयोग:, पञ्चमहायज्ञा:(ब्रह्मयज्ञ:, देवयज्ञ:, पितृयज्ञ:, अतिथियज्ञ:, भूतयज्ञश्चेति), सप्तपाकयज्ञा:(अष्टका, पार्वण, श्राद्धं, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, अश्वयुजी चेति), सप्त हविर्यज्ञसंस्था:(अग्न्याधेयं, अग्निहोत्रं, दर्शपौर्णमास:, चातुर्मास्यं, आग्रयणेष्टि:, निरूढपशुबन्धु:, सौत्रामणिश्चेति), सप्तसोमसंस्था:(अग्निष्टोम:, अत्यग्निष्टोम:, उक्थ:, षोडशी, बाजपेय:, अतिरात्र, आप्तोर्यामश्चेति), अष्टौ आत्मगुणा:(दया, सर्वभूतेषु क्षान्ति, अनसूया, शौचम्, अनायास:, मङ्गलम्, अकार्पण्यम्, अस्पृहा चेति)। एतेषु संस्कारेषु मनूक्तानां त्रयोदशसंस्काराणां काल: सामाजिकोपयोगश्च प्रबन्धस्यास्य प्रतिपाद्यविषय:।

गर्भाधानम्- [ii] निषेकादिश्मशानान्ता, [iii] निषेकाद्या: श्मशानान्ता: इत्यादिमनुयाज्ञवल्क्यादिवचनानुसारेण गर्भाधानस्य संस्कारेषु प्राथम्यं बोध्यते। गर्भ आधीयते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम् इति। तत् च ऋतावेव भवति गर्भाधानं ऋतौ इति [iv]याज्ञवल्क्यवचनात् इयर्ति गर्भधारणं गच्छति इति ऋतु:। तस्य काल: षोडश रात्रयो भवन्ति। उक्तं [v]याज्ञवल्क्येन–

षोडशर्त्तु: निशा: स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासु संविशेत्।

ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्चतस्रस्तु वर्जयेत्।। इति।।

अत्र निशाशब्दप्रयोगात् गर्भाधानाय दिवसे स्त्रीगमनं न केवलं निषिध्यते अपि तु प्रत्यवायोऽपि श्रूयते। यथोक्तं [vi]प्रश्नोपनिषदि प्राणा वा एते स्कन्दति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते इति। तास्वपि निशासु पुत्रार्थी युग्मासु कन्यार्थी चायुग्मासु संविशेत् इति व्यवस्था विद्यते। एवं यो यथा कामयेत् स तथा प्रजा: प्राप्नुयात्। तत् च ऋतुकालगमनं नियमेन विधीयतेऽगमनेन प्रत्यवायश्रवणात्। उक्तं [vii]वीरमित्रोदये मित्रमिश्रेण–

ऋतुस्नानं तु यो भार्यां सन्निधौ नोपगच्छति।

घोरायां भ्रूणहत्यां युज्यते नात्र संशय:।। इति।।

एवं ऋतुकाले यथाविधि स्त्रियं गत्वा गर्भ आहिते सति तत: प्रभृति आप्रसवात् रजोदर्शनाभावादृतौ स्त्रीगमनस्य निषेधे प्राप्तेऽपि–

यथाकामी भवेद् कापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्।

स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियो रक्षा यत: स्मृता।। इति।।

[viii]याज्ञवल्क्यवचनात् तत् प्रतिप्रसवो दृश्यते। यतो हि स्त्रीणां कृते इन्द्रेण वरो दत्त: यथा भवन्तीनां कामविहन्ता पातकी स्यादिति। अतोऽनृतावपि भार्य्यायामिच्छन्त्यां सत्यां गमनं कार्यमेव। अन्यथा पातकित्वश्रवणात्। अपि च स्वदारनिरतश्चैवेति वचनात् परदारगमनं सर्वथा निषिध्यते। अत एतेषां नियमानां पालनेन स्त्रियो न व्यभिचारं कुर्वन्ति न वा पुरुषा:। तेन समाज: सुशृङ्खलितो भवति जारजसन्तानोत्पत्ते: सम्भावनापि न भवति।

पुंसवनम्– पुमान् सूयतेऽनेनेति पुंसवनम्। येन संस्कारेण पुत्रोत्पत्तिरवश्यमेव भवति स एव पुंसवनमित्युच्यते। प्राक्काले समाजे पुत्राकांक्षा कन्याकांक्षापेक्षया च अधिकाऽऽसीत्। पुत्रेण लोकान् जयति, पौत्रेणानन्त्यमश्नुते इत्यादि [ix]मनुवचनात् पुत्रस्य प्रसंसाऽपि शास्त्रे श्रूयते। अतो गर्भचलनात् प्राक् पुंसवनसंस्कार: क्रियते। [x]गर्भाधानमृतौ पुंस: सवनं स्पन्दनात् पुरा इति योगीश्वरवचनात्। [xi] पुंस्त्वलक्षणानामाविर्भावात्प्राग्गर्भस्थशिशो: लिङ्गपरिवर्त्तनं कर्तुं शक्यते इति स्पष्टमुक्तमायुर्वेदे। अत: तस्मिन्नवसरे गर्भरक्षणार्थं पुत्रोत्पत्तये चायुर्वेदोक्तौषधीनामपि प्रयोग: क्रियते। संस्कारोऽयं गर्भचलनात् प्राक् तृतीये चतुर्थे मासि वानुष्ठीयते। केषांचित् मतानुसारेणायं संस्कार: एकवारं कर्त्तव्यो न प्रति गर्भम्। [xii]आश्वलायनगृह्यसूत्रे पुंसवनविधिरित्थं दृश्यते यत्– गर्भाधानात् तृतीये मासि कस्मिश्चित् पुनर्वसुनक्षत्रे पत्नी उपोष्य स्वकरतले गण्डुषमात्रं दधि

संस्थाप्य तन्मध्ये शिम्बिकावीजद्वयं तदन्तरा चैकं यवं संस्थाप्य पिबेत्। तदा यदा पतिः पृच्छति किं पिबसि इति पत्नी च पुंसवनमिति उत्तरं दद्यात्। एवं त्रिवारं दधि पिबेत्। अस्य संस्कारस्य कर्त्ता स्वयं पितैव।

सीमन्तोन्नयनम्- अयं संस्कारः गर्भाधानात् षष्ठेऽष्टमे वा मासि क्रियते षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्त इति [xiii]याज्ञवल्क्यवचनात्। अस्मिन् संस्कारे पतिः गर्भिण्याः पत्न्याः सीमन्तस्य अर्थात् केशपाशस्योन्नयनं करोति अर्थात् केशपाशमलंकुर्वन् तस्मिन् सीमन्तं रचयति। यतोहि गर्भस्तेन सुस्थितो भवति। [xiv]उक्तमाश्वलायनाचार्येण- गर्भिण्यां गर्भमत्तुं काश्चित् राक्षस्य रुधिराशनाः समायान्ति। तासां निरसनाय गर्भिणीपतिः सीमन्तकरणीं श्रियमावाहयेत्। सीमन्तोन्नयनेन सीमन्तश्रितायाः श्रिया आविर्भावेन अलक्ष्यः क्रूरा राक्षस्य पीडिताः पलायन्ते येन गर्भः सुस्थितो भवति। संस्कारस्य अस्यापरमपि प्रयोजनं यत् गर्भिण्याः केशप्रसाधनेन गर्भभारक्लान्ता पत्नी प्रमोदिता भवति। तेन गर्भस्थस्य शिशोर्विकासः पुष्टिश्च सुतरां जायते। पुनश्च यदा पतिः सीमन्तं रचयति तदा [xv]अयमूर्जस्वितां वृक्षः उर्जेव फलिनी भवेति मन्त्रेण पतिरेकामुदुम्वरीशाखां तेन केशपाशेन सह वध्नीयात्। कृत्यमिदं पत्न्याः फलवत्तायाः प्रतीकमिव प्रतिभाति। वैदिकुयगे सीमन्तोन्नयनावसरे वीणागायका वीणावाद्यपूर्वकं सोमराजस्य स्तुतिमकुर्वन्निति [xvi]भारतीयसांस्कृतिनिधौ प्रतिपादितम्।

जातकर्म - गर्भकोशात् शिशौ जातो जातकर्म विधीयते। पुत्रमुखदर्शनेन पिता तस्य नाभिवर्द्धनात् प्राक् हिरण्येन चमसेन मधुसर्पिषां प्राशनं मन्त्रवत् पिता कुर्यात्। प्रसङ्गेऽस्मिनुक्तं [xvii]मनुना यत्-

प्राङ्नाभिवर्द्धनात् पुंसो जातकर्म विधीयते।

मन्त्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्।। इति।।

यद्यपि वैखानरं द्वादशकपालं निर्वपेत पुत्रे जाते इति वेदोक्तो नियमो विद्यते, तथापि जातप्राणवियोगभयात् अशौचान्ते तत् कर्म कर्त्तव्यम्। जातपुत्रं दृष्ट्वा पितर आनन्दी भवन्ति इति हेतोः जातकर्मणि पितृनुद्दिश्य [xviii]नान्दीमुखी श्राद्धादिकमपि क्रियते। एतत् सर्वमच्छिन्ननाले कर्त्तव्यम्। यतोहि नाभिच्छेदनसमनन्तरमेवाशौचं भवति न ततः पूर्वम्। एवं कुमारे जाते महोत्सवं कुर्वन्ति जनाः, यतो हि पुत्रोत्सवतुल्य उत्सवः नान्यो विद्यते। पुत्र एव पितुः नरकनिवर्तकः। पिण्डोदकदाता रिक्थग्राही चेति सामाजिकी धारणा।

नामकरणम् - नामकरणसंस्कारस्यातीव महत्त्वं विद्यते। यथा व्यवहारार्थं कस्यचिदवस्तुनो नामापेक्ष्यते तथैव मनुष्यस्य मानकरणस्यावश्यकतास्ति। उक्तं [xix]बृहदारण्यकोपनिषदि बृहस्पतिवचनत्वेन-

नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतुः।

नाम्नैव कीर्त्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म।।

एवं च जन्मतो दशमे द्वादशे वा दिनेऽशौचापगते नाम कर्त्तव्यम्। उत्कले एकविंशतिदिवसे नामकरणं सम्प्रति क्रियते। एकं नाम गुह्यं क्रियते अपरं सर्वजनप्रकाशनीय भवति। चतुरक्षरं द्व्यक्षरं वा घोषवदाद्यन्तस्थं पुंसाम् ईकारान्तामयुग्माक्षरं च स्त्रीणां नाम कर्त्तव्यम्। उक्तं [xx]मनुना-

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्।

मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्।। इति।।

वर्णभेदेनापि नामकरणे भेदो दृश्यते यथा ब्राह्मणस्य नाम मङ्गलसूचकं क्षत्रियस्य कलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य च जुगुप्सितं स्यात्। पुनश्च ब्राह्मणस्य नाम्नोऽन्ते शर्मा, क्षत्रियस्य वर्मा, वैश्यस्य गुप्ता, शूद्रस्य च दास इति उपमान संयुज्येते। यथोक्तं [xxi]व्यासेन-

शर्मेति ब्राह्मणस्योक्तं वर्मेति क्षत्रियस्य तु।

गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूद्रयो:।। इति।।

एतच्च नाम देवानां महापुरुषाणां वा यथा स्यात् तथा देयमिति केचित् मन्यन्ते। तेन न केवलं तन्नामोच्चारणेन पुण्योदयो भवति, अपि तु तेषामादर्शेनाभ्युत्थानाय च प्रेरणाऽपि लभ्यते। नाम्ना: प्राक् श्रीशब्दयाजनस्य परम्परापि वर्तते। देशेविशेषे स्वनाम्ना सह वंशनाम, ग्रामनाम, पितृनाम-संबोधनस्यापि परम्परा विद्यते।

निष्क्रमणम् – [xxii]जन्मश्चतुर्थे मासि शिशु: सूतिकागृहात् बहिरानीयते। प्रथमं मातुर्गर्भान्निष्क्रम्य प्रसूतिगृहं ततश्च निष्क्रम्य बहिरागत्य विश्वात्मकं व्यक्तित्वं संवर्द्धयितुं समाजे तत् तत् नाम्ना परिचीयते। निष्क्रमदिवसे सूर्यस्य दर्शनं रात्रौ च चन्द्रस्य दर्शनं शिशो: कार्यते। सूर्यस्तु सकलशतक्तेराधारभूत:। अतस्तस्य दर्शनं कारयन् पिता गायति-

[xxiii]**तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्।**

पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद: शतम्।।

शृणुयाम: शरद: शतं प्रववाम: शरद: शतम्।। इति।।

अन्नप्राशनम्- जन्मत: षष्ठे मासेऽन्नप्राशनं क्रियते। षष्ठेऽन्नप्राशनं मासीति [xxiv] मनुवचनात् सामान्यत: दधिमधुघृतमिश्रमन्नं शिशवेऽन्नप्राशनाय दीयते। तद् भोजनग्रासं पिता भूर्भुव: स्वरिति व्याहृत्युच्चारणं कुर्वन्नेव दद्यात्। अन्नस्य भोजनं न केवलं जीवनधारणाय अपि तु व्यक्तित्वस्य विकाशनाय कल्प्यते। तद्दिनादारभ्य शिशु: बहिष्ठं खाद्यं गृह्णन् मातृस्तन्यपानात् निवृत्तो भवति। एवञ्च कर्म शुभे लग्ने शुभे योगे शुभे नक्षत्रे शुभे चन्द्रे च कार्य्यम्।

चूडाकर्म- संस्कारोऽयं जन्मत: तृतीये पञ्चमे वाब्दे क्रियते [xxv]मनुना प्रथमेऽब्देऽपि चूडाकर्म विहितम्। उक्तं यथा-

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मत:।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात्।। इति।।

चूडाकरणे शिखाव्यवस्थाऽतीव महत्त्वपूर्णा। शिरस: शिखरे शिरासन्धीनां सन्मिलनं भवति। अस्य स्थानस्याधिपति: रोमवर्त्त:। तच्च मर्मस्थानमिति कथ्यते। तत्र केनापि स्वल्पेनापि प्रहारेण शीघ्रमेव मृत्युर्भवति। अत: तत्स्थाने शिखां बद्धा तस्य रक्षा क्रियते। प्रवरसंख्यानुसारेण चूडासंख्या कल्प्यते। शिरसो मध्ये वसिष्ठगोत्रीया एकां शिखा धारयन्ति। अत्रिकाश्यपा उभयत: एकैकां, भृगवोमुण्डा:, अङ्गिरसगोत्रजा: पञ्चशिखाच्च धारयन्ति। अनयैव व्यवस्थया शिखिनं दृष्ट्वा हिन्दुरयं ब्राह्मणश्चायमिति ज्ञानं सामाजिकानां भवति। एतेन चूडाकरणसंस्कारस्य कियन्महत्वं तत् सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। सम्प्रत्याधुनिकै: शिखाधारणं न क्रियत इति महत: खेदस्य विषय:।

उपनयनम् – वेदाध्ययनार्थं शिष्यस्य गुरोराचार्य्यस्य वा समीपे गमनमुपनयनमुच्यते। अत्र पितैव मुख्य संस्कर्त्ता। [xxvi] अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीतेति वचनानुसारेणोपनयनवेदाध्ययनयोरेककर्त्तृकत्वं बोध्यते। अत उपनयितैवाध्यापयिता नान्य:। यदि पिता वेदमध्यापयितुमसमर्थस्तर्हि स्वयं स्वपुत्रमाचार्यस्य समीपं नीत्वा तस्योपनयनाय प्रार्थयेत्। आचार्यस्तमुपनीय शिष्यत्वेन गृहीत्वा तमध्यापयति।

जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद् द्विज उच्यत इति वचनादुपनयनसंस्कारेणैव द्विजमाप्यते। शूद्रस्य तदभावात्स एकजातिरित्युच्यते। ब्राह्मणादीनामुपनयनाख्ये कर्मणि पितृत्वेनाऽऽचार्यस्य मातृत्वेन च सावित्र्या: कल्पितत्वात् ताभ्यां यद्जन्म तत्तेषां द्वितीयं जन्म ब्राह्मजन्म चेति कथ्यते।

अनेन संस्कारेण संस्कृतस्य मानवस्य सामाजिकं जीवनमारभ्यते। वसन्ते ब्राह्मणं ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यं, गर्भाष्टमे ब्राह्मणं, गर्भैकादशे क्षत्रियं, गर्भद्वादशे च विशमुपनयेदित्यादिवचनेन द्विजातीनामुपनयनस्य विभिन्ना: काला उक्ता: विभिन्नायां कामनायां सत्यां विभिन्नवर्षेष्वपि संस्कारोऽयमुपदिष्ट:। [xxvii]यथोक्तं मनुना-

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्य्या विप्रस्य पञ्चमे।

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे।। इति।।

उपनयनसंस्कारकालस्य परमावधिरपि शास्त्रकारैर्निर्द्धारितः। तद्यथा– [xxviii] आषोडशाद् ब्राह्मणस्य आद्वाविंशात् क्षत्रियस्य आचतुर्विंशाच्च वैश्यस्योपनयनं कर्त्तुं शक्यते। यथोक्तकालानन्तरं ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या अनुपनीता व्रात्या इत्युच्यन्ते। ते समाजे सर्वस्माद् द्विजकर्मणो बहिष्कार्य्या भवन्ति। तदर्थं व्रात्यस्तोमनाम यज्ञानुष्ठानं विहितं येन ते प्रायश्चित्तं कृत्वा पुनः सामाजिका भवितुमर्हन्ति।

विवाहः – सहधर्मचारिणीसंयोगो विवाहः। स्नातकः अविप्लुतब्रह्मचर्यः उत्तमलक्षणयुक्ताम् असगोत्राम् असपिण्डाम् अनन्यपूर्विकां कान्तां यवीयसीं स्त्रियमुद्वहेदिति। [xxix] याज्ञवल्क्यमतानुसारेण कन्याया या योग्यता प्रदर्शिता तादृशी कन्यां गृहीत्वा गृहस्थो भवेत्। वरस्यापि कुलशीलभिजात्यादिकं दृष्ट्वा कन्यादानं क्रियते। न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते इति भारतीयानां धारणा। तेन गृहिणीसनाथ एव गृहस्थ इत्युच्यते। विवाहस्य प्रयोजनत्रयं दृश्यते। धर्मार्थ पुत्रार्थ रत्यर्थञ्च भार्य्या गृह्यते। यागाद्यनुष्ठानार्थं पत्न्या आवश्यकता, पुत्रार्थे जायायाः(पुंनामनरकव्यावर्त्तनाय) सत्यामपि पत्न्यां सत्सु च पुत्रेषु कामतोऽधिकस्त्रीलाभार्थमपि विवाहः क्रियते। भारतीय नारी एकवारमेकवराय प्रदीयते। विवाहानन्तरं परपुरुषचिन्तनमपि तस्याः पापाय कल्प्यते। संकल्पादारभ्य सप्तपदीकर्मान्तं विवाहक्रिया प्रचलति। तेनैव नियमेन सप्तपदीकर्मान्ते वरकन्ये सामाजिकबन्धनेन बद्धे भवतः। ततः प्रभृति उभयोरेकशरीरत्वम् एकधर्मत्वम् एकप्राणत्वञ्च कल्प्यते। अपत्नीको मानवः समाजे कस्मिन्नपि श्रौतस्मार्त्तकर्मणि योग्यो न भवति। अतः सर्वेषां वर्णानां कृते विवाहसंस्कारोऽनिवार्य एव। विवाहः एकः व्यक्तिगतसंस्कारो न भवति। अयं पारिवारिकः सामाजिको वा संस्कार इत्युच्यते। हिन्दुसमाजे पुरुषः सर्वावस्थायां नार्य्यः रक्षणं करोति।

अयमेव विवाहः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यगान्धर्वासुरराक्षसपैशाचभेदेनाष्टविधः। एतेषु प्रथमे चत्वारो धर्म्याः अपरे चत्वारश्चाधर्मा इति। ब्राह्मणश्चतुर्षु वर्णेषु क्षत्रियः त्रिषु, वैश्यः द्वयोः, शूद्राश्च शूद्रमेव कन्यां गृह्णाति स्म। सवर्णाभार्या मुख्या कामतः प्रवृत्तानामानुलोम्येन कन्याग्रहणं कर्त्तुं शक्यते। परन्तु तेन वर्णसंकराः जायन्ते येन कुलधर्मस्य लोपो भवति। विवाहसंस्कारेण बहुविधसामाजिक समस्यानां समाधानेन सह यौनसमस्याया अपि नियन्त्रणं क्रियते इत्यत्र नास्ति संशयः। अनेन प्रकारेण संस्काराः मानवजीवनस्य विकासार्थं समाजस्य कल्याणाय च परिकल्प्यते।

अन्त्येष्टिः – मनुयाज्ञवल्क्यादिभिरन्त्येष्ट्या अपि मरणोत्तरसंस्कारत्वेन स्वीकारः कृतः। मृतं दाहादिना संस्कृत्य तदुद्देश्येन तिलोदकपिण्डदानानि क्रियन्ते अन्यथा तस्य प्रेतत्वं न गच्छेत्। बालानां सिद्धपुरुषाणां महात्मनाञ्च भूमौ निखननं क्रियते। परन्तु सामान्यतः शवस्य दाहसंस्कारः सर्वमान्यो भवति। ततश्च सपिण्डादयः अशौचः यथाविधि पालयन्तः प्रेतोद्देशेन श्राद्धादिकं कुर्वन्ति। सपिण्डीकरणेन प्रेतत्वविनाशेन सह पितृत्वप्राप्तिर्भवतीति शास्त्रेषूक्तम्।

साग्निकनिरग्निकभेदेन ब्राह्मणादिवर्णभेदेन बालवृद्धाद्यवस्थाभेदेन देशकालादिभेदेन चान्त्येष्टिसंस्कारो बहुधा दृश्यते। परन्तु सर्वत्र मृतस्य शुद्धिहेतुत्वेन क्रियमाणत्वात् तस्य संस्कारत्वमेव। एवं समाजस्य सुरक्षार्थं संस्कार एव मुख्यं साधनं येन संस्कृतो मानवः समाजं सेवितुं शक्नुयात्। अतो यावत्पर्यन्तं सामाजिकानां मनः संस्कृतं न भवेत्, तावत् पर्यन्तं समाजे शृङ्खला, अनुशासनं च सम्यकं न प्रचलेत्। अस्मात् संस्कारः सामाजिकतया प्रतीकभूताः साधनरूपाश्च भवन्ति। एतावता संस्काराणां सामाजिकी भूमिका कीदृशी कियती चेति तत् सम्यगवगम्यते।

टिप्पणी-

---

[i].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/10

[ii].मनुस्मृतिः – 2/16

[iii].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/10

[iv].तत्रैव– 1/11

[v].तत्रैव– 1/79

[vi].प्रश्नोपनिषद् – 1/13

[vii].वीरमित्रदये, संस्कारप्रकाशः, पृष्ठा- 153

[viii].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/81

[ix].मनुस्मृतिः – 9/137

[x].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/11

[xi].चरकसंहितायां शरीरस्थानप्रकरणे – 8/3/25

[xii].आश्वलायनगृह्यसूत्रे – 113/2/7

[xiii].याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/11

[xiv].वीरमित्रदये, संस्कारप्रकाशः, पृष्ठा- 172

[xv].पारस्करगृह्यसूत्रम्- 1/15/6

[xvi].भारतीयसंस्कृतनिधौ, पृष्ठा- 17

[xvii].मनुस्मृतिः – 2/29

[xviii].अच्छिन्ननाहेकर्त्तव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मनि(जावालिः), वीरमित्रदये, संस्कारप्रकाशः, पृष्ठा- 192

[xix].बृहदारण्यकोपनिषद् – 3/2/12

[xx].मनुस्मृतिः – 2/33

[xxi].वीरमित्रदये, संस्कारप्रकाशः, पृष्ठा- 253

[xxii].चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्। मनुस्मृतिः – 2/35

[xxiii].भारतीयसंस्कृतनिधौ, पृष्ठा- 20

[xxiv].मनुस्मृतिः – 2/34

[xxv].तत्रैव– 2/35

[xxvi].तत्रैव– 2/34

[xxvii].तत्रैव– 2/35

[xxviii].वीरमित्रदये, संस्कारप्रकाशः, पृष्ठा- 315

xxix.याज्ञवल्क्यस्मृतिः – 1/52

सन्दर्भग्रन्थसूची-

मनुस्मृतिः –मन्वर्थमुक्तावलीसहिता, मोतिलाल वनारसीदास, दिल्ली, 1990

याज्ञवल्क्यस्मृतिः –मिताक्षराटीकासहिता,डा.गङ्गासागरराय सम्पादित,चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, दिल्ली।

संस्कारप्रकाशः –मित्रमिश्र,चौखम्बा संस्कृत सीरीज्, वाराणसी,1987

चरकसंहिता - राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, नई दिल्ली, 2002

बृहदारण्यकोपनिषद् - गीताप्रेस गोरखपुर, उत्तरप्रदेश

प्रश्नपोनिषद् - चौखम्बासंस्कृतप्रकाशन्, वाराणसी 1961

आश्वलायनगृह्यसूत्रम् - चौखम्बासंस्कृत सीरिज अफिस्,वाराणसी, 1969

पारस्करगृह्यसूत्रम् –चौखम्बाप्रकाशन, वाराणसी, 2007

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

पद्मश्री डा. उषाकिरण खानक 'हसीना मंजिल' उपन्यासमे स्त्री पात्रक जीवन

डा. अरुणा चौधरी
एशोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मैथिली विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना

मेघा झा
शोधार्थी, मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय,
पटना

Article Info
Volume 5, Issue 3

Page Number : 41-46

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

सारांशः- मैथिली साहित्यमे एकसँ एक रचनाकार भेलथि जे मैथिली साहित्यकेँ समृद्ध करबामे पूर्ण मनोयोगसँ अपन-अपन मनपसंद रचनाक माध्यमसँ योगदान दैत आबि रहलनि अछि। पुरुषक संग-संग अनेको महिला लोकनि सेहो अपन-अपन रचनासँ माँ मैथिलीक शृंगार करैत रहलीह अछि जाहिमे एक टा नाम पद्मश्री उषाकिरण खानक नाम आदर बड्ड आदरक संग लेल जाइत अछि। एखन धरि मैथिली साहित्यमे हिनक छओ टा उपन्यास छनि - पहिल अनुतरित प्रश्न (1980), दोसर दूर्वाक्षत (1987), हसीना-मंजिल (1995), भामती (2007), पोखरि-रजोखरि (2017) आ छठम मनमोहना रे (2020)। दू गोट कथा संग्रह - काँचहि बाँस (2003) आ गोनू झा क्लब (2016); चारि गोट नाटक - फागुन, मुसकौलवला, चानोदाई, एकसरि ठाढि; दू गोट बाल उपन्यास - बाल महाभारत, लड़ाकू जनमेजय। दू गोट नाट्य रूपांतरण- नवतुरिया (यात्री) आ मार्यादा भंग (हरिमोहन झा) एतेक हिनक रचना प्रकाशित, प्रसंशित आ बहुचर्चित अछि।

मुख्यशब्दाः - नवतुरिया, मैथिली

उषाकिरण खानक जन्म "लहेरियासरायमे 24 अक्टूबर 1945 ई."[1]मे भेल। जखन ओ सात बरखक छलीह तखन हुनका शिक्षाक लेल पटना ऐंग्ल गर्ल्स हॉस्टल भेजल गेल। ई क्रिश्चियन

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आदिवासीक लेल छल परंच विशेष आग्रहपर हिनक प्रवेश भ' गेलन्हि। ओतहि तीन वर्ष रहलीह। तदुपरान्त कोनो कारणवश लहेरियासराय एल. आर. गर्ल्स स्कूलमे दाखिला ल' लेलीह। बी. ए. आनर्स (इतिहास एवं पुरातत्व)सँ पटना कालेजसँ कयलनि। पटना विश्वविद्यालयसँ प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्वसँ एम. ए. कएलनि। ओकर बाद एशियाई स्टडीज (मिथिला संस्कृतिक परिपेक्ष्यमे) शोध-कार्य कए पी. एच. डी. उपाधि प्राप्त कयलनि।

हुनक साहित्यिक उत्कृष्ठताकेँ देखैत अनेक संस्थान हुनका सम्मान प्रदान कएलक। एहिमे प्रथम बिहार राष्ट्रभाषा परिषद 1998 ई.मे हिनका हिन्दी सेवी पुरस्कार प्रदान कएलक। दोसर राजभाषा विभाग 2000 ई.मे महादेवी वर्मा पुरस्कारसँ पुरस्कृत कएलक। 2001 ई.मे बिहारमे दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कएल गेल। 2010 ई.मे भारत सरकार दिल्लीक संस्था साहित्य अकादेमी, दिल्ली द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार हुनक मैथिली उपन्यास 'भामती'क लेल प्रदान कएल गेल। 'सिरजनहार' उपन्यासपर 2012 ई.मे कुसुमांजलि फाउण्डेशन, दिल्ली द्वारा कुसुमांजलि पुरस्कार भेटलनि। 2014 ई०मे विद्या श्रीनिवास (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)सँ भेटलनि। सिरजनहार उपन्यासपर पं. विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार प्राप्त कएलनि। डा. खान अनेक साहित्यिक डेलिगेशनमे चयनित भए विदेश तक यात्रा कएलनि जाहिमे विश्व हिन्दी सम्मेलन सूरीनाममे 2004 ई०मे भारत सरकारक प्रतिनिधिक रूपमे 2002 ई.मे विश्व हिन्दी सम्मेलन, न्यूयार्कमे बिहार सरकारक प्रतिनिधिक रूपमे, 2000 ई.मे विश्व भोजपुरी सम्मेलन (सेतुन्यास) मारिशसमे, बिहार सरकारक प्रातिनिधिक रुपमे हिनका 2015 ई.मे पद्मश्री पुस्कारसँ सम्मानित कएल गेल। एकर अतिरिक्त कवि रमण पुरकार - 1982, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद हिन्दी सेवा-1993, स्पंदन पुरस्कार – भोपाल – 2013, ब्रजकिशोर वर्मा पुरस्कार 2015, शरच्चंद्र सम्मान पुरस्कार - 2017, कोशी पुरस्कार - 2018, उ. प्र.क सौहार्द्य पुरस्कार – 2016, भारत भारती 2018, प्रबोध साहित्य सम्मान - 2020 आदि पुरस्कारसँ सम्मानित कएल गेल।

उषाकिरण खानक बेसी रचना स्त्री प्रधान अछि। स्त्रीकेँ ओ अपन रचनाक मुख्य पात्र बनबैत छथि कियाकि, कहबी अछि जे 'खग जाने खगहिक भाषा', वे क्या जाने पीर पराई, जिसके पाँव न फटे विवाई'। मैथिलीमे कहबी अछि बाँझ की जानय प्रसूतिक दर्द' तेँ एक महिले एक व्यथित स्त्रीक व्यथाकेँ खूब नीक जकाँ बूझि सकैत छथि आ विशेष क' हुनका बुझबामे अबैत छनि जे ओहन स्थिति, परिस्थिति मे जीवनकेँ जीने छथि। 'हसीना मंजिल' उपन्यासमे लेखिका स्त्रीकेँ मुख्य पात्र

बनौने छथि। एहिमे दू टा स्त्री पात्र प्रमुख पात्र छथि - हसीना आ सकीना। ई उपन्यास दू पीढ़ीक कथा कहैत अछि। हसीनाक पति उसमान जे कहियो जवान छल। देकुलीसँ एहि नगर अपन बाबू संगे अपन शीशाबाला कंगना पहुँचाबय आबय छलैक। दुर्गा पुजामे लहठी बहुत रास बिकाय। ओहि ठाम एक दिन ओकर लगनक गप्प भेलैक। हसीना संग निकाह भ' गेले बीस टाका मेहरे करारपर। से हसीना छल गजब सुन्नर।

हसीनाक कइएक वर्षक बाद जखन गौना भेलैक तखनहि लहेरियासरायमे दंगा-फसाद भेल छलैक। आगि पझा गेल मुदा किछ गोटेक हृदय क्षत-विक्षत भ' गेलैक। किछ लोक नीक भविष्य आ नवका सपनाक कारणे पड़ाय चाहैत छल। उसमान तकर प्रारम्भ कैलक।

उसमान हसीनाकेँ देखने नहि छल मुदा ओकर सुन्दरताक चर्चा सौंसे पसरल छल। लेखिका बहुत स्थानपर पात्रक मुँहें हसीनक सौन्दर्यक बखान करबौलनि अछि- “उज्जर शेखिन सन सकल आ आँखि केहन कारी-कारी चेङा माछ चमचीनीक नवका कटोरी मे छटपटाइत होई”[2]

प्रसिद्ध चित्रकार उपेन्द्र महारथी हसीनाकेँ चूड़ी पहिराबय के बहन्नासँ बजा क' ओकर चित्र बनबय छलाह। उपेन्द्र महारथीक शब्दमे देखल जाय- “भौजी हसीना कें देखै छियै, ओकर आँखि देखलियै? ओहन आँखि हम नइं ककरो देखलियै! हम तकर चित्र बनबय चाहैत छी तेँ सब दिन ओकरा बजा अनै छी।”[3] एहि तरहेँ उपेन्द्र महारथी अपन कतेको चित्रमे हसीनाक आँखि देने छलाह। हसीनाक सौन्दर्यकेँ देखि चित्रकार लोकनि विस्मित रहैत छलाह।

हसीना एक चूड़िहारिन छलीह। घरे-घर जा क' चूड़ी बेचय छलीह। गौनाक बाद सम्पूर्ण गृहस्थी सम्हारि लेने छलथिन। देखल जाय लेखिकाक शब्दमे - "उसमानक माय दुलहिनसँ खुश रहैक। दुलहिन ढेकी पर धान कुटि लैक, सालन भात पका लैक, आँगन सब खूब साफ राखै।”[4] एहि तरहेँ कहि सकैत छी जे हसीना सर्वगुण सम्पन्न महिला छलीह।

हसीना जखन गर्भवती भेलि त' चारू दिस हर्षोल्लासक वातावरण पसरि गेलैक। ओहि बीच दू सम्प्रदायक बीच लड़ाई भेलय। ओहिमे सब किया अपन जीवनक निर्वाहक लेल अपन देश छोड़ि पाकिस्तान जाय लागल। उसमान सेहो पाकिस्तान जाय अपन जीवन निर्वाह करय चाहैत छल मुदा हसीना नहि मानल। ओ अपन देश छोड़ि जयबाक लेल नहि मानल। एहिसँ सिद्ध होइत अछि जे ओ अपने माटि-पानिसँ जुड़ल रहय चाहत छलीह। हुनका मनमे अपन देशक प्रति प्रगाढ प्रेम छलनि।

हसीनाकेँ छोड़ि जखन उसमान पाकिस्तान चलि गेल त' हसीनाकेँ एक टा बेटी भेलैक। उसमान अपन रोजगारमे ओतय लागि गेल। ओतय जा क' ओ दोसर विवाह क' लेलक। किछु दिन प्रतिक्षा कयलाक बाद हसीना अपन बहनोइक संग घर बसौलथि आ अपन पएरपर ठाढ़ रहबाक प्रयास कयलनि। एहि तरहेँ हम कहि सकैत छी जे हसीना एक आत्मनिर्भर महिला छलीह।

सकीना – सकीना एहि उपन्यासक मुख्य स्त्री पात्र छथि। उपन्यासक प्रारम्भ सकीनासँ भेल अछि। सकीना, हसीना आ उसमानक बेटी छलीह। सकीना अपन माय जकाँ चूड़ीहारिनक काज करैत छलीह।

सकीनाक घर लग प्रतिदिन एक बूढ़ व्यक्ति अबैत छलथिन्ह आ किछु देर ठाढ़ भ' क' चलि जाइत छलथिन्ह। ओ एक दिन बूढ़सँ पुछैत छथि- जे तोरा की चाही? कियाक प्रतिदिन अबैत छह? सकीनाकेँ ओहि बूढ़ व्यक्तिसँ एक प्रकारक विशेष स्नेह भ' गेल रहैक। एक दिन ओ ओहि बूढ़ व्यक्तिसँ पूछलैक- "पानि पीब' हो बाबा? प्रतिदिन आब'बला एहि मूक प्रायः बूढ़ासँ जेना सकीनाकेँ परिचय भ' गेल होइक। जेनर ओकरा पसेना सँ डुबल मकड़ीक जाल सन झुर्रीबला सकलसँ अपनैती भ' गेल होइक। ओकर फुफड़ी पड़ल ठोर देखि मोनमे दया उजजलै।"[5] एहि प्रसगसँ बुझाइत अछि जे सकीना एक दयालु स्त्री छलीह।

सकीनाक पति ओकरा छोड़ि क' अरब चलि जाइत छैक। ओतय जा क' ओ दोसर विवाह क' लैत छैक। सकीना चूड़ीहारिनक काज क' क' कहुना बच्चा सभकेँ खुआबैत छथीन। ईदपर कपड़ा खरीद दैत छथीन आ पाठशालामे पढ़बैतं छथि। दिन-राति मेहनत क' बच्चाक पालन-पोषण करैत छथि। एहिसँ बुझाइत अछि जे सकीना बड्ड परिश्रमी, मेहनती आ साहसी महिला छथि!

सकीना ओतय जे बूढ़ रहैत छथि ओ ओकर पिता छथि। ओ सकीनाकेँ लहठीक विभिन्न डिजाइन बनबय सीखबैत छथि। सकीना खूब मोनसँ सीखैत छथि। बूढ़क बनाओल लहठी बाजारमस 'नगीना डिजाइन' बाजारमे खूब बिकाइत अछि। एहिसँ सकीनाक आर्थिक स्थिति नीक भेल जाइत अछि। चारू कात ओकर कलाकारीक चर्च होबए लगैत अछि। सकीनाकेँ भारत सरकार द्वारा 15 अगस्तकेँ सम्मानित कयल जाइत अछि। देखल जाय लेखिकाक शब्दमे – "सकीना बानो को उनकी लोक कला (लाहक चूड़ी) के विशिष्ट ज्ञान के लिये कला अकाकमी, बिहार ने पुरस्कार के लिए चुना है। आगत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को माननीय मख्यमंत्री के हाथों पदक एवं 25 हजार रुपये की

राशि गाँधी मैदान, पटना में प्रदान किया जाएगा।"[6] मिथिला समाज सेहो सकीनाकेँ सम्मानित कएलक – "बड़की टा समारोहमे सकीना के इनाम भेटलै। एक हजार एक टाका, फूल काढ़ल उज्जर शाल- चादर आ एक टा तामाक पत्तर जाहिमे नाम आ इनामक चर्चा छलैक।"[7] कला अकादमीक तरफसँ एक आयोजन भेल छलैक जाहिमे सकीनाकेँ प्रति मास पाँच सय टाका देबाक निर्णय भेल छलैक।

एहि तरहेँ देखैत छी जे सकीना अपन परिश्रमसँ नाम, इज्जत कमौलनि। सकीना एक आत्मनिर्भर महिला छलीह। सकीना जखन लहठीक दोकान खोललथि, ओकर नाम अपन माय (हसीना)क नामपर रखलथि। एहिसँ सिद्ध होइत अछि जे सकीना एक आदर्श पुत्री छलथि।

जैनब- जैनब सकीनाक नेनपनक संगी छथि आ सकीनाक माय कमरुक पत्नी छलीह। "जैनब हसीनाक सखी सुपारी कुलसुमक बेटी छली।"[8] जैनब हसीना-मदीनाक पुतहु सेहो छलीह। जैनब चूड़ी बेचयके काज करैत छलीह। जैनबक बाल-बच्चा पैघ-पैघ छलैक। ओकर चूड़ीक अपन दोकान सेहो छलैक जाहिमे ओकर पति आ सासु बसैत छलैक। ओ निश्चिन्तसँ भोजन पका क' शृंगार क' चूड़ीक छिट्टा माथपर ल' क' बेचय जाइत छलैक। "जैनब कुलसुम सन उज्जर दप्-दप् छै आ ओकरे जकाँ कुइराओन आँखि छैक। छोट नाटी माउग छैक।"[9]

कुलसुम- कुलसुम हसीनाक संगी आ उसमानक बहिन छलि। कुलसुम एक हँसमुख लड़की छलीह। हसीना जे ओकर संगी छलीह, विवाहसँ पहिने ओकरा संगे खूब चौल करैत छलीह। कुलसुम एक भावुक स्त्री छलीह। जखन उसमान अपन देश छोड़ि पाकिस्तान जाय लगैत छथि- "बहिन कनैत बाजल छलैक। बउआ तोँ सौंसे तलाबक एक्के टा पोठी छलह, चल जएबह दूर देश तँ बड्ड सून लागत।"[10] एहिसँ स्पष्ट होइत अछि जे कुलसुम एक भावुक महिला छलीह।

मदीना- मदीना, हसीनाक पैघ बहीन छलीह। दुनू बहिनी संगे चूड़ी बेचय जाइत छलीह। मदीनाक गौना भेला बारह बरख भ' गेल छलैक। एखन धरि संतान नहि भेल छलनि मुदा मदीनाक पति बहुत नीक लोक छलाह। ओकरा विश्वास छलैक अल्लाहपर मुदा मदीना उदास रहैक। मदीनाक पति अहमद मिया संग सेहो बादमे हसीना अपन घर बसौलक।

एहि सब स्त्री पात्रक अतिरिक्त अनेको स्त्री पात्र एहि उपन्यासमे छथि। एहिमे स्त्री जीवनक संघर्षकेँ दर्शाओल गेल अछि। हसीनाक प्रारम्भमे दाम्पत्य जीवन अखण्डित रहैत अछि मुदा बादमे

खंडित भ' जाइत अछि आ किछु समयक लेल एकाकी जीवन जीबाक लेल विवश भ’ जाइत छथि संगहि जखन हुनका ई बुझना जाइत छनि जे एकाकी जीवन जीयब पहाड़ सन भारी आ कठिन होइत अछि त’ एहि परिस्थितिसँ उबरबाक लेल युक्ति लगबैत अपन बहनोई अहमद मियासँ खुल्ला क’ लैत छथि। हसीनाक मरलाक बादो हुनकर इच्छा छलनि जे संतानकँ बापक स्नेह भेटय, से ओकरा एक टा नहि दू टा बापक स्नेह भेटलैक। सकीना अपन अब्बाक सहायतासँ लहठी बनयबाक खूब कलाकारी सिखलनि जाहिसँ ओ अपन जीवनमे बहुत आदर आ सम्मान पओलनि। ई सब हसीना मरणोपरांत जन्नतसँ देखि हृदयसँ गदगद आ हर्षीत भेल हेतीह।

एहि तरहेँ कहि सकैत छी जे पद्मश्री डा. उषाकिरण खान ‘हसीना मंजिल’ उपन्यासमे स्त्री-जीवनक संघर्षकँ सहज, सरल आ मनोरम रूपसँ वास्तविक रूपमे चित्रण कएलनि अछि।

संदर्भ ग्रंथक सूची-

1. भविष्णु- रमण कुमार झा, पृष्ठ सं.- 135
2. हसीना मंजिल- पद्मश्री डा. उषाकिरण खान, पृष्ठ सं.- 20
3. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 27
4. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 22
5. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 07
6. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 97
7. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 105
8. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 29
9. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 24
10. उपरोक्त, पृष्ठ सं.- 37

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

श्रवण बाधित बालकों एवं बालिकाओं को अभिभावकों एवं समाज की सहयोगिता : एक अध्ययन

वन्दना मिश्रा
शोधार्थिनी
विशेष शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय
कोटवा–जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज–221505
(उ0प्र0)

डा0 दीपक कुमार त्रिपाठी
असिस्टेण्ट प्रोफेसर
विशेष शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित) विश्वविद्यालय
कोटवा–जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज–221505
(उ0प्र0)

Article Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 47-53

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 05 May 2022
Published : 30 May 2022

सार

खोये हुए आत्मविश्वास, प्रत्याहरण स्वभाव, हीनभावना से ग्रसित इसी प्रकार के नकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुणों से भरा हुआ एक निःशक्त बालक (विशिष्ट बालक) जिसके मन में द्वन्द चलता रहता है कि मैं अन्य से अलग क्यों हूँ, और वह इसी उधेड़–बुन में फंसा रहता है, इस तरह वो दूसरों से ही नहीं बल्कि अपनों से ही दूर होता जाता है। अपनों से तात्पर्य उनके माता–पिता, अभिभावक, भाई–बहन आदि से है। धीरे–धीरे इनका प्रभाव न ही उसके कार्य–व्यवहार पर पड़ता है बल्कि उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। यह नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके प्रगति एवं विकासशीलता को पूरी तरह से बाधित कर देता है। जिसका मुख्य प्रभाव दिव्यांग बालकों की शिक्षा पर भी पड़ता है, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। परन्तु हमें इस पर विचार करते हुए तथा ऐसे बच्चों को पारिवारिक, विद्यालयी एवे सामाजिक वातावरण देते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएँ और रियायतें देते हुए, उन्हें इस काबिल

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

बनाना है जिससे वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और अन्य बालकों की तरह अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सकें।

शब्द संक्षेप : बालक, विशिष्ट बालक, श्रवण बाधित बालक, अभिभावक, समाज, सहयोग।

प्रस्तावना

अखिल भारतीय जिला अधिकारी सम्मेलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था– ''मैं बच्चों को समाज का उत्पादन सदस्य बनाने में विश्वास रखती हूँ, बच्चे चाहे कोई भी हों।'' इस दृष्टि से विशिष्ट बालकों के लिये यह विचार और भी अधिक महत्व रखता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उसकी क्षमता के अनुरूप अधिक समाजोपयोगी बनाना है। प्रजातांत्रिक देशों में शिक्षा किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है, अपितु सभी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21क जोड़कर शिक्षा को मौखिक अधिकार बना दिया गया है। इनके द्वारा राज्य को यह कर्त्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। यहाँ अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा प्रान करना और अनिवार्य प्रवेश उपस्थिति से हैं तथा निःशुल्क का तात्पर्य – कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या अन्य कोई भी कर अदा करने का उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस अनु0 में माता–पिता, अभिभावकों का बालकों के प्रति कर्त्तव्य भी बताया गया है। इसी प्रकार अनु0 45 में भी राज्य के द्वारा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को विषय में उपलब्ध है। इसके अलावा 46वें अनु0 में कमजोर वर्गों हेतु विशेष रूप से शिक्षा का प्रावधान है। असके अनुपाल के लिए भारत सरकार ने सन् 2003 से 'सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम में गोवा को छोड़कर समस्त देश सम्मिलित है। यहाँ सभी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं पायी है। सभी बालकों से तात्पर्य सामान्य वं विशिष्ट बालक से है।

हमारा यह दायित्व है कि सामान्य बालकों की भाँति ही प्रत्येक विशिष्ट बालकों को उनकी क्षमता एवं अकांक्षा के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनमें आत्मग्लानि, नैराश्य, हीनभावना

और अकर्मण्यता के स्थान पर आत्मविश्वास, आशा और कर्मक्रता के साथ–साथ अपनी दिव्यांगता अशक्तता स्थिति में भी जीवन जीन के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो एवं दिव्यांग की दृष्टि में एक स्वावलम्बन का आकार स्पष्ट हो।

यहाँ विशिष्ट बालक जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा भिन्न–भिन्न परिवारों से बालक आते हैं ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक–ऐसे बालक होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं संरचना इस प्रकार होता है कि उन्हें किसी सामान्य कार्य को करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि औसत (90 से 110) के बीच होती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के ने अधिकांश बालकों के समान होते हैं। जबकि एक विशिष्ट बालक उन्हें कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक वं संवेगात्मक एव रूप से पिछड़े होते हैं जिससे उनके सामान्य बुद्धि एवं पूर्णरूप से विकास पर प्रभाव पड़ता है और वह कक्षा कार्य में लाभान्वित नहीं हो पाता तथा जिसे विद्यालय एवं घर में विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। वह शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। और पी.डब्ल्यू.डी एक्ट 1995 में बना था जिसका कार्य विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी की वकालत की गयी है अर्थात दिव्यांग लोगों के समान अवसर एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात नहीं की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यतः 7 प्रकार की निःशक्तता का वर्णन किया गया है – अल्पदृष्टि, दृष्टिहीनता, मंदबुद्धि, मानसिक बीमारी, श्रवणक्षति, गत्यात्मक निःशक्तता, और कुष्ठ रोग मुक्त।

परन्तु आर.पी.डब्ल्यू.डी. एक्ट (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम) 2016 में दिव्यांगता एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित करते हुए इसे मौजूदा 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार का कर दिया गया है जिसमें– मानसिक भेदता, ऑटिजम, सेरेब्रेल पाल्सी, मानसिक रोगी, श्रवण बाधित, मूक निःशक्तता, दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोगी से युक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकास, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बौद्धिक निःशक्तता, मल्टीपल स्कलेरोसिक, पार्किंसंस रोग, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, स्किल सैल डिजीज, बहुनिःशक्तता।

इन्ही 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में एक प्रकार की दिव्यांगता के श्रवण बाधिता आती है। जब

कोई बालक सामान्य ध्वनि को सुनने में असमर्थ हो जाता है तो उसे अक्षम कहा जाता है तथा इस अवस्था को श्रवण बालिधता कहा जाता है। भारत में इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हर आयु के लोग पाये जाते हैं। इसका सबसे मुख्यकारण ध्वनि प्रदूषण एवं अनेकों प्रकार की बीमारियाँ है।

आर.सी.आई (भारतीय पुनर्वास परिषद) के अनुसार जब बधिरता 70 डेसिबल हो, तो व्यावसायिक तथा जब 55 डसिबल तक हो, तो उसे शिक्षा के लिए प्रयो में लेना चाहिए। योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम (1995) के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जायेगा, जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। समाज कल्याण के अनुसार – ''जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है।

श्रवण दोष सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता हैं यह एक विकलांगता है जो बधिर और सुनने में कठिन दो श्रेणियों में उप–विभाजित है। ''बधिर'' का अर्थ है दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में में 70 डेसिबल सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। ''सुनने में कठिन'' का अर्थ है, दोनों कानों में बोलने की आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल की सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। श्रवण कान के माध्यम से ध्वनियों को समझने की क्षमता है। कुछ लोग किसी ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं होते हैं जबकि कुछ श्रवणयंत्र लगाने के पश्चात एक निश्चित स्तर पर ध्वनियाँ सुन सकते हैं। सुनने में अक्षम होने के कारण व्यक्ति काा शैक्षणिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। श्रवण अक्षम लोग भी ज्यादातर मामले में बोलने में अक्षम होते हैं क्योंकि जब तक व्यक्ति/बालक किसी भाषा को सुनेगा नहीं तब तक उसके मस्तिष्क में भाषा इनकोडिंग एकाधित नहीं होगा जिसके कारण उसमें भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह शब्द उच्चारण करने में असमर्थ होगा चाहे उनके अन्दर वाणी दोष न हो। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि हम तब तक उस भाषा का प्रयोग/बोल नहीं सकते जब तक उसको पहले से सुना न हो जैसे हिन्दी भाषी, मलयालम भाषा नहीं बोल सकते क्योंकि वह हमारे मस्तिष्क में भाषा के रूप में एकत्रित नहीं है। इसी प्रकार श्रवण बाधित बालक क्योंकि सुन नहीं सकता, उसमें भाषा का विकास नहीं हो पाता अतः वह वाणी होते हुए भी शब्द एवं वाक्य नहीं बना पाता और उचित तरह के बात नहीं कर सकता है। परन्तु श्रवण बाधित दूसरों से संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं सांकेतिक भाषा में संवाद करने के लिए हाथों, भुजाओं और चेहरे के भावों का प्रयोग किया जाता है। यह श्रवण बाधित बालकों के किए

संचार का एक अत्यधिक विकसित रूप हैं और यह स्थानीय भाषा के अनुरूप जगह–जगह परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार लिप रीडिंग का भी प्रयोग करके ऐसे बच्चों के साथ सम्प्रेषण किया जाता है।

ऐसे बालक जो सुनने, बोलने, पढ़ने–लिखने आदि योग्यताओं को सीखने एवं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग लाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उनके लिए शिक्षा को ग्रहण करने में कठिनाई बन जाती है क्योंकि अभिभावकों और शिक्षकों को बालक की अधिगम अक्षमता ना पता नहीं चलता। अभिभावक शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण होते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में बच्चों को सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण करना अभिभावकों का उत्तरदायित्व है। बच्चा जिस परिवेश में जन्म लेता है व जिस परिवार या समाज में उसका पालन–पोषण होता है वह उसी परिवेश की भाषा, रहन–सहन और व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। अभिभावक उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहयोग प्रदान करता है। अभिभावक द्वारा जब सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन होता है तथा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में अभिभावकों अभिवृत्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है। अभिवृत्ति से तात्पर्य उनके अनुकूल या प्रतिकूल मनोभावों को प्रदर्शित करता है। यदि घर, परिवार में श्रवण बाधित बालक के अभिभावकों, माता–पिता का बच्चों के प्रति उनकी मनोभावना अनुकूल होगी तो बच्चों के शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव धनात्मक प्रभाव पड़ेगा और यदि प्रतिकूल भावना रही तो शैक्षिक निष्पादन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार माता–पिता, अभिभावकों का एच.आई. बच्चों के प्रति सम्बन्ध अच्छा रहेगा तो श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक निष्पादन पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा अन्यथा प्रभाव खराब भी पड़ सकता है। कोई भी बच्चा अपने परिवार, अभिभावक से पूरी तरह से जुड़ा रहता हैं परन्तु जब श्रवण बाधित बालक के प्रति उनके माता–पिता का आचार–विचार, व्यवहार, अच्छा नहीं है तो वह बालक के सम्पूर्ण विकास को प्रभावित करता है। बालक अपने ही अर्न्तद्वन्द में फंसा रहता है। तथा वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित नहीं हो पाता इसलिए छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सम्बन्ध अच्छा एवं सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।

उपसंहार

इसी प्रकार सहयोगिता से अर्थ – परिवार का उत्तम वातावरण, बालकों के प्रति उचित व्यवहार, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, बालकों का निर्देशन, निरीक्षण, बालकों की अध्ययन व्यवस्था, उनकी दैनिक व्यय की पूर्ति से है जिससे बालकों में आत्म निर्भरता का विकास किया जा सके। इस शोध के सहयोगिता का अर्थ सुव्यवस्था वं अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से है जिससे श्रवण बाधित बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी हो और उनमें मानसिक द्वन्द न उत्पन्न होने पाये।

एच.आई बच्चों के अभिभावकों का बच्चों के साथ सम्बन्ध एवं उनका सहयोग प्रभाव बालकों के शैक्षिक मूल्यांकन पर पड़ता है। यदि अभिभावकों का मनोभावना, सम्बन्ध एवं सहयोग श्रवण बाधित बच्चों के बीच अच्छा रहेगा तो बच्चे उत्साहित, खुश रहेंगे उनके भाषा, वाणी, व्यवहार, आत्मविश्वास, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, शिक्षा आदि पर प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा साथ ही घर में भी उसे अच्छा पृष्ठ पोषण मिलेगा तो उसके शैक्षिक निष्पादन अर्थात् शैक्षिक मूल्यांकन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस शोध में शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के तीन मण्डल के प्रत्येक मण्डल से एक जनपद में पढ़ने वाले 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) के 6–14 वर्ष तक के बच्चों पर छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा पर शोध किया है। शोधार्थिनी ने कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल के श्रवण बाधित छात्र एवं छात्राओं के शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव देखने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है तथा प्रश्नावली के द्वारा उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति, उनका सम्बन्ध एवं सहयोग का शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव के बारे में आँकड़ों को एकत्रित करके विवेचना करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि अभिभावकों की अभिवृत्ति, सम्बन्ध एवं सहयोगिता का श्रवण बाधित विद्यार्थियों शैक्षिक निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. के0 ऐलीब सेलन (1992), द एक्सेप्शनल चाइल्ड : मेनस्ट्रीमिंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, सेकेन्ड एडिशन, डल्मर पब्लिशर्स इंक, न्यूयार्क।
2. चौरसिया बी0डी0 (2003), ह्यूमन एनॉलमी–रीजनल एण्ड एप्लाईड–हेड, नेक एण्ड ब्रेन, थर्ड एडिशन, वाल्यूम–3, सीबीएस पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
3. सिंह अरूण कुमार (2001), उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोती लाल बनारसी दास, दिल्ली।
4. सिंह अरूण कमार (2001), उच्चतर नैदतिक मनोविज्ञान, नरेन्द्र प्रकाश जैन प्रकाशव, मोतीलाल बनारसी दास बंगलो रोड, दिल्ली।
5. शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा, डा0 मालती सारस्वत।
6. मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ।
7. उच्चतर शिक्षा में मनोविज्ञान, डा0 एस0पी0 गुप्ता एवं डा0 अल्का गुप्ता।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन

(A Critical Study of the Elements of Human Rights at the Primary Level of the Present Education System),

डॉ. आलोक कुमार मिश्र, शोध निर्देशक,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.
विजया रानी वर्मा, शोध-छात्रा,(शिक्षक-शिक्षा विभाग), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज उ. प्र.

Info
Volume 5, Issue 3

Page Number : 54-62

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

सारांशः – प्रस्तुत शोध अध्ययन 'वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन' है। शोध अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है और जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 4 व 5 के छात्रों को जनसंख्या के रूप में माना गया है। न्यादर्श के रूप में लॉटरी विधि से 12 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया इसमें से कुल 120 छात्र एवं छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। सांख्यिकी विधि के रूप में मानक विचलन, मध्यमान, एवं टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है। उपकरण के रूप में शोधार्थिनी द्वारा स्वयं निर्मित मानवाधिकार जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई अंतर नहीं है।

मुख्य शब्दावली : – प्राथमिक स्तर, मानवाधिकार, तत्व, शिक्षा प्रणाली, तुलनात्मक अध्ययन आदि।

प्रस्तावना :

मानवाधिकार विश्व की वह आधारशिला है जिसे हमारे वैदिक ऋषियों एवं मुनियों द्वारा हमें वरदान स्वरुप प्रदान किया गया है। मानवाधिकार हमारे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता एवं समानता और उसके सम्मान व प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। यह अधिकार संवैधानिक एवं प्राकृतिक दोनों ही रूपों में हमें प्राप्त है। मानव संवैधानिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। मानव अधिकार सबके लिए एक समान है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध व्यक्ति, इन अधिकारों का हनन किसी प्रकार के भेदभाव अर्थात् जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता है। बाल्यवस्था वह अवस्था होती है जहां बच्चा अत्यधिक जिज्ञासु एवं अनुकरण के आधार पर सीखता है उसका अस्तित्व कोरे कागज के समान होता है जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर प्रत्येक प्रक्रिया या घटना का प्रभाव गहराई से पड़ता है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा एवं अच्छे संस्कारों का विशेष

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

ध्यान दिया जाता है क्योंकि इस अवस्था में प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक स्थाई होते हैं। विद्यालय का स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है इस स्तर की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होती है प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रो. जे.एस. राजपूत का विचार है कि अध्यापक मानवाधिकार का संदेश विद्यालय में ले जाने का सर्वोच्च वाहक होता है उसके मुख से निकले शब्द भविष्य की ओर इंगित करता है। अतः उपयुक्त शिक्षण विधि पाठ्यचर्या एवं अध्यापक मानवाधिकार शिक्षा हेतु एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। राणा, सिंह दीवान (2019) ने B.Ed प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। उन्होंने शोध प्रविधि के रूप में वर्णनात्मक विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया तथा न्यादर्श के रूप में 100 बीएड प्रशिक्षणार्थियों (50 पुरुष 50 महिला) का चयन सोद्देश्य विधि के द्वारा किया, निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि बीएड महिला प्रशिक्षणार्थियों एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। शर्मा, मनीषा (2018) ने अपने शोध 'शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन' में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि शिक्षकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता हैं चाहे वे निजी विद्यालयों में कार्यरत हो या किसी सरकारी विद्यालयों में। सिंह, कुमारी रजनी (2018) ने 'भारत में मानवाधिकारों की परिकल्पना एवं वास्तविक प्रासंगिकता का अध्ययन' किया, अपने लेख में उन्होंने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि मानवाधिकार भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध है। मानवाधिकार का प्रकार भेदभाव का अंत है। आर्य, संगीता (2020) ने उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास पर माड्यूल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया, इन्होंने शोध विधि के रूप में प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया तथा न्यादर्श के रूप में जयपुर शहर के सरकारी व निजी विद्यालय के 120 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया। शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली, बुद्धि लब्धि परीक्षण (डॉ. पी.श्रीनिवासन 2000), सामाजिक आर्थिक स्तर मापनी (सुनील कुमार उपाध्याय और अलका सक्सेना) का प्रयोग किया। निष्कर्ष के रूप में परंपरागत विधि तथा माड्यूल शिक्षण विधि के पश्चात् मानवाधिकार विकास में पर्याप्त अंतर पाया गया।

शोध की आवश्यकता :

शोधार्थिनी द्वारा प्रस्तुत शोध मानवाधिकार के प्रति जागरूकता एवं नागरिकों अधिकारों तथा मानवीय मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में मानवाधिकार की उपयोगिता को महसूस किया बल्कि वह मानवीय गरिमा के उत्थान में भी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करता है। अतः शोधार्थिनी द्वारा यह महसूस किया गया कि मानवाधिकार जैसे बिषय पर शोध की अति आवश्यकता है।

समस्या कथन :

प्रस्तुत शोध समस्या "वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकारों के तत्वों का समीक्षात्मक अध्ययन" है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य है।

● ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

● शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

● ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना :

प्रस्तुत शोध परिकल्पना निम्नलिखित हैं।

● ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

● शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

● ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सीमांकन :

शोधार्थिनी ने समय एवं धन को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध को लखनऊ जनपद के शैक्षिक संस्थानों तक ही सीमित रखा है शोधार्थिनी ने लखनऊ जनपद के प्राथमिक स्तर कक्षा 4 व 5 में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का चयन किया है।

शोध विधि :

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श :

प्रस्तुत शोध में शोधार्थिनी ने जनसंख्या के रुप में लखनऊ जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 4 व 5 में अध्ययन करने वाले कुल 120 छात्र एवं छात्राओं को जनसंख्या एवं न्यादर्श के रूप में चयनित किया है।

उपकरण :

प्राथमिक स्तर पर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने के लिए शोधार्थिनी ने स्वनिर्मित 'मानवाधिकार जागरूकता मापनी' का प्रयोग किया है।

सांख्यिकी विधि :

शोधार्थिनी द्वारा परिकल्पनों के आधार पर प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए t-test, मध्यमान, मानक विचलन तथा द्विमार्गीय प्रसरण विश्लेषण, सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया हैं।

प्रदत्तों का विश्लेषण, व्याख्या एवं परिणाम :

उद्देश्य सं. .01, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H.01, ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का प्रथम उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

प्राप्तांकों की टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .01 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी संख्या .01

ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
1	छात्र	30	125.1	16.30	0.124	0.05 df=58
2	छात्राओं	30	130.12	31.24		

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .01 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि टी-अनुपात का मान 0.124 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। स्वतंत्र कोटियां 58 के साथ टी का मान 0.124 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना .01 'ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : तालिका संख्या .01 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर की छात्राओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं है अतः सारणी संख्या .01 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर की छात्राओं एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता सामान पाई

जाती है। जिसका प्रमुख संभावित कारण ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे अधिकांशतः संयुक्त परिवार में निवास करते हैं जहां पर उनके नैतिक मूल्यों, संस्कारों एवं अच्छे आचरण के विकास पर बल दिया जाता है। दोनों ही समूह पारिवारिक एवं विद्यालयी वातावरण में समान रूप से अपना विकास करते हैं जिसके कारण उनकी जागरूकता में कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है। इस परिणाम की पुष्टि गिर व शर्मा (2006) के शोध अध्ययन कक्षा 9-12 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की इस वर्ष के सभी विद्यार्थियों में सामान्य स्तर की सामाजिक परिपक्वता पाई जाती है।

उद्देश्य सं.02, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H,02, शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान, प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

प्राप्तांकों की टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई है एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .02 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी संख्या .02

शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का मान।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
1 2	छात्र छात्राओं	30 30	126.7 131.5	16.65 32.01	0.728	0.05 df=58

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टी का मान 0.728 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। स्वतंत्र कोटियां 58 के साथ टी का मान 0.728 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है। अतः प्रस्तुत अध्ययन की शून्य परिकल्पना .02

'शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : तालिका संख्या .02 से यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में पर्याप्त सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है। अतः सारणी संख्या .02 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह है कि सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जिसके कारण शहरी क्षेत्र के अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक हैं। बालक एवं बालिका दोनों की शिक्षा की समानांतर व्यवस्था प्रदान करते हैं। प्राप्त परिणाम की पुष्टि त्रिपाठी, विवेक नाथ एवं मिश्र, दुर्गेश कुमार (2016) ने भी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं होता है, से किया जा सकता है।

उद्देश्य सं.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H.03, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्रस्तुत शोध का तृतीय उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमानों प्राप्तांकों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

प्राप्तांकों का टी-परीक्षण के माध्यम से तुलना की गई है एवं इसी के आधार पर समंको का विश्लेषण किया गया और परिणामों को सारणी संख्या .03 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी संख्या .03

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-अनुपात का मान।

क्र.सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
12	छात्र छात्राओं	60 60	118.91 122.35	14.40 29.39	0.94	0.05 df=118

0.05 स्तर पर सार्थक।

सारणी संख्या .03 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टी का मान 0.94 है जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। स्वतंत्र कोटियां 118 के साथ टी का मान 0.94 है। इससे पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है, अतः शून्य परिकल्पना .03 'ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिणाम : सारणी सं. 03 से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में पर्याप्त सार्थक अंतर प्राप्त नहीं है, अतः सारणी संख्या .03 के अनुसार टी के मान से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता समान पाई गई है, जिसका संभावित कारण यह है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के दोनों समूहों का पाठ्यक्रम, आयु, मानसिक स्तर लगभग एक समान है। प्राप्त परिणामों की पुष्टि शर्मा, सीमा (2017) के अध्ययन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं किया गया है, से होता है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित परीक्षण का मान 0.89 है। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में संबंधित टी-परीक्षण का मान 0.728 है। प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता से संबंधित टी-परीक्षण का मान्य .94 है। प्राप्त प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शैक्षिक निहितार्थ :

वर्तमान समय में न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व अमानवीय कृत्यों से आहत हैं। आज भी कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिसमें समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है जैसे अशिक्षा, भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण, स्वार्थी स्वभाव, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शोषित वंचित एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं, गरीबी उन्मूलन आदि के निवारण में प्रस्तुत शोध अध्ययन अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके साथ-साथ शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रीयों आदि के लिए भी यह शोध प्रमुख रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव :

- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल लखनऊ जनपद पर किया गया है भावी शोधार्थी किसी अन्य जनपद, राज्य, मंडल पर कर सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक स्तर पर किया गया है भावी शोधार्थी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल हिंदी माध्यम के छात्रों एवं छात्राओं पर किया गया है भावी शोधार्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं पर शोध कार्य कर सकते हैं प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल हिंदी माध्यम के छात्र-छात्राओं पर किया गया है भावी शोधार्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं पर शोध कार्य कर सकते हैं।
- शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रातः काल की प्रार्थना सभा से मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों से अवगत कराना चाहिए।
- छात्रों के बीच राष्ट्रवादी नीतियों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनमें मानवता का विकास हो।
- शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को राष्ट्रहित से अवगत कराएं जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।
- छात्रों को संवेदनशीलता, सेवा भाव एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे वे अपने व्यवसाय, राष्ट्र के प्रति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ हो सकेंगें ।
- भावी शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण काल से ही मानवाधिकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे वे भविष्य में पाठ पुस्तकों से संबंधित मानवाधिकार को विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा सकें।

संदर्भ :

[1]. भटनागर, सुरेश एवं सक्सेना (2005), शिक्षा मनोविज्ञान, लायल बुक डिपो, मेरठ।
[2]. गैरेट, हेनरी (1999), शिक्षा एवं मनोविज्ञान सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स।
[3]. कपिल, एच.के. (1998), अनुसंधान विधियां, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
[4]. शर्मा, आर. ए. (2008), शिक्षा अनुसंधान, लाल बुक डिपो, मेरठ .
[5]. शर्मा, राजेश कुमार (2018), शिक्षा मानवाधिकार और गांधी,
[6]. कुमार, पवन (2017), भारत में मानवाधिकार आजादी के बाद की यात्रा, ।
[7]. राणा, सिंह दीवान (2017), B.Ed प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन, ।
[8]. आर्य, संगीता (2020), उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानवाधिकार के विकास का मॉडल शिक्षण के प्रभाव का अध्ययन, जयपुर विश्वविद्यालय।
[9]. अग्रवाल, एच.पी. (2014), इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद (20वां संस्करण)।

[10]. तिवारी, सी.(2002), माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध अध्यापिकाओं की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वॉल्यूम 21, इश्यू 1,लखनऊ।

[11]. नसीमा, सी. (2014), ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, कनिष्क पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

[12]. शशिकला, वी. और एम. फ्रांसिस्को (2016), ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग फ्रीसेल प्रोप्पेक्टिव टीचर्स, इंटरनेशनल जर्नल आफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च वैल्यूम 5, इश्यू 3-8, ।

★★★★★

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 अरुण कुमार मिश्र
शोध निर्देशक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज
रंजना मिश्रा
शोधछात्रा (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज

Article Info

Volume 5, Issue 3

Page Number : 61-67

Publication Issue :

May-June-2022

Article History

Accepted : 05 May 2022

Published : 15 May 2022

सारांशिका- प्रस्तुत अध्ययन ''हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन'' करना है। अध्ययन के उद्देश्यों में विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं का अलग–अलग अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु वर्णानात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन आकस्मिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है। न्यादर्श के रूप में जौनपुर जनपद के 300 विद्यार्थियों को लिया गया है। इनमें से ट्यूशन या कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थी (75 छात्र और 75 छात्राएं) तथा कोचिंग संस्थानों में न पढ़ने वाले 150 विद्यार्थी (75 छात्र और 75 छात्राएं) का चयन किया गया है। हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण स्वयं किया है। प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधानकर्त्री ने प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया। प्राप्त प्रदत्तों का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान ज्ञात किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले समस्त विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है। हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है। हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाली तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।

मुख्यशब्दः- तुलनात्मक अध्ययन, हाईस्कूल

भूमिका–

बढ़ती हुई जनसंख्या की रफ्तार ने शैक्षिक समस्या को दिन–प्रतिदिन बढ़ाया है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी है उस अनुपात में शिक्षक और विद्यालय नहीं बढ़े जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। अभिभावकों का सम्बन्ध पाल्यों के प्रति उदासीन व समयाभाव का नजरिया व साथ ही उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण, ये सभी कारक प्राइवेट टयूशन और कोचिंग संस्थानों को जन्म देने में सहायक सिद्ध हुए है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

जहां तक कोचिंग संस्थानों के इतिहास का प्रश्न है वह दो से ढाई दशक पुरानी शिक्षा व्यवस्था है, जिसने अपने चंगुल में विद्यार्थियों के साथ–साथ शिक्षकों को भी जकड़ना शुरू कर दिया है। एक छोटे से तालाब में तैरती इस तथाकथित कागज की नाव ने आज महासागर में तैरते हुए बड़े जहाज का रूप ले लिया है। अपने आकर्षक विज्ञापनों में निश्चित सफलता, अनवरत् प्रगति सुनिश्चित एवं सुरक्षित भविष्य के सपनों का प्रचार करने वाली इन संस्थाओं ने देश के लाखों शिक्षाविदों एवं शिक्षार्थियों के साथ–साथ शिक्षा प्रेमियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है।

कोचिंग की संस्कृति देश में अपनी जड़े जमा चुकी है। इसे समाज की स्वीकृति भी मिल गयी है तथा सरकारी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था वाली संस्थाएं अप्रासंगिक हो गयी है। इसलिए ट्यूशन या कोचिंग को आवश्यकता समझा जाने लगा है।

हाईस्कूल स्तर पर छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या द्वारा कोचिंग संस्थाओं में नामांकन कराना इस बात का परिचायक है कि कोचिंग उनकी विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। कतिपय उदाहरणों से यह अनुमान भी होता है कि छात्रों की उपलब्धि उन्नयन में कोचिंग संस्थानों की भूमिका सकारात्मक होती है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में कोचिंग के प्रति छात्रों के झुकाव एवम् निरंतर बढ़ती संख्या शोध के क्षेत्र में एक नये विषय का प्रादुर्भाव करती है।

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं व विभिन्न पत्रों में कोचिंग–संस्थानों व प्राइवेट ट्यूशन के प्रति दिन–प्रतिदिन बुराईयों तथा सरकार द्वारा कोचिंग व ट्यूशन संस्कृति को रोकने हेतु किए जा रहे तमाम तथाकथित प्रयासों के बाद भी यह संस्कृति निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। प्रारम्भ में जहां कोचिंग संस्थानों की संख्या सीमित थी अब इन संस्थाओं की संख्या असीमित हो गयी है। कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशनों की निरन्तर बढ़ती संख्या इस बात का द्योतक है कि इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विद्यार्थियों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जिससे हाईस्कूल स्तर पर कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति उनके नामांकन की तुलना में बहुत कम रहती है तथा कोचिंग संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बहुत ज्यादा हो गयी है इसलिए शोधकर्त्री ने अपने अनुसंधान ''हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की आवश्यकता एवं उसके प्रभाव का अध्ययन'' द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि कोचिंग छात्रों की उपलब्धि को कितना प्रभावित करती है तथा इसका क्या प्रभाव उनकी उपलब्द्धि पर पड़ता है।

समस्या कथन–

प्रस्तुत अध्ययन का शीर्षक– **''हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्द्धि का तुलनात्मक अध्ययन'' हैं।**

अध्ययन के उद्देश्य–

1. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्द्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्द्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना–

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

1. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।
2. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।
3. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।

शोध विधि–

प्रस्तुत अध्ययन हेतु वर्णानात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या–

जौनपुर जनपद के हाईस्कूल स्तर पर अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं को प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के सामान्यीकरण हेतु जनसंख्या समझा गया है।

न्यादर्श–

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन आकस्मिक न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है। न्यादर्श के रूप में जौनपुर जनपद के 300 विद्यार्थियों को लिया गया है। इनमें से ट्यूशन या कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 150 विद्यार्थी (75 छात्र और 75 छात्राएं) तथा कोचिंग संस्थानों में न पढ़ने वाले 150 विद्यार्थी (75 छात्र और 75 छात्राएं) का चयन किया गया है।

शोध उपकरण–

हाईस्कूल स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण स्वयं किया है। उक्त मापनी में कक्षा 10 के विज्ञान तथा गणित के प्रश्नों का चयन ब्लू प्रिंट बनाकर किया गया है। उपलब्धि परीक्षण मापनी के प्रारम्भिक स्वरूप में विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न कुल 100 प्रश्नों का निर्माण किया गया था। उपलब्धि परीक्षण के अन्तिम प्रारूप में कुल 25 प्रश्न विज्ञान से तथा 25 प्रश्न गणित से चयनित किये गये। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्पों का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विद्यार्थी को उपयुक्त विकल्प पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 1 अंक का प्रावधान तथा न्यूनतम 0 अंक का प्रावधान किया गया है अर्थात् कोई विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण पर अधिकतम 50 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक प्राप्त कर सकता है।

मापनी पर उत्तर प्राप्त करने के लिए 1 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गयी है। प्रस्तुत परीक्षण अपने प्रकृति के कारण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनो ही स्थितियों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी–

प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया। प्राप्त प्रदत्तों का मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान ज्ञात किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. **हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या**

सारणी संख्या 1

कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन एवं t–अनुपात

न्यादर्श	संख्या N	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	अन्तर $D = M_1 \sim M_2$	σ_D	t-अनुपात	सारणीमान 0.01 सार्थकता स्तर पर
कोचिंग करने वाले विद्यार्थी	150	66.87	12.6	1.47	0.4	3.67*	2.34
कोचिंग न करने वाले विद्यार्थी	150	65.4	12.5				

*0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 1 से प्रदर्शित होता है कि कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों एवं कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः 66.87, 12.6 तथा 65.4, 12.5 है। परिगणित t-अनुपात का मान 3.67 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणीमान 2.34 से अधिक है। अतः यह प्रदर्शित होता है कि शोध परिकल्पना सं0 01 ''हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर है।'' 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् दोनो मध्यमानों में प्रदर्शित अन्तर वास्तविक है। अतः कहा जा सकता है कि कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि समान नहीं है। अर्थात् कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि कोचिंग न करने वाली विद्यार्थियों की उपलब्धि से अधिक है।

प्राप्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि सम्भवतः कोचिंग करने वाले विद्यार्थी अपने विद्यालय में अपने समूह के साथ–साथ कोचिंग में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ पढ़ते है जिससे उनमें नयी स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है जिसके फलस्वरूप वे अपने विषय वस्तु पर ज्यादा ध्यान देते है और अपने समूह में हमेशा आगे रहना चाहते है। जिसके कारण इनकी उपलब्द्धि कोचिंग न करने वाले विद्यार्थियों की अपेक्षा स्वभाविक प्रतीत होता है।

2. हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्द्धि से सम्बन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या 2

कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले छात्रो से सम्बन्धित उपलब्द्धि का मध्यमान, मानक विचलन एवं t–अनुपात

न्यादर्श	संख्या N	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	अन्तर D= $M_1 \sim M_2$	σ_D	t-अनुपात	सारणीमान 0.01 सार्थकता स्तर पर
कोचिंग करने वाले छात्र	75	66.96	12.4				
कोचिंग न करने वाले छात्र	75	65.27	12.2	1.69	.57	2.96	2.35

*0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 2 से प्रदर्शित होता है कि कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने छात्रों का मध्यमान, मानक विचलन क्रमशः 66.96, 12.4 एवं 65.27, 12.2 है। परिगणित t-अनुपात का मान 2.96 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणीमान 2.35 से अधिक है। अतः यह प्रदर्शित करता है कि शोध परिकल्पना सं0 02 ''हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने तथा कोचिंग न करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्द्धि में अंतर है।'' 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् दोनो मध्यमानों में प्रदर्शित अन्तर वास्तविक है। अतः कहा जा सकता है कि कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्द्धि समान नहीं है। अर्थात् कोचिंग करने वाले छात्रों की उपलब्धि कोचिंग न करने वाले छात्रों से अधिक है।

प्राप्त परिणामों के पक्ष में कहा जा सकता है कि सम्भवतः कोचिंग करने वाले छात्र अतिरिक्त पैसा दे करके अध्ययन की सुविधा प्राप्त करते है। अतः उनके अभिभावकों का दबाव भी होता हैं परिणामतः मात्र विद्यालयों में अध्ययन छात्रों की अपेक्षा ये छात्र कोचिंग में अपनी कक्षाएं नियमित लेते है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इन छात्रों को विषय वस्तु अनुदेशन दो बार प्राप्त होते है। जिसके कारण इनकी उपलब्द्धि कोचिंग न करने वाले छात्रों की अपेक्षा स्वभाविक प्रतीत होता है।

3. हाईस्कूल स्तर के कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सारणी संख्या 3

कोचिंग करने वाली तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं से सम्बन्धित उपलब्धि का मध्यमान, मानक विचलन एवं t–अनुपात

न्यादर्श	संख्या N	मध्यमान (M)	मानक विचलन (S.D.)	अन्तर D= $M_1 \sim M_2$	σ_D	t-अनुपात	सारणीमान 0.01 सार्थकता स्तर पर
कोचिंग करने वाली छात्राएं	75	67.4	12.7	1.87	.58	3.22*	2.35
कोचिंग न करने वाली छात्राएं	75	65.53	13.00				

*0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 3 से प्रदर्शित होता है कि कोचिंग करने वाली एवं कोचिंग न करनी वाली छात्राओं का मध्यमान, मानक विचलन क्रमशः 67.4, 12.7 तथा 65.53, 13.0 है। परिगणित t-अनुपात का मान 3.22 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 सार्थकता स्तर पर सारणीमान 2.35 से अधिक है। अतः यह प्रदर्शित करता है कि शोध परिकल्पना सं0 03 ''हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाली तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि में अंतर है।'' 0.01 सार्थकता स्तर पर स्वीकृत की जाती है।

अर्थात् दोनो मध्यमानों में प्रदर्शित अन्तर वास्तविक है। अतः कहा जा सकता है कि कोचिंग करने वाली तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि समान नहीं है। अर्थात् कोचिंग करने वाली छात्राओं की उपलब्धि कोचिंग न करने वाली छात्राओं की उपलब्धि से अधिक है।

प्राप्त परिणामों के पक्ष में कहा जा सकता है कि सम्भवतः कोचिंग करने वाले छात्राओं के अभिभावकों अपने पाल्यों के शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरुक है तथा वे उनसे सामान्य छात्राओं से कुछ ज्यादे की अपेक्षा रखते है। परिणामतः ये छात्राएं विद्यालयी अध्ययन के साथ–साथ ये कोचिंग कक्षाएं भी नियमित लेती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि ये छात्राएं घर पर कम घरेलू कार्य करती है तथा विषय वस्तु का पुनः अभ्यास करती है जिसके कारण इनकी उपलब्धि कोचिंग न करने वाली छात्राओं की अपेक्षा स्वाभाविक प्रतीत होती है।

निष्कर्ष–

अध्ययन कार्य में प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत् है।

1. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले एवं कोचिंग न करने वाले समस्त विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।
2. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाले तथा कोचिंग न करने वाले छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।
3. हाईस्कूल स्तर पर कोचिंग करने वाली तथा कोचिंग न करने वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर है।

सुझाव–

यद्यपि ट्यूशन व कोचिंग संस्थाएं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। किन्तु इसकी आवश्यकता सम्बन्धी कारणों के विश्लेषण से पता चलता है कि विद्यालयों में शिक्षकों का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया, विद्यार्थियों पर ध्यान न देना, सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का न पढ़ाया जाना तथा विद्यालयों में अधिक छुट्टियाँ भी कोचिंग व ट्यूशन की आवश्यकता को जन्म देती हैं। जिसके फलस्वरूप नयी–नयी कोचिंग संस्थानों का उदय हो रहा है तथा विद्यालयी संस्थान अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। विद्यालयी संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है जिससे कोचिंग व ट्यूशन की आवश्यकता तथा प्रभाव को कम किया जा सके क्योंकि घर के बाद विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ बालक का सर्वागीण विकास होता है। अतः विद्यालयों का वातावरण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण में सहायक होना चाहिए। विद्यालयों में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना चाहिए तथा यथा सम्भव उसकी पुनरावृत्ति कराया जाना चाहिए। विद्यालयों के सतत् अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालयी संस्थानो में छात्र–शिक्षक अनुपात सन्तुलित होना चाहिए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी पर समुचित ध्यान दिया जा सके। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट समय–समय पर अनेक अभिभावकों को दी जानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एस0पी0 (2004), ''सांख्यिकीय विधियां'', इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
2. चामुण्डेश्वरी, एस0 (2013). इमोशनल इन्टेलिजेन्श एण्ड ऐकेडमिक एचिवमेन्ट एमंग स्टूडेन्ट्स ऐट द हायर सेकेण्डरी लेवल, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ ऐकेडमिक रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एण्ड मैनेजमेन्ट साइन्सेस, 2(4), पृ0 178–187
3. पाण्डेय, अनुजा (2008). +2 स्तर पर विद्यार्थियों की संवेगात्मक बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. मिश्रा, एम0 *''ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द इन्फ्लूयेन्स ऑफ सोसियो–इकोनॉमिक स्ट्ेटस ऑन एकेडमिक एचीवमेन्ट ऑफ हायर सेकेण्डरी स्टूडेन्ट्स इन रुरल एण्ड अरबन एरिया ऑफ कानपुर'',* पी0एच0डी0 एजूकेशन, कानपुर युनिवर्सिटी 1986
5. सुल्ताना, एस *''ए स्टडी ऑफ स्कूल स्कूल एचीवमेन्ट एमंग ऐडोलसेन्ट चिल्ड्रेन विथ वर्किंग एण्ड नान–वर्किंग मर्दस'',* पी0एच0डी0 एजुकेशन, कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी, 1988
6. सुभ्रामण्यम के. एण्ड निवासराव, के.श्री., जनरल ऑफ कम्युनिटी गाइडेन्स एण्ड रिसर्च, जुलाई 2008, वैल्यूम–25, नं0 2
7. शानमुगसुन्दरम, आर0 ''ए इन्वेस्टीगेशन इन टू फैक्टर्स रिलेटेड टू एकेडमिक एचीवमेन्ट एमंग अण्डर ग्रेजुएट स्टूडेन्ट्स अण्डर सेमेस्टर सिस्टम'', पी0एच0डी0 सॉइकालजी, मद्रास युनिवर्सिटी 1983
8. सिंह, अरूण कुमार (2006), ''मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ'', पटनाः मोतीलाल बनारसी दास।
9. सिंह, अरूण कुमार (2008), ''शिक्षा मनोविज्ञान'', पटनाः भारती भवन।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

Economic and Environmental Impact of National Food Security Act of India
(With special reference to Uttar Pradesh)

Dr. Khalid Anwar
Associate Professor, J. V. Jain College, Saharanpur

Info
Volume 5, Issue 3

Page Number : 68-74

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

ABSTRACT
This paper is an attempt to examine performance, challenges and policies on food security in India with special reference to Uttar Pradesh state. This paper is focused on the several foods security issues prevalent in the Indian scenario in terms of availability, access, and nutrition with special reference to Uttar Pradesh state production of food grains. The study is based on secondary data obtained from relevant sources to analysis the gravity of the food security issues in India. It also covers the several development programmes taken up by the Indian government to counter various food security issues including several schemes and yojana in India. Food security globally is to provide that all people, at all times, should get access to the basic food for their active and healthy life and is characterized by availability, access, utilization and security of food.
Keywords : Economic, Environmental, Challenges, Technology, Food Security.

INTRODUCTION
In the world India has the largest number of hungry people. Despite various programs and schemes the number of undernourished people today is same as decades ago. Hunger remains the number one cause of death all across the world. Approximately people die every year of chronic hunger and hunger related diseases, out of which a quarter deaths take place in India. About less than 10% death is claimed by earthquakes, floods, droughts and wars. Almost there are 900 million chronically hungry people in the world of which one-third of them counts in India.

About 50% of Indian children are underweight, 30% of newborn have low weight at birth. In India the problem of malnutrition is complex, multi-dimensional and inter-generational in nature for which causes includes inadequate consumption of food, frequent infections, lack of availability of safe drinking water as well as inadequacy of proper sanitation facility. The another causes are illiteracy specially in women, poor access to health services, low purchasing power, socio-cultural factors such as early marriages of girls, lack of care during pregnancy and infancy, nutritional needs of infants and young children.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

In India though the issue of 'food security' at the household is continuously being addressed by the Government since long, in 1965 the Public Distribution System and the Targeted Public Distribution System was introduced, the enactment of the National Food Security Act, on July 5, 2013 marks a precedent shift in the approach to food security from welfare to rights based approach. The Act legally designates upto 75% of the rural population and 50% of the urban population to receive subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System. As a step towards women empowerment, the eldest woman of the household of age 18 years or above is assigned to be the head of the household for the purpose of issuing of ration cards under the National Food and Security Act.

One of the analytical principles of the Act is its life-cycle approach wherein special provisions have been made for pregnant women and lactating mothers and children in the age group of 6 months-14 years, by entitling them to receive nutritious meal free of cost through a widespread network of Integrated Child Development Services centres, called Anganwadi Centres. Under this scheme and also through schools under Mid-Day Meal scheme higher nutritional norms have been prescribed for malnourished children upto 6 years of age. The Government of India announced a sudden ban on export of wheat on May 13, 2022, a month after Prime Minister claimed that "Indian farmers are feeding the world" by way of increased exports of wheat.

REVIEW OF LITERATURE

Tanksale, A., & Jha, J. K. (2015), the study focuses on National Food Security Act 2013 (NFSA) and found it a unique step taken by Indian government to fight against hunger and protect right of the people for food. With its attribute like the life cycle approach, women empowerment, consideration of vulnerable sections in society and proposed reforms in public distribution system, National Food and Security Act is a promising effort for food security in India. The purpose of this paper is to put forth various aspects of NFSA and to identify issues and challenges for its implementation in the light of Indian Public Distribution System. This study is a unique attempt of mapping and auditing of the entire complex value chain of the Indian Public Distribution System for performance of NFSA. National Food and Security Act is going to redefine the food security aspects, this pioneering work will be useful for researchers and policy makers working in this field in India and other developing countries.

Narayanan, S. (2015), the study states the crucial of food security in India is now widely acknowledged, but deep disagreements carry on the best way forward. It was found that the year 2014 saw the passing of the National Food and Security Act designed to be an overall set of interventions support food security over the life cycle of an individual. Although detractors perceive this to be an expensive and largely wasteful exercise that hinges on a faulty mechanism for procurement and distribution via fair price shops under the Public Distribution System, supporters suggest that this is the best way to ensure food access in many contexts in rural India. The immediate challenges for India lie in revisiting operational aspects of food procurement and distribution for a more cost-effective and nimble system.

OBJECTIVE OF THE STUDY

To examine the performance of production of food grains in Uttar Pradesh since 2001-02 to 2020-21.

To study the policies and various schemes in food security in terms of availability, access and nutrition in India.

TRENDS IN FOODGRAIN PRODUCTION IN UTTAR PRADESH

Uttar Pradesh is a biggest state of India having a tropical monsoon climate with nine different climatic zones. It is revealed that per capita availability of cereals are 36% higher as compared to the sufficient demand, vegetables are 34% higher as compared to the sufficient demand. It is predicted that out of the total area of food grains crop, 19.8 million hectare, roughly 6.6 million hectare would be taken out of farming that is production loss of 14 million tons of food grains. Therefore, it is essential to develop food security strategies to avoid hunger and malnutrition in the state of Uttar Pradesh.

The various schemes under National Food Security Act 2013, for Uttar Pradesh state is as follows:

PM Poshan Scheme (Erstwhile Mid Day Meal Scheme), is the scheme implemented by the Ministry of Education, which covers the students of primary and upper primary classes in the Government schools/ schools aided by Government and schools run by local bodies. Under this scheme food grains are supplied free of cost that is 100gms for primary stage and 150gms for upper primary stage were cooked for per child per day or 3 kg of food grains were distributed in raw form per month among each child. However food grains for the scheme were allotted by the Department of Food and Public Distribution at National Food Security Act rates (from 1st April 2016).

Wheat Based Nutritional Programme (WBNP), the scheme is implemented by Ministry of Women and Child Development. Food grains for the scheme were allotted by the Department of Food and Public Distribution at National Food Security Act rates (from 1st April 2016). The food grains allotted under this scheme were adapted by State/UTs under Integrated Child and Development Services scheme for providing nutritious and energy food to children in the age group of 6months – 6years as well as expectant and lactating women.

Allocation of Foodgrains to Welfare Institutions and Hostels Scheme, the scheme was introduced on 1st September 2017 by merging two schemes into one namely Welfare Institutions Scheme and SC/ST/OBC Hostel Scheme. The Department of Food and Distribution administers the Welfare Institutions and Hostels scheme. Institutions such as beggar homes, nariniketans, and other welfare institutions were allocated food grains to states/ UTs at BPL rates to meet the requirement of Government owned/ aided welfare institutions. Foodgrains such as wheat and rice were issued as per the requirement of the resident but not exceeding maximum of 15 kg of Foodgrains per resident per month.

Annapurna scheme was launched in 2000-01 by the Ministry of Rural Development. The scheme provides 10kgs of food grains (rice and wheat) to old aged persons who remained uncovered under the National Old Age Pension Scheme by the Department of Food and Public Distribution. The central issue price of such food grains is at BPL rates.

Scheme for Adolescent Girls which was earlier known as SABLA was launched on 19th November 2010 by merging two schemes namely Nutrition Programme and Adolescent Girls and other scheme is Kishori Shakti Yojana. Under this scheme adolescent girls of age group 11-14 years were registered under this and allotted nutrition containing 600 grams calorie, 18-20 grams of proteins and micronutrients of 300 days in a year.

Table 1
Production of food grains in Uttar Pradesh
(Value in thousand tonnes)

YEAR	RICE	WHEAT	CEREALS	PULSES
2001-02	12856.0	25498.0	3405.5	2377.0
2002-03	9594.9	23612.4	2732.3	2202.0
2003-04	13018.8	25566.7	3260.7	2400.3
2004-05	9555.6	22513.9	3391.8	2375.0
2005-06	11133.7	24073.8	2971.2	2231.5
2006-07	11124.0	25031.0	3084.4	1975.1
2007-08	11780.0	25679.0	3058.9	1576.9
2008-09	13097.0	28554.0	3080.2	1998.1
2009-10	10807.1	27518.0	2968.8	1901.4
2010-11	11992.0	30001.0	3217.6	2037.0
2011-12	14022.0	30292.6	3566.0	2403.0
2012-13	14416.0	30301.9	3695.5	2332.0
2013-14	14636.0	29890.9	3803.2	1697.4
2014-15	12221.4	25219.5	3583.7	1447.2
2015-16	12501.0	25425.2	3460.0	1164.6
2016-17	13754.0	30056.0	3909.0	2184.1
2017-18	13274.0	31879.1	4016.8	2200.0
2018-19	15545.3	32741.3	3948.8	2408.0
2019-20	15517.8	33815.5	4388.5	2447.3
2020-21	15663.5	35503.0	4587.1	2564.7

Source : Author compiled as secondary source from Handbook of Statistics on Indian economy.

From Table 1 it is revealed that in Productions of Foodgrains in Uttar Pradesh State (Value in thousand tonnes) Wheat ranks in first position, whereas Rice holds the second position and Cereals and Pulses at third and fourth position respectively. Among all the foodgrains Wheat production is found to be highest as depicts from Table 1 and Graph 1 yearwise.

Graph 1: Showing production of Wheat in Uttar Pradesh since 2001-02 to 2020-21
(Value in thousand tonnes)

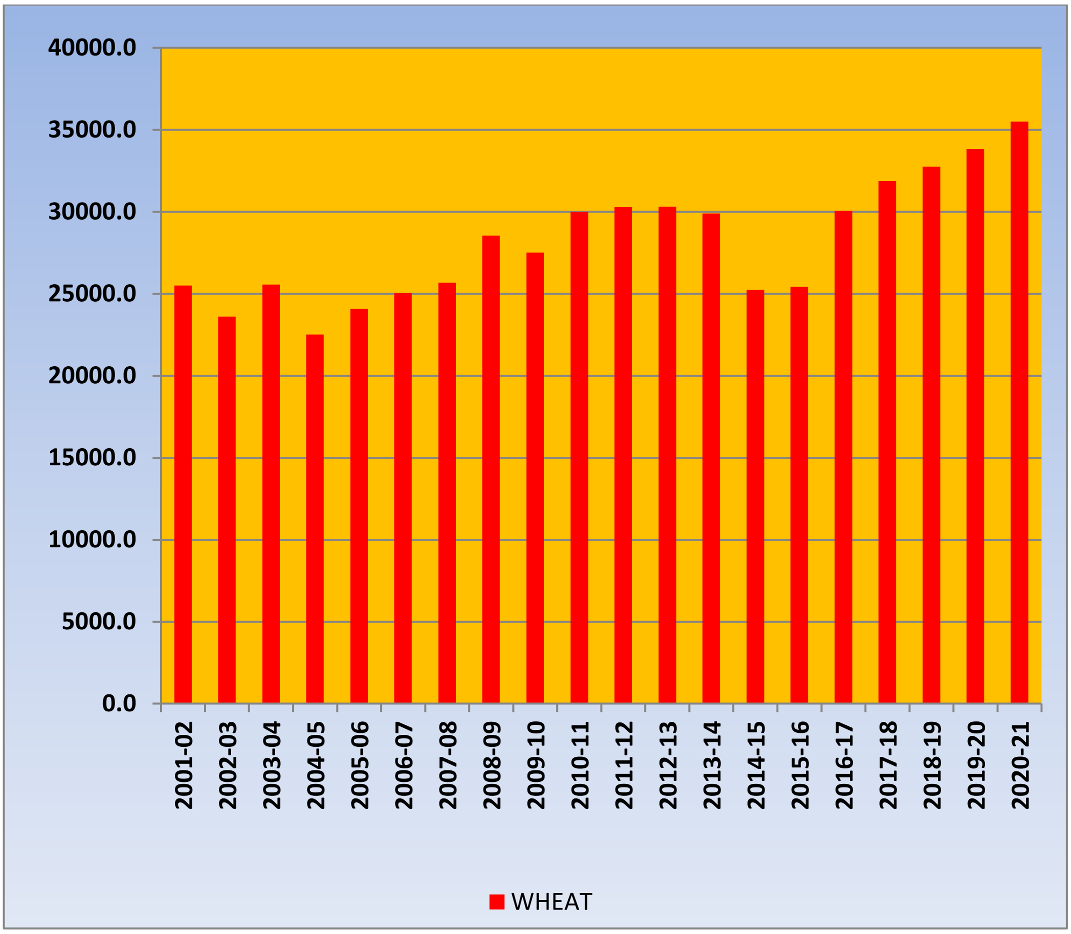

CHALLENGES IN FOOD SECURITY IN INDIA

Food availability is not that reliable in India. The challenge to produce more and more for the growing population is becoming increasingly hard for a country of its size and economic growth. Since the land in India is a shrinking resource for agriculture, the production rate for agriculture needs to be higher per unit of land and irrigation water. Over 60% of the Indian population depend on agriculture for their daily meals. India produces around 100 million tonnes of rice every year. Accessing food in India can be considered to be more difficult than in Australia. While there might be enough food for the whole population of India, many families and especially children in India don't have access to food because of financial problems. Thus, this is the cause of millions of malnourished children around India. The cultural knowledge in India allows them to have a very nutritional and balanced diet. Nearly the whole of the Indian population has rice at least once a day which allows them to have carbohydrates in their system. Since India is most commonly known for producing and exporting rice to other countries, their lifestyle will be mainly dominated by rice.

Table 2. Government Schemes for Food Security in India

Scheme	Year introduced	Coverage target group	Latest volume	Issue price (Rs per Kg)
Public distribution system (PDS)	up to 1992	Universal	N/A	Wheat: 2.34 Rice: 2.89
Revamped Public Distribution System (RPDS)	1992	Backward blocks	20 kg of food grains.	Wheat: 2.80 Rice: 3.77
Targeted Public Distribution System (TPDS)	1997	Poor and non-poor APL BPL	35 kg of food grains.	BPL – Wheat-4.15 Rice-5.65 APL – Wheat-6.10 Rice-8.30
Antyodaya Anna Yojana	2000	poorest of the poor	35 kg of food grains.	Wheat: 2.00 Rice: 3.00
Annapurna Scheme	2000	Indigent senior citizens	10 kg of food grains.	free
National Food Security Act, 2013	2013	Priority households	5 kg per person per month.	Wheat: 2.00 Rice: 3.00 coarse: 1.00 grains

VARIOUS INITIATIVES BY GOVERNMENT OF INDIA

In 1965, The Food Corporation of India was established for the purpose of procurement, storage and distribution of food grains which has been playing a major role in food security of India.

The National Food Security Act 2013, converts into legal entitlements for existing food security programmes of the Government of India. Various schemes were included such as Midday Meal Scheme, Integrated Child Development Services Scheme and the Public Distribution System.

The National Food Security Act 2013 also recognizes maternity entitlements, pregnant women, lactating mothers and certain categories of children are eligible for daily free cereals.

In India the Karnataka has launched the 'Indira Canteen', which serves breakfast, lunch and dinner at a very low price.

Andhra Pradesh state has supported the Nalabothu Foundation which provides free meals to people in need by redistributing excess food from homes, restaurants and canteens.

'Amma Unavagam' (Mother's Canteen) or more commonly known as Amma canteen was launched in Tamil Nadu state.

The state of Uttar Pradesh in 2013 passed a food bill that food that is going to be wasted from parties will be preserved and distributed to poor and needy peoples.

Chhattisgarh government has enacted the law 'Chhattisgarh Food Security Act, 2012 which was passed on 21st December 2012 by the state Assembly unopposed to ensure "access to adequate quantity of food and other requirements of good nutrition to the people of the state at affordable prices.

CONCLUSION - The food security analysis reveals that the state of Uttar Pradesh have considerable shortage of pulses mainly due to erratic rainfall, lack of irrigation facilities, lack of improved varieties and poor management of plant diseases. The state government shall initiate the following action to improve the pulse production in the state: Improve the soil fertility, irrigation infrastructure and water management practices. Introduce the high yielding seed distribution system of pulse varieties. Provide the effective insecticides & pesticides to control the diseases. Increase the cultivated area of the pulses. Increase the subsidy to the farmers for pulse production. Introduce the crop insurance scheme. Introduce the suitable post harvest technique.

Although the state of Uttar Pradesh is self sufficient in fruit production, however for sustainable fruit production, it is necessary to improve the fruit storage, preservation and transportation and distribution facilities. The state of Uttar Pradesh is highest milk producing state but the per capita availability is still considerably low as compared with recommended balanced diet.

Despite COVID-19 Pandemic, following COVID appropriate behaviour, a record quantity of 433.44 LMT of wheat during RMS 2021-22 and a record quantity of 600.84 LMT of rice during KMS 2020-21 has been procured. Both wheat and rice procurement has reached at all time high level. As the COVID-19 containment procedures imposed unprecedented curbs on the economic activities throughout the country, it led to a scarcity of staple foods and price hikes due to reduced cultivation, disruption in supply chains, and shortage of labour, reduced employment, and reduced purchasing power of the people. Thereby, adversely impacting the food and nutrition security of the poor and needy people in the country.

To introduce high yielding breeds of cow, buffalo and

REFERENCES

1. Annual report 2021-22, Department of Food and Public Distribution, Government of India.
2. Dev, S. M., & Sharma, A. N. (2010). Food security in India: Performance, challenges and policies.
3. Narayanan, S. (2015). Food security in India: the imperative and its challenges. Asia & the Pacific Policy Studies, 2(1), 197-209
4. Tanksale, A., & Jha, J. K. (2015). Implementing national food security act in India: issues and challenges. British Food Journal.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

शकुन्तलाया: भाग्यवाद:

Sraboni Tudu
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Durgapur Women's College, West Bengal.

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 75-82

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

सारांश:- भारतीयकर्मसिद्धान्तानुसारेण सर्वं कर्म दैवायत्तमिति सिद्धान्त:। तथापि लोके दैवमनुसरन् प्रयत्नकरणमेव प्रचुरतया दृश्यते। फलं च दैविकमेव। "निराशापीडितस्य लोकस्य भाग्यमेव प्राणालम्बनभूतम्। कार्ये विफले जीवितस्य त्यागो न कार्य:। कदाचिदपि दैवेन कार्यसिद्धिर्भविष्यतीति आर्षं वाक्यम्। भारतीया: स्वशक्तेरप्यात्मनो भाग्य एव विश्वासं कुर्वन्ति। महात्मन: विनयसम्पन्ना: सन्तोऽपि "सर्व: गुरोरनुग्रह एव, नियोक्तु: शक्ति: अनुकूलं च दैवं कार्यसाधने कारणम्" इति आमनन्ति। अत: कीदृशं शकुन्तलाया: जीवने भाग्यमासीदिति विषयमाधारीकृत्य मया लेखेऽस्मिन् विचार: विहित:।

विशेषशब्दा: – दैष्टिक:,आस्तिक:, भाग्यपदस्य व्युत्पत्ति:, भाग्यवाद:, शकुन्तला, कण्वप्रेम, अङ्गुलीयकप्राप्ति:, कश्यपाश्रमे निवास:, भाग्यविपर्यय:,शापवृत्तान्त: इत्यादय:।

सर्वस्मिन् भूलोके भारतजाति: प्राचीनतमा। भारतीया: सर्वे आस्तिका: भारतीयेषु इदानींतने काले एव किञ्चिदिव नास्तिक्यबुद्धि: हेतुवादजन्या दृश्यते।प्राचीना: सर्वे वेदशास्त्रपुराणेषु कृतविश्वासा: तेषां विषये हेतुवादं नाङ्गीचक्रु:।

पुराणं मानवो धर्म: साङ्गो वेद: चिकित्सितम्।
अज्ञानसिद्धानि चत्वारि न हातव्यानि हेतुभि:॥[1]

एवं वेदे कृतविश्वासा: भारतीया: दैवमेव सर्वस्य कारणं मन्वन्ते। प्राचीनकालादारभ्यैव मनुष्याणामालोचनाविधौ त्रिधा गति: वर्तते। केचन सर्वं दैवाधीनमिति वदन्ति। सर्वस्यापि कार्यस्य कर्ता य: भवति, स एव जगत् जनयति पालयते लोकं च गमयतीति तेषां विश्वास:।भारतीयानां पुनर्जन्मनि महान् विश्वास: वर्तते। अस्मिन् जन्मनि कृतमनुभोक्तव्यं च प्रारब्धमिति कथ्यते। भविष्यत् जन्मन: कारणमागामीति प्रथते। अतीतजन्मन: आगतमस्मिन् जन्मनि अनुभोक्तव्यं कर्मफलं सञ्चितमित्युच्यते।एवं कर्मण: त्रैविध्यमनुसृत्य दैविकं सङ्कल्पं च अनुसृत्य पूर्वोक्तदिशा प्राणिन:दैष्ठिका:, आस्तिका:, नास्तिकाश्चेति त्रिधा भवन्ति।

दैष्टिक: – दिष्टं च दैवञ्च सर्वं कार्यं सुखं, दु:खं, जीवितम्, आयु:, स्थिति:, ऐश्वर्यं, दारिद्र्यं सर्वमेतत् दैवेन देयम्। तत्र कर्मण: साफल्ये वैफल्ये च दैवमेव कारणम्। प्राणिनां पौरुषमकिञ्चित्करमिति तेषां विश्वास:। अत एव दिष्टमिति मति: एषां ते दैष्टिका:।**"दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिर्विधि:" इत्यमर:।**

दैवमेव दिष्टं, दिष्टि:, कर्म, भाग्यं, नियति:, विधि:, काल:, भवितव्यता इत्यादिपदै: व्यवह्रियते।अत: सर्वं दैवाधीनमिति यस्याभिप्राय: स दैष्टिक:।

1.महाभारतम्

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आस्तिकः – अस्ति दिष्टमिति मतिः यस्य सः आस्तिकः।

नास्तिकः– नास्ति दिष्टं मतिः यस्य सः नास्तिकः।

- **भाग्यपदस्य व्युत्पत्तिः-** भज्यते प्राणिभिः सेव्यते इति भाग्यम्। कर्मणि कृत्यप्रत्ययः।[३क] "ऋहलोर्ण्यत्" इति सूत्रेण ण्यत्-प्रत्यये णकारस्य **चुटू**[2]इति इत्संज्ञायां लोपे च धातुगतः जकारस्य **चजोः कुघिण्यतोः**[3] इति कुत्वम् **अत उपधायाः**[4] इत्युपधावृद्धिरिति रामाश्रमी।भागमर्हति **भाग्याद्यश्च**[5]इति यत्प्रत्ययः। "भाग्यं कर्म शुभाशुभम्" इति हैमः (2/7[३]ш)।केषुचित् कोशेषु भज्-धातोः "ऋहलोर्ण्यत्" इति ण्यत्-प्रत्यये भाग्यशब्दो निष्पन्नः इत्युदाहृतः। तस्य शब्दस्य प्रारब्धकर्म इत्यर्थस्तत्र दृश्यते। "सौभाग्यं समृद्धिः हर्षः कुशलता" इत्येते अर्थाः अपि भाग्यशब्दस्य तत्र दृश्यन्ते। "भाग्यायत्तम्" इति कालिदासप्रयोगश्च तत्र द्रष्टुं शक्यते।एतस्य अदृष्टं, दैवं, दिष्टं, भागधेयं, नियतिः, विधिरित्यादयः शब्दाः पर्यायवाच्याः। अदृष्टशब्दः यद्यपि शुभे चाशुभे च समानार्थकः, तथापि शुभफलकार्थे एव लोके व्यवहारो दृश्यते। एवं भाग्यशब्दस्यापि अतर्कितोपनते शुभफले शक्तिर्ग्राह्या।तादृशमतर्कितोपनतं क्वचित् दैविकं क्वचित् स्वकर्मफलस्वरूपञ्च भवति भाग्यम्।
- **भाग्यवादः-** एवं प्राणिभिः अनुभाव्यं दैवनिर्मितं शुभमशुभं वा पौरुषमतिरिच्य भाग्यमेव प्रधानमिति प्रत्येकं ग्रन्थे कवयः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण सूचितवन्तः। सा एव चर्चा "भाग्यवादः" इत्यभिधीयते। सकारात्मकालोचनं, सकारात्मकभावना एव (Positive Thinking) भाग्यवाद इत्युच्यते। एवमेव सर्वे मानवाः आनन्दसूत्रमाधारीकृत्यैव जीवनं यापयन्ति। सर्वेषु कालेषु सुखमेव चिन्तयन्ति। जीवने कान्त्यन्धकारवत् सुखदुःखे द्वे अपि आगच्छतः। मनुष्यः सुखागमने आनन्दमनुभवति, दुःखानुभवेन खिन्नो भवति। किन्तु बहून् क्लेशान् अनुभवति चेदपि सः प्रकृतिं दृष्ट्वा सकारात्मकदुष्टिं वर्धयति इत्युक्तेः सः भाग्यमन्विष्यन् भ्रमति। एतादृशी वर्णना एव भवति "भाग्यवादः" इति। अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकं सर्वमपि भाग्यविधेयमेव। महाभारते पद्मपुराणे, श्रीमद्भागवते च वर्तमाना शाकुन्तलकथा कविना कालिदासेन यथावसरं परिवर्तिता।
- **महाभारते शकुन्तलाकथा -** महाभारते शकुन्तला लोकव्यवहारजा प्रभावसम्पन्ना प्रगल्भभाषिणी च। शाकुन्तले सा मुग्धा पतिव्रता च। महाभारते मातुः सन्क्रान्तं वैशिकं लक्षणं तस्यां किञ्चिदिवासीत्। कण्वः फलान्याहर्तुं गत इति सा दुष्यन्तं जगाद तावन्त-कालमपि प्रतिपालयितुमक्षमः सः गान्धर्वविवाहाय शकुन्तलां चोदयामास। साऽपि तमर्थमङ्गीकृत्य अभिज्ञानमङ्गुलीयकं सङ्गमेन जातस्य शिशोः राज्याधिकार इत्यादि प्रतिफलं देयमिति जगाद। तथापि महाभारते सर्वमेतत् सङ्गमस्य मूल्यमिति वर्णितम्। "अस्तु मे सङ्गमस्तु त्वया" इति तत्र बहुधा उक्तम्। एवं विधः नियमः विवाहस्य अव्याजस्य प्रेम्णः प्रतिबन्धकम्। जानतापि राज्ञा तिरस्कृता सा–

क्षितावटसि राजेन्द्र अन्तरिक्षे चराम्यहम्।
ममैवोद्रिच्यते जन्म राजेन्द्र तव जन्मतः॥

इत्यादिरूपेण निन्दति। शाकुन्तले एवंविधप्रगल्भा चेत् तद्भाग्यमव्याहतं भवेत्। परन्तुअत्र काव्यधर्ममनुसृत्य शकुन्तला निसर्गानुरागवती वर्णिता।

2.पा.सू. 3/1/124

3.पा.सू. 1/3/7

4.पा. सू. 7/2/116

5.पा.सू. 5/1/49

- **रामायणे शकुन्तलाया: जन्मवृत्तान्त:-** शाकुन्तले प्रथमाङ्के शकुन्तलाया: भाग्यंफलोन्मुखमेव आसीत्। जन्मना सा भाग्यहीना। मेनकाविश्वामित्रौ पञ्चविंशतिवर्षाणि संसारसुखानि अनुभूतवन्तौ। जातमात्रायां शकुन्तलायां तयो: समागमावधि: श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे वर्णित:।

तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मज:।
रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा॥
दृष्ट्वा कन्दर्पवशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत्।
अप्सर: स्वागतं तेऽस्तु तस्य चेह ममाश्रमे॥
अनुगृहीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्।
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्॥
तस्यां वसन्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव।
विश्वामित्राश्रमे तस्मिन् सुखेन व्यतिचक्रमु:॥[6]

एवं पञ्चविंशतिवर्षाणि कामोपभोगानन्तरं जाता शकुन्तला मात्रा हिमवत्प्रस्ते निर्माल्यमिवपरित्यक्ता। विश्वामित्रोऽपि नृशंस: जातमात्रामुत्सृज्य यदेच्छं गतवानिति महाभारते, रामायणे च स्पष्टम्।

- **शकुन्तै: शकुन्तलाया: रक्षणम्**

अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति
जीवत्यनाथोऽपिवनेविसर्जित:कृत:प्रयत्नोऽपिगृहेनजीवति॥

इति भागवतवचनं शकुन्तलाविषये सत्यमभूत्। सा तस्या: भाग्येनैव शकुन्तै: रक्षिता। यथा महाभारते – "शकुन्तैरथ गर्भोऽसौ ररक्षे पृथिवीपते" इति एवं शकुन्तरक्षितां शिशुं तस्या एव भाग्यविपर्ययेऽपि दृष्टभाग्या। कण्वप्रणिधानेन तस्या: जन्मवृत्तान्तं ज्ञातवान्। साक्षात्परम्परया वा शकुन्तलयाऽपि ज्ञातम् इदमन्यद्भाग्यं शकुन्तलाया: यत् कण्वस्य तां प्रति अनुरूपवरप्रदाने सङ्कल्प: एवं क्रमश: तस्या: भाग्यं दुष्यन्तविवाहपर्यन्तमनकूलमेवासीत्।

- **कण्वप्रेम-** चतुर्थाङ्के शकुन्तलायां कण्वस्य प्रेम बहुधा वर्णितम्। जन्मकारणहेतुभूतयो: – मेनकाविश्वामित्रयो: शकुन्तलायामौरस्यामपि या प्रीति: न वर्तते सा प्रीति: शकुन्तला कण्वात् लब्धवती। प्रायश: अपविद्धस्य सन्तानस्य एवंविधपालयितुर्लाभ: लोके दुर्लभ एव। प्राप्तामपि सुतां कण्व: औरस्या: सुताया: अपि वात्सल्येन पोषितवान्। प्रथमाङ्के एव तन्निदर्शनं दृश्यते। वृद्धोऽपि कण्व: शकुन्तलाया: दैवं प्रातिकूल्यं निवर्तयितुं तपश्चरणाय सोमतीर्थं गत:। अत्रान्तरे एव उपद्रव: समुत्पन्न:। प्रायश: शकुन्तलाया: प्रातिकूल्यं दैवेन दुष्यन्तविवाहा– नन्तरमेव उपपादितं स्यात्। तपोवनात् प्रत्यागमनसमनन्तरमेव स शकुन्तलायां जातचित्त: स्यात्। अत एव अग्निशरणालिन्दे प्रविष्टस्यापि शकुन्तला स्मृतिरेवासीत्। अत: शकुन्तला दुष्यन्तेन परिणतपूर्वा इति अशरीरिणी वाक् तमूचे।

दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुव:।
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निभार्यां शमीमिव॥[7]

6.रा.बा.का.– 53.5.58

शकुन्तला पितृप्रेम्णः भाग्यं यादृगनुभूतवती तत्सर्वं श्लोकचतुष्टये शाकुन्तले पिण्डीकृतम्। कण्वः शकुन्तलागमनसमये स्वस्य दुःखमन्येभ्यः संविभज्य भोक्तुं न शक्नोति धीरप्रकृतित्वात्। अतः वृक्षादीनेव उद्दिश्य आलापनेन स्वव्यथाः दूरीचकार। यदाहुः –

पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया।

शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते॥[8]

ततः कण्वः दुःखोपशमनाय वृक्षान् आमन्त्रितवान्।

पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषुया

नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्।

आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः

सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्॥[9]

शकुन्तलायाः भाग्यवशेन वनदेवतानामपि तस्यां बहुतरा प्रीतिरासीत्। पतिगृहगमनसमयेमण्डनद्रव्यार्थं वृक्षेषु चरद्भ्यः कण्वशिष्येभ्यः वनदेवताभिः सर्वं शकुन्तलाप्रसाधनसाधनं दत्तम्।

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं

निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्।

अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितै-

र्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः॥[10]

इति कण्वशिष्यवाक्येषु तत्स्पष्टम्। कण्वः शकुन्तला पतिगृहगमनसमये यादृक् दुःखमनुभूतवान् तदपि पितृप्रेमसूचकं भाग्यमेव।

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया

कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।

वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते

गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुः खैर्नवैः॥[11]

वदति च अत्र तृतीयचरणे अर्थापत्त्या गृहस्थानां दुःखनिरवधिकमिति सूचितम्। शकुन्तलया आत्मप्रधानसमये गुरुजनः नापेक्षितः एवं स्वतन्त्रचारिणीमपि तामनुरागेणैव कण्वः चक्षमे। एवं –

सङ्कल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे

भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वम्।

7.अ.शा. 4/4

8.उ.रा.च. – 3/29

9.अ.शा. – 4/9 2

10.अ.शा. – 4/5 3

11.अ.शा. – 4/6

चूतेन संश्रितवती नवमालिकेय

मस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः॥[12]

एवं शकुन्तलायाः मनसः अनुसारेण तया एव स्वीकृतः भर्ता न किञ्चित् सन्देष्टव्यः।सद्वरप्रतिपादनाय कण्वप्रार्थना – कण्वः स्वयञ्च शकुन्तलायामनुरागं दर्शयेत् तथापि –शङ्कितः पिता दुष्यन्तं सन्दिशन् स्वतपोनिधित्वकथनेन किञ्चित् भयमपि उपदिष्टवान्। यथा –

अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मनः

त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम्।

सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया

भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः॥[13]

शकुन्तलाभाग्यमपि कण्वेन अस्मिन् श्लोके निर्दिष्टम्। अस्माकं संयमः एव धनम्। त्वं शकुन्तलायां दर्शितानाधरः दण्डितो भवसि इति ध्वनिः रेखामात्रेण गम्यतेऽत्र। अभिजातस्त्वं प्रकृतः इव इमां तिरस्कर्तुं नार्हसि। अन्योऽन्यकलहे पुनः सौहार्दं साधयितुं बन्धूनां प्रमेयः बन्धकृते विवाहे भवति। स्नेहप्रवृत्तिः अबान्धवकृता इति हेतोः नैसर्गिकी फलानपेक्षिणी भवेत्। इयञ्च या प्रतिपत्तिः साधारण्येन अन्तः पुरस्त्रीभ्यः दीयते तथैव प्रतिपत्त्या द्रष्टव्या। अनेकभार्यासु सतीषु तासु समानादरः परिणीत्रा दर्शयितव्यः। दाम्पत्यदिनक्रमः विभवे परिजनः, निवासस्थितिः, भोजनाच्छादन–दान–रक्षा इति प्रतिपत्तिः, सर्वस्त्रीसाधारणा ततोऽधिका प्रतिपत्तिः एषा नाभिलषति। अयाचितसौख्यादिप्राप्तिः भाग्येन यदि सम्पद्यते तद् वधूबन्धुभिः नादेष्टव्यम्। अस्माकं कन्या सपत्नीभ्यः श्रीयुक्ते भवने वासनीया अधिकान्याभरनानि अस्यै देयानि।दुकूलानि प्रतिपादनीयानि सर्वदा अस्या एव गृहे इतराः विहाय त्वया निवासकार्य इत्यादिः निर्बन्धः सपत्नीबाधकः न प्रार्थनीयः।

कदाचित् अप्रार्थितं तद्भाग्यवशेन लभ्यते तदा वधूभाग्यमेव अत्र भाग्यपदं कालिदासः साभिप्रयां प्रयुङ्क्ते। विशेषतः आयत्तशब्दयोगेन भाग्ये आयत्तं भाग्यायत्तमिति। सर्वपि सुखदुःख्खादिकं भाग्याधीनमित्यर्थः। (भाग्यपरतन्त्रं न स्वतन्त्रञ्च)

परतन्त्रःपराधीनः परवान्नाधवान्नपि।

आधीननिम्नायत्तः अस्मतन्त्रः गुह्योऽस्यौ॥ इत्यमरः।

क्वचित् प्राप्यमपि यन्न लभ्यते तत्रैव भाग्यं कारणं मन्तव्यमिति कवेः आशयः। अलाभेऽपि शोकः न कार्यः। अत्र केचित् “सामान्यप्रतिपत्तिः” इति पादे “सा मान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम्” इति पदच्छेदनमत्यन्तगौरवेण द्रष्टव्या इति सन्देशसारं वदन्ति। अपरेषु “सा–मा–अन्यत्–प्रतिपत्तिपूर्वकम्” इति छेदेन अन्यासां सपत्नीनां या प्रतिपत्तिः तथाविधप्रतिपत्तिमात्रेण एषा न दृश्या आधिक्येन द्रष्टव्या इत्यादि व्यचिख्या सन्ति। (व्याख्यानं कर्तुमिच्छा व्यचिख्या इति) चतुर्थपादविरोधात् सर्वमुत्प्रेक्ष्यम्। शकुन्तलायै कण्वाशीः – शकुन्तलां प्रति सन्दिशन् कण्वः हितं वदन्नेव अनुरागं दर्शयति।

शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने

भर्तुर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥[14]

12.अ.शा. – 4/13

13.अ.शा. – 4/17

1) गुरुजनसेवनम्
2) सपत्नीजनैः सह स्नेहभावना
3) भर्तुः विषये सत्प्रवर्तना
4) परिजनानां विषये दाक्षिण्यप्रधानम्
5) ऐश्वर्यवत्यपि गर्वरहिता भवितव्या

इत्येवंरूपेण हितमुक्तवान् कण्वमुनिः।

अत्र "भाग्येष्वनुत्सेकिनी" इत्यत्र भाग्येन प्राप्तेषु सुखेषु इत्यन्वयः कार्यः। भाग्यपदस्य सामान्यसुखदुःखादिविषयकत्वेऽपि उत्सेकपदसाहचर्येण सुखमात्रग्रहणम्।पञ्चमाङ्केऽपि राज्ञा प्रत्याख्यातापि शकुन्तला कण्वशिष्यैः अनुनीता। अनुनयेऽपि शाङ्र्गरवस्यतीव्रतैव दृश्यत इत्यत्र धर्मः कारणम्। न शकुन्तलाभाग्यम्।

यदि यथा भवति क्षितिपस्तथा
त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया।
अथ तु शुचिव्रतमात्मनः
पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्॥[15]

इति आदेशे शाङ्र्गरवः शकुन्तलाभाग्यमेव निन्दति। शकुन्तलायां तु तस्य वात्सल्यमनल्पमेवस शकुन्तलाया एव वाक्यानि विश्वसिति न राज्ञ इति शकुन्तलाभाग्यमेव। अन्यथा शकुन्तला निन्दिता स्यात् . शाङ्र्गरवः राजानमेवं वदति –

आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो य
स्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ।
परातिसन्धानमधीयते यै
र्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः॥[16]

- **अङ्गुलीयकप्राप्तिः-** शाकुन्तले शकुन्तला भाग्यवती इति कथयितुं प्रत्यक्षतया दृश्यमानः सन्निवेश एक एव तदङ्गुलीयकप्राप्तिः। षष्ठाङ्के प्रवेशिकायामपि धीवरवृत्तान्तेन शकुन्तलायाः भाग्यमेव सूचितम्। प्रायशः प्रवाहे पतितं बृहदपि वस्तु पुनः न लभ्यते। हिमवतः उपत्यकासु गङ्गा महता वेगेन प्रवहति। सर्वाः नदीशाखाः तत्रत्याः गङ्गायाः एव भवति नाम तु भिन्नं स्यात्। तादृक् प्रवाहे पतितमपि अङ्गुलीयकं केनापि मत्स्येनैव ग्रस्तं न सैकते अन्तर्हितं न वा शिलामध्ये पतितं सोऽपि मत्स्यः धीवरेण गृहीतः। सर्वे मत्स्या; जालोपजीविभिः गृहीताः न भवन्ति। सोऽपि धीवरेण आसादितः तं मत्स्यं यथायथमविक्रिय्य खण्डशः कल्पनं राजपुरुषैः ग्रहणं पुनः राज्ञा अङ्गुलीयकदर्शनमिति तत्सर्वमसम्भाव्यमपि शकुन्तलायाः भाग्यवशेनैवासीत्।
- **कश्यपाश्रमे निवासः** - भर्त्रा तिरस्कृतां शकुन्तलां मेनका स्वर्गं नीत्वा कश्यपाश्रमे वासयामास। शकुन्तलायाः भाग्यवशेन पुनः दुष्यन्तः कश्यपाश्रममाजगाम। इदमपरं शकुन्तला भाग्यविपर्ययकारणं पञ्चमाङ्कारम्भे विदूषकनिर्गमनम्। हंसपादिका नाम दुष्यन्तपत्नी वीणामुपवीणयन्ती एवं गीतवती – –

14.अ.शा. – 4/18
15.अ.शा. – 5/27
16.अ.शा. 5/25

अभिनवमधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्।

अमलवसतिमात्रनिर्वृत्तो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कथम्॥[17]

ततः राजा तामनुनेतुं विदूषकं प्रेषितवान्। शकुन्तला प्रत्याख्यानसमये यद्ययं सन्निहितः तदा साक्षी भवेदेव। षष्ठाङ्के राजा विदूषकमेवं जगाद – किमिति शकुन्तलाविषयः त्वया न स्मारित इति। तदानीं विदूषकः द्वितीयाङ्कान्तवचनं स्मरन् दुष्यन्तमेवमुक्तवान्–"भवतैव तस्याः कथा परिहासविजल्पितमिति भणितम्" इति। एवं द्विः विदूषकदूरीकरणं शकुन्तलाभाग्यकृतमेव। अन्यथा मातुः अनुरागः कश्यपाश्रमे निवासः, भरताय कश्यपस्य आशिषः, दुष्यन्तस्य अनुतापः, दुष्यन्तेन क्षमायाचनम् इति तत्सर्वमसम्भाव्यमेव।

सप्तमाङ्कान्ते शापोहतचेतस्कः त्वं तिरस्कृतवानिति शकुन्तलां दुष्यन्तः बहुधा अनुनयति।

सुतनु ! हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते

किमपि मनसः सम्मोहो मे तदा बलवानभूत्।

प्रबलतपसामेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः

स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहि शङ्कया॥[18]

कश्यपः शकुन्तलायै आशिषं प्रयुञ्जानः तस्याः भाग्यमेवं प्रशशंस।

आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः।

आशीरन्या न ते योग्या पौलोमी सदृशी भव ॥[19]

- **शकुन्तलायाः भाग्यविपर्ययः-** दुष्यन्तस्य परिहासवचनानि – शकुन्तलायाः भाग्यविपर्ययः बीजरूपतया द्वितीयाङ्कान्ते एव निरूपितः। स च विदूषकनिष्क्रमणात्मकः दुष्यन्तः यज्ञरक्षार्थमाश्रममाहूतः दुष्यन्तः विदूषकमपि आश्रमं नेतुमियेष। विदूषकोऽपि राजानं रक्षकं दृष्ट्वा राक्षसपीडामगणयन् आश्रमं गन्तुमुच्छुकःअत्रान्तरे राजमाता पुत्रपिण्डपालनव्रतोऽध्यापनार्थं पुत्रं प्रतिनिवर्तमानमैच्छत्। राजाऽपिकार्यव्याकुलः–

कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद् द्वैधीभवति मे मनः।

पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतोवहो यथा॥[20]

तदा राजा उपायमेकं चिन्तयामास। विदूषकोऽपि मातुः पुत्रकल्पः। अतः विदूषकेन पारणनिर्वाह्य ततो विदूषकं राजधानीं प्रेषयामास। सर्वं च सैन्यमाश्रमोपप्लवकारकमपि नगरमेव प्रेषितवान्।

ततः एक एव आश्रमं जगामनगरप्रस्थानकाले विदूषकमेवमुक्तवान् –

क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः।

परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः ॥[21]

17.अ.शा. – 5/01

18.अ.शा. – 7/24

19.अ.शा. – 7/28

20.अ.शा. 2/17

21.अ.शा. 2/18

चपलोऽयं वटुः अन्तः पुरे शकुन्तलावृत्तान्तं प्रचारविषयी करोतीति शङ्कितः दुष्यन्तः एवमवदत्। केचित् दुष्यन्तः सत्यमेव जगाद इति निरूपयितुं श्लोकद्वितीयार्धे “परमार्थे” इति सप्तम्यन्तमन्वयि। नकारद्वयं पठन्ति परमार्थैवेति भावः। तेषां मते परिहासविजल्पितमिति वचनमसङ्गतमेव भवति। दुष्यन्तः स्त्रीविषये असत्यमुक्तवान् इत्यत्र न दोष इति वक्तुं महाभारतमेव प्रमाणम्।

न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्रीहु राजन्त विवाहकाले।

प्राणात्यये सर्वथानापहारे पञ्चानृतान्याहरपातकानि॥

एवं साक्षिरूपः विदूषकः तृतीयाङ्के नास्तीति शकुन्तलायाः भाग्यविपर्यय एव।

- **दुर्वास-शापवृत्तान्तः** - कविना कालिदासेन कल्पितः दुर्वाससः शाकुन्तले चातिरम्यः। चतुर्थाङ्के शकुन्तलायाः भाग्यमाकुलीकृतं दैवने। गान्धर्वेण विधिना परिणीय “पश्चात् त्वां नेष्यामि” इति प्रतिज्ञाय दुष्यन्तः नगरं गतः। दुष्यन्तमेव चिन्तयन्ती शकुन्तला आश्रमद्वारदेशे तस्थौ। तदा सुलभकोपः दुर्वासाः अतिथिभूया आगत्य “कः कोऽत्र भोः !” इति आहूतवान्। दुष्यन्तलग्नमनस्का शकुन्तला तन्न श्रुतवती। ततः दुर्वासाः तामेवं शशाप आः अतिथिपरिभाविनि ! –

विचिन्त्यन्ती यमनन्यमानसा

तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि

सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव॥[22]

ततः पुष्पापचयं कुर्वन्त्यौ सख्यौ तत्र आजग्मतुः। शापं निवर्तयितुं दुर्वाससमनुसूया बहुधा प्रार्थयामास। सोऽपि अभिज्ञानदर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इत्युक्त्वा जगाम। शकुन्तला खिन्ना भीता च भवतीति सख्यौ तां शापं नोक्तवत्यौ। प्रवासात्प्रतिनिवृत्तः कण्वः तां पतिगृहं प्रेषयितुं कृतयत्नो बभूव। तदाऽपि सख्यौ शापवृत्तान्तं न कस्मैचित् ऊचतुः। शाङ्र्गरवशारद्वतौ गौतमी च शकुन्तलां नीत्वा पतिगृहं गतवन्तः। शापमोहितः राजा शकुन्तलां तिरस्कृतवान्। यदा शकुन्तला अङ्गुलीयकं दर्शयितुं यत्नं कृतवती तदैव तन्नष्टमिति शकुन्तलया ज्ञातम्। ततः शाप : अनवशितः शकुन्तला च दुष्यन्तेन तिरस्कृता।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदासः, चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस, वाराणसी,1970
2. अमरकोशः, रामाश्रमी टीकासहित, चौखम्बासंस्कृतसीरीज आफिस, वाराणसी,1970
3. अष्टाध्यायी(पाणिनिः),श्री रा. चन्द्रवासुः,मोतीलालबनारसीदासः,दिल्ली
4. अष्टाध्यायी, ज्ञानभारती पाब्लिकेशन्, दिल्ली, 2009
5. उत्तररामचरितम्, भवभूतिः, मोतीलाल बनारसीदास–दिल्ली,1999
6. मनुस्मृतिः, मोतीलाल बनारसीदास–दिल्ली,1983
7. रामायणम्, वाल्मीकिः (अनुवादक – दासमार्कण्ड), भूवनेश्वरम्, 1997
8. श्रीमद्रामायणम्- वाल्मीकिः गीताप्रेस् गोरख्पुर् विक्रम सं. 2010

22.अ.शा. 4/1

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

सतना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. रचना श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र विभाग)
शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

श्रीमती विनीता सिंह
शोध छात्रा (समाजशास्त्र विभाग)
शा.कन्या महाविद्यालय, रीवा (मध्य प्रदेश)

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 83-102

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

शोधसारांश– महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के साथ ही देश में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे थे। सर्वप्रथम तो इसने रोजगार प्राप्त करने के मानवीय अधिकार को वैधानिक दर्जा प्रदान कर लोगों को जागरूक करने का काम किया तथा इस अधिनियम ने ग्रामीण बेरोजगारों को यह समझाया है कि रोजगार का अधिकार उनके जीवन के अधिकार में सन्निहित है। मनरेगा अपने प्रारम्भ की तिथि से ही ग्रामीण जन–जीवन को प्रभावित करने लगा है। देश, प्रदेश तथा जिले में काफी मात्रा में प्रभाव दिखायी पड़ रहा है। जब हम प्रभाव की बात करते है तो इससे तात्पर्य होता है कि लक्षित समूह के जीवन के प्रत्येक पहलू को इसने छुआ है तथा अंशतः ही सही किन्तु परिवर्तन अनिवार्यतः हुआ हो। मनरेगा ने ग्रामीणों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है, अंतर केवल मात्रात्मक है। हम साक्षरता दर को देखे, विवाह की आयु में आया परिवर्तन, महिला प्रस्थिति, गाँव से होने वाले पलायन की स्थिति हो या लोगों के क्रय शक्ति की बात हो सभी क्षेत्रों में मनरेगा ने ग्रामीणों को प्रभावित किया है। सतना जिले की सामाजिक व्यवस्था, जाति आधारित है। यहाँ स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी गाँवों में जाति आधारित उच्चता व निम्नता की भावना व्याप्त है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इतने कठोर नियम अधिनियम बनाये जाने के बाद भी गाँवों में इसे सामाजिक मान्यता मिली हुई है। ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की प्रमुख संस्थाओं में जाति, संयुक्त परिवार, विवाह आदि में मनरेगा का प्रभाव पड़ने से मुखिया की भूमिका, महिला की प्रस्थिति एवं बाल मजदूरी में काफी प्रभाव पड़ा है। इन सभी क्षेत्रों में पड़ने वाले सम्मिलित

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रभाव को हम सामाजिक स्थिति में पड़ने वाले प्रभाव के रूप में समझेंगे। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति से तात्पर्य गरीबी बेरोजगारी, क्रय शक्ति, जीवन शैली आदि से है। मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीण गरीबों को रोजगार की उपलब्धता हुई, गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी में क्या परिवर्तन हुआ, उससे ग्रामीणों की बीपीएल प्रस्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, ग्रामीणों की क्रयशक्ति में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। मजदूरी दर एवं मँहगाई की दर में कितनी समानता–असमानता है, का सम्पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर मनरेगा का प्रभाव समझा जा सकेगा। प्रस्तुत शोध–पत्र में मनरेगा के द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आने से उनकी सामाजिक प्रस्थिति में होने वाले परिवर्तनों का भी विश्लेषण करना है।

पारिभाषिक शब्दः– मनरेगा, रोजगार, अकुषल मजदूर, ग्रामीण, बेरोजगारी, पलायन, बी.पी.एल., बाल मजदूरी रोजगार गारंटी क्रय शक्ति।

प्रस्तावनाः– भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.8 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है, फलतः कृषि पर बढते जनसंख्या दबाव के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी, बेरोजगारी तथा कुपोषण में वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। इसी कारण संभवतः देश में लाखो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। सैकड़ो परिवारों को जी तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे वर्ष पेटभर रोटी नही मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी सूखा में उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों मे अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्ही अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में एक ''नया भाग 9 अनुच्छेद, 243 से 243 – O, अनुसूची 11 जोड़ कर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनो को साकार करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को स्थानीय स्वसाषी निकाय के रूप में प्रभावी इकाई बनाने पर बल दिया गया इस प्रकार भारत मे ग्रामीण विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ अब ग्रामीण गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी निवारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, षिक्षा का विकास आदि के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों, के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मदारी, ग्राम पंचायतों को दी गई केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी कम करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं मे कई प्रकार की योजनाएं जैसे– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि एवं नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी रणनीति

जैसे– प्रधान मंत्री जन धन योजना, ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के प्रभावी क्रियान्वयन की जवाबदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई। ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी के दुवचक्र को निम्न रूप में समझा जा सकता है।

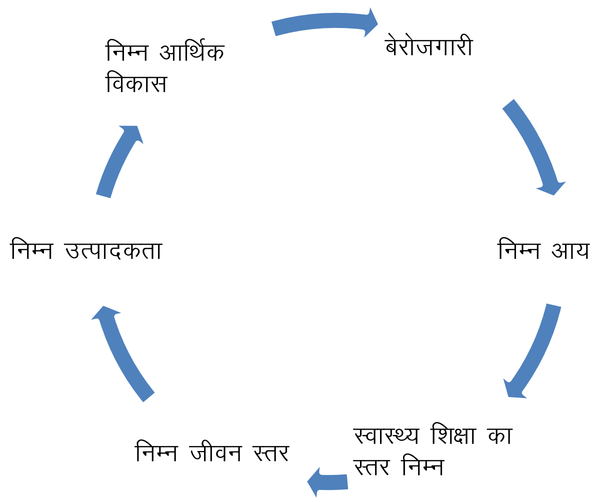

उपरोक्त लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओलॉरेंज द्वारा विकसित करते हुए किसी भी देश के लोगों के बीच आय विषमता को दर्शाने का प्रयास किया गया था। भारत में भी समय–समय में विभिन्न समितियों द्वारा ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी को समझने एवं उन्मूलन हेतु अनुषंसाए की गई है, इसी परिपेक्ष्य में बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए बताया गया कि जब एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर से काम के लिए करने के लिए इच्छुक एवं तैयार रहता है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है सामान्यतः 15 से 59 के आयु वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से कार्य शील माना जाता है भारत में बेरोजगारी कई रूपों में दिखाई देती है शहरो में औद्योगिक बेरोजगारी एवं गांवो में अदृष्य एवं मौसमी बेरोजगारी ज्यादा दिखाई देती है इसके अतिरिक्त खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी अल्प रोजगार घृण्ड्ात्मक बेरोजगारी, चक्रींय बेरोजगारी भी देखने को मिलती है।

इसी परिप्रेक्ष्य मे भारत सरकार ने 7 सितम्बर, 2005 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का अकुषल रोजगार पाने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष मे 100 दिन का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान किये जाने की गारंटी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष मे बिना कुशलता वाले हस्त कार्य होने वाले कार्यो के लिए निश्चित रोजगार उपलब्ध कराना जिनसे निर्धारित एवं उपयोगी संपत्ती बनाई जा सके, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के स्त्रोतों को सुश्चित करना, उचित तरीके से सामाजिक समानता को यकीन मे बदलना, पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाना है।

मनरेगा का परिचय –

देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है। सैकड़ों परिवारों को जी–तोड़ मेहनत के बावजूद पूरे साल भरपेट रोटी नहीं मिलती। उस पर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी में उनकी हालत बद–से–बदतर हो जाती है। ऐसे लोगों में अधिकतर अकुशल मजदूर शामिल है। इन्हीं अकुशल मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हरेक राज्य सरकार को निर्देश देता है कि छह महीने के भीतर एक ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तैयार करे, जिससे कि रोजगार गारंटी का कार्यान्वयन किया जा सके। इस प्रकार, यह अधिनियम काम की गारंटी को कानूनी आधार प्रदान करता है और यही इस योजना का अर्थ है, जिसके माध्यम से यह गारंटी प्रभाव में आ जाती है। इसकी विशेषता है कि यह अधिनियम एक राष्ट्रीय अधिनियम है और योजना राज्य–विषयक है। इसे सन् 2006–07 में 200 जिलों में लागू किया गया और वर्ष 2007–08 में इसमें 130 और जिले शामिल कर लिये गए तथा वित्त वर्ष 2008–09 से देश के बाकी हिस्सों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुड़ा है और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कृतसंकल्प है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार को बढ़ाना है। इस अधिनियम के अंगर्तत प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने, सूखा राहत–कार्य, वन–उन्मूलन और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कार्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास की ओर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। मनरेगा संसार का पहला ऐसा अधिनियम है, जो मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसकी मजदूरी का भुगतान 15 दिन में हो जाता है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। इसमें महिलाओं की 33 प्रतिषत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित हुआ था और वित्तीय वर्ष 2006–07 में लागू हुआ।

मुख्य उद्देश्य–

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन अकुशल मजदूरों के लिए प्रति वर्ष 100 दिन की मजदूरी की गारंटी देना है, जो मेहनत–मजदूरी करके अपने परिवार की रोजी–रोटी चलाते है।

लक्ष्य –

- निर्धन ग्रामीणों को रोजगार पाने के लिए कानूनन मजबूत करना।
- समाज के असुरक्षित समूहों के पास रोजगार के वैकल्पित स्रोत न होने की स्थिति में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना।

- प्रजातंत्र को ग्राम–स्तर से ही मजबूत करना तथा शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- ऐसे कार्य करना, जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सुदृढ़ हो, जो कि सूखा, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव जैसे अवांछित कारणों को दूर करते हैं और सतत् विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को बेरोजगारी का अर्थ पता है या नहीं तथा गरीबी व बेरोजगारी के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है?
इस हेतु निम्नलिखित तालिका का अध्ययन किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक 5.1

बेरोजगारी के अर्थ से संबंधित ज्ञान की स्थिति

क्र.	**बेरोजगारी**	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
		आवृत्ति	**प्रतिषत**	**आवृत्ति**	**प्रतिषत**
1	काम न मिलना	180	**60**	**105**	**35**
2	योग्यतानुसार काम न मिलना	90	**30**	**195**	**65**
3	पता नहीं	30	**10**	**00**	**00**
	योग	300	**100**	**300**	**100**

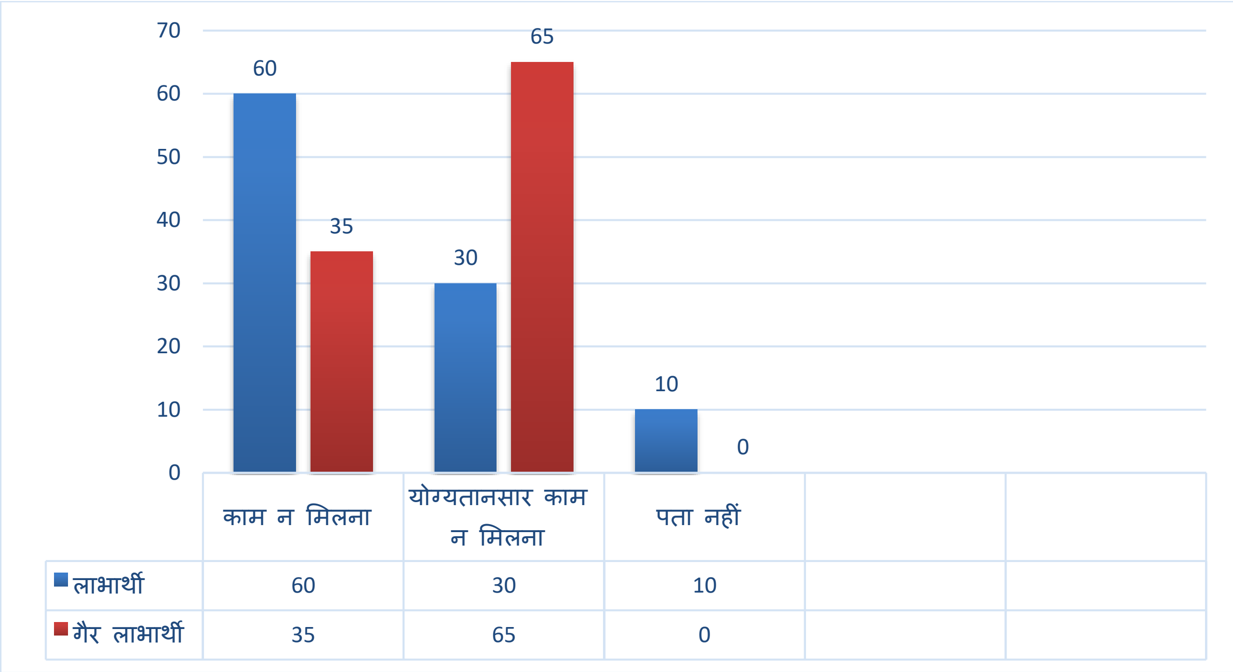

ग्राफ 1 बेरोजगारी के अर्थ से संबंधित ज्ञान की स्थिति

उपरोक्त ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि 60 प्रतिशत लाभार्थी तथा 35प्रतिशत गैर लाभार्थी के अनुसार बेरोजगारी का अर्थ काम न मिलना है। 30 प्रतिशत लाभार्थी तथा 65 प्रतिशत गैर लाभार्थी के अनुसार योग्यतानुरूप काम न मिलना ही बेरोजगारी है, वही 10 प्रतिशत लाभार्थियों को बेरोजगारी के अर्थ संबंधी कोई ज्ञान ही नहीं है। उपरोक्त ग्राफ दर्शाता है कि आधे से अधिक लोगों को बेरोजगारी का सही अर्थ ही पता नहीं है तो वे रोजगार के बारे में क्या सही समझ रखेगें।

समाजशास्त्रियों ने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यदि क्षमता, दक्षता एवं योग्यता के अनुसार इच्छुक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार "सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन–दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति को बेरोजगारी कहते है। जी.आर. मदान के अनुसार, "उस देश में बेरोजगारी है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो काम करना चाहते हैं।" डिमेलो ने "बेरोजगार व्यक्ति उसी को माना है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन–भोगी कार्य नहीं पा सकता।" अन्य शब्दों में बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है।

अब ग्रामीण गरीबों से गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करने के लिए शोधार्थी द्वारा निम्न तालिका का अध्ययन किया गया है।

तालिका क्र. 2

गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति दृष्टिकोण

क्र.	दृष्टिकोण	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	अपनी गरीबी का कारण बेरोजगारी को मानते है।	165	55	120	40
2	गरीबी व बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक होते है	105	35	96	32
3.	भाग्य में गरीबी है तो क्या करें	12	04	54	18
4	रोजगार के बाद भी गरीबी में परिवर्तन नहीं आया	18	06	30	10
	योग	300	100	300	100

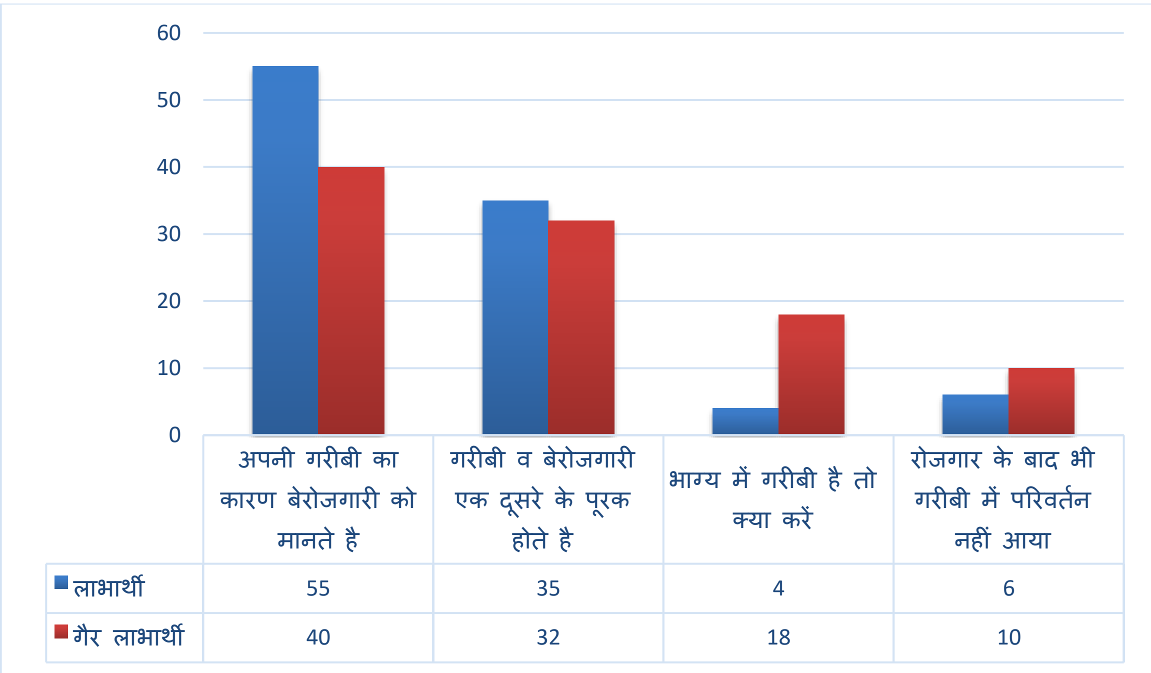

ग्राफ 2 – गरीबी व बेरोजगारी के अंतः संबंध के प्रति दृष्टिकोण

उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से यह पता चलता है कि लगभग आधे से अधिक लोग अपनी गरीबी का कारण बेरोजगारी को मानते है। 35 प्रतिशत लोगों ने गरीबी व बेरोजगारी को एक–दूसरे का पूरक माना है। वहीं 4 प्रतिशत लाभार्थी तथा 18 प्रतिशत गैर लाभार्थियों ने अपनी गरीबी का जिम्मेदार भाग्य को ठहराया है। तथा जब मनरेगा द्वारा प्रदान किए गये रोजगार से उनकी गरीबी में आने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी ली गई तो 6 प्रतिशत लाभार्थी तथा 10 प्रतिशत गैरलाभार्थी लोगों का मानना है कि रोजगार के बाद भी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

मनरेगा से प्राप्त रोजगार के अवसरों से ग्रामीणों की जाति व्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण निम्न तालिका से किया जा सकता है:–

तालिका क्र. 5.3

जाति व्यवस्था में पड़ा प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	जाति व्यवस्था कमजोर हुई	00	00	00	00
2	अस्पृष्यता में कमी हुई	177	59	165	55
3	जाति आधारित कार्य की भावना में कमी आई है।	96	32	114	38
4	कोई विषेष प्रभाव नहीं पड़ा	27	9	21	7
	योग	300	100	250	100

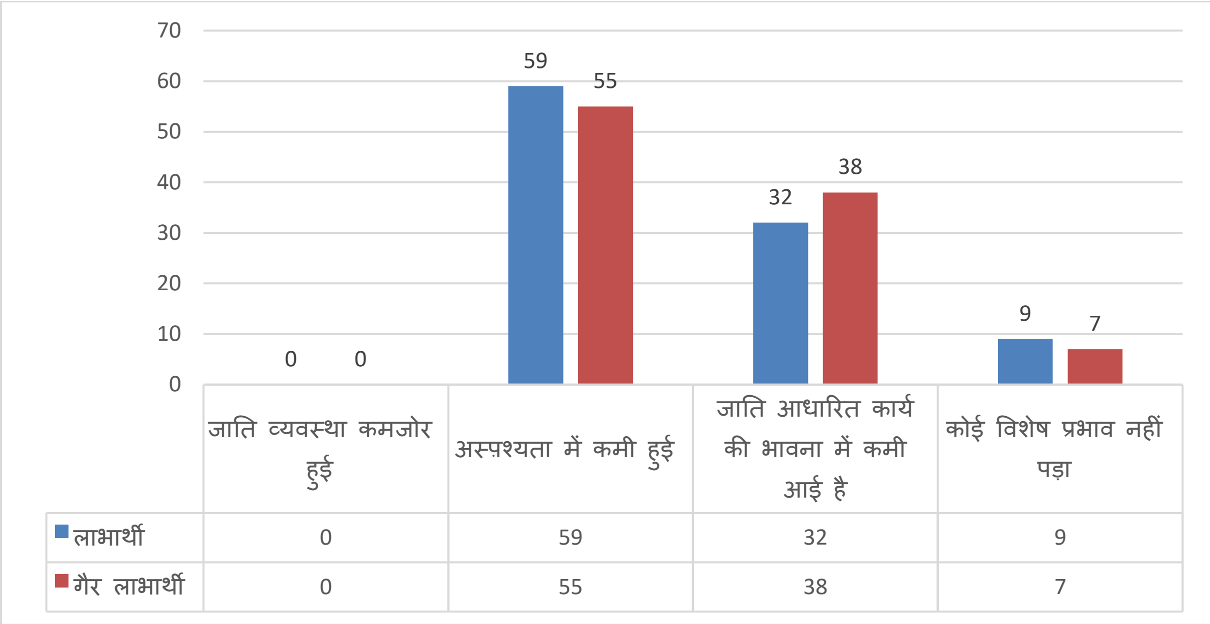

ग्राफ क्रमांक 3 : जाति व्यवस्था में पड़ा प्रभाव

उपरोक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि मनरेगा के अंतर्गत एक ही कार्य क्षेत्र में काम करने से अस्पृश्यता में कमी आई है। 59 प्रतिशत लाभार्थी तथा 55 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का यह मत है। इसी तरह 32 प्रतिशत लाभार्थी तथा 38 प्रतिशत गैर लाभार्थी की मान्यता है कि अब गाँवों में इस भावना में थोडी कमी आई है कि जो ढीमर है वही पानी भरेगा या जो बारी है वही बर्तन धोयेगा या दोने–पत्तल का काम करेगा एवं नाई एवं बनिया जाति केवल अपने परम्परागत व्यवसाय ही करेंगे। विश्लेषण से तथ्य निकलकर आता है कि जाति आधारित कार्य की भावना में कमी को एक तिहाई ग्रामीण स्वीकारते है। वही 9 प्रतिशत लाभार्थी तथा 7 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का मानना है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से गाँवों में जाति व्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है।

मनरेगा के तहत प्रावधान है कि रोजगार प्रत्येक इच्छुक परिवार के एक वयस्क सदस्य को प्रदान किया जायेगा तथा यहाँ परिवार को परिभाषित करते हुए पति–पत्नी व उनके अविवाहित बच्चों को एक परिवार की संज्ञा दी है। हम जानते है कि गाँवों में सामान्यतः, संयुक्त परिवार पाया जाता है, किन्तु मनरेगा से ग्रामीण संयुक्त परिवारों पर भी प्रभाव पड़ा है।

तालिका क्र. 4

संयुक्त परिवार पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	संयुक्त परिवार पूर्णरूपेण टूट रहे हैं।	117	39	72	24
2	संयुक्त परिवारों में होने वाला विघटन केवल रोजगार प्राप्त करने हेतु है।	168	56	156	52
3	संयुक्त परिवारों के महत्व में कमी आयी है।	12	4	54	18
4	पूर्ववत् स्थिति बनी हुई है	3	1	18	6
	योग	300	100	300	100

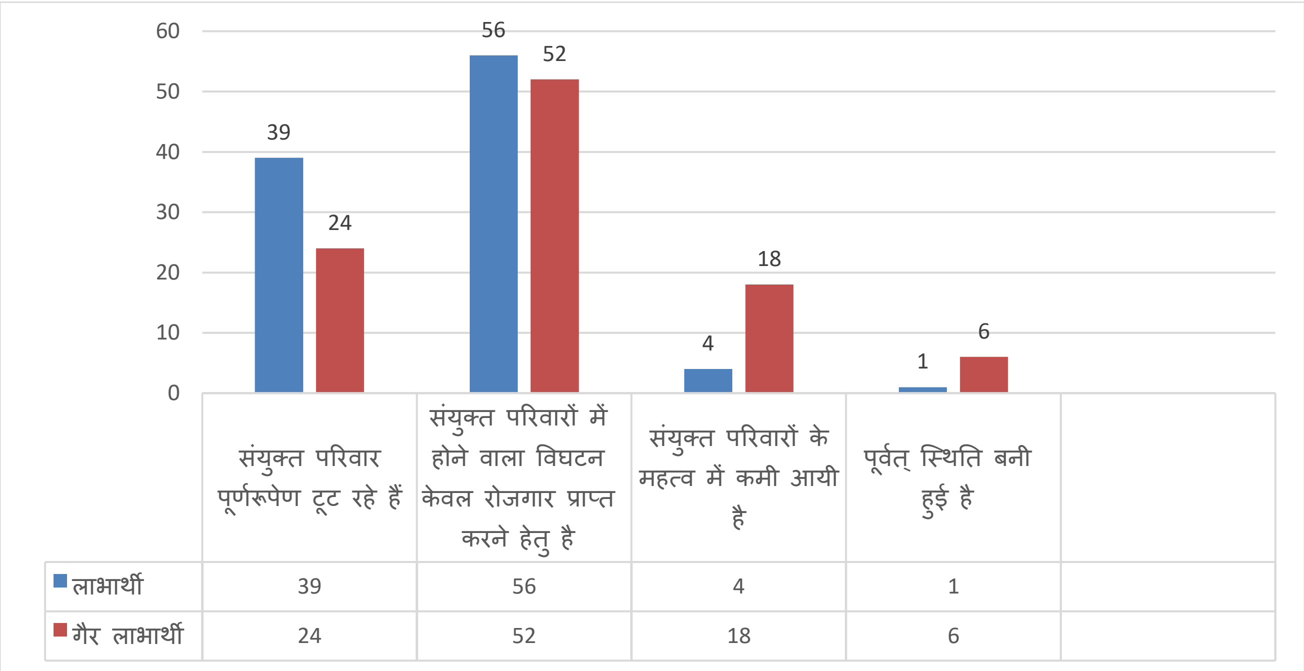

ग्राफ क्रमांक 4 : संयुक्त परिवार पर प्रभाव

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से तथ्य सामने आता है कि ग्रामीणों की संयुक्त परिवार में आस्था बनी हुई है तथा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए ही वे अपने आप को पृथक इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

दूसरा पक्ष यह भी दिखा कि 39 प्रतिशत लाभार्थी तथा 24 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का मानना है कि गाँवों से संयुक्त परिवार पूर्णरूपेण टूट रहे है तथा 4 प्रतिशत लाभार्थी व 18 प्रतिशत गैरलाभार्थियों का मानना है कि गाँवों में भी अब संयुक्त परिवार का महत्व समाप्तप्रय है।

विवाह की आयु में भी मनरेगा के क्रियान्वयन से प्रभाव पड़ा है जिसके लिए निम्न ग्राफ का अध्ययन किया जा सकता है–

तालिका क्र. 5 विवाह की आयु के प्रभाव

आयु	लाभाथी		गैर लाभाथी	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिषत
15 से कम	00	00	00	00
15–18	00	00	00	00
19–20	120	40	117	39
21 से ज्यादा	180	60	183	61
कुल	300	100	300	100

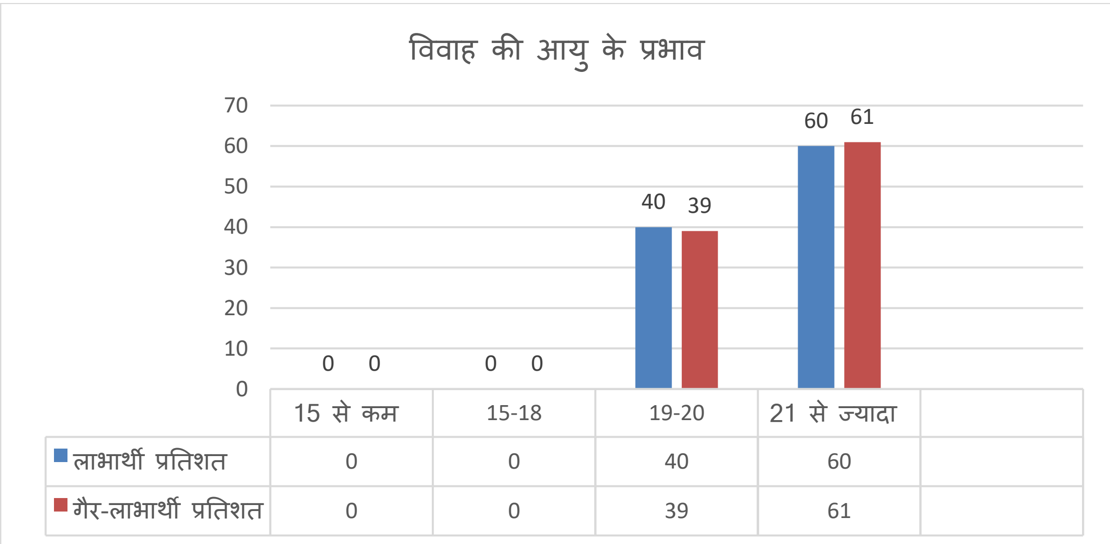

ग्राफ 5 – विवाह की आयु में प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से यह प्रदर्शित होता है कि गाँव में बालक–बालिकाओं के विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बावजूद भी वर्तमान में केवल 40 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विवाह की आयु 18 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, की आयु में विवाह करने की बात मानते हैं तथा 60 प्रतिशत लोग मानते है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह किया जाना श्रेष्ठतर होता है।

बाल मजदूरी में पड़ने वाला प्रभाव जानने के लिए निम्न तालिका का अध्ययन किया जा सकता है–

तालिका क्र. 6

बाल मजदूरी पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	बाल मजदूरी में कमी आई	240	80	276	92
2	बाल मजदूरी में कमी नहीं आई	60	20	24	8
	योग	300	100	300	100

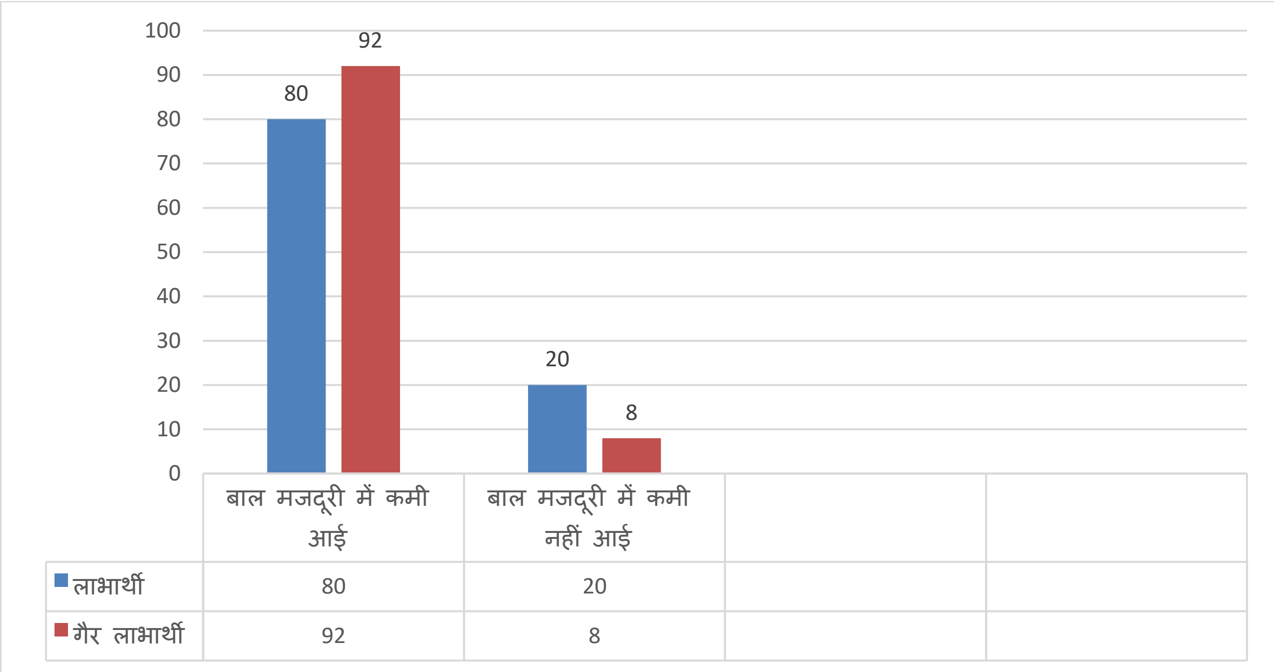

ग्राफ क्रमांक 6 : बाल मजदूरी पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से विश्लेषण से तथ्य सामने आता है कि ग्रामों में मनरेगा के तहत केवल वयस्को को रोजगार दिये जाने से 80 प्रतिशत लाभार्थी व 92 प्रतिशत गैर लाभार्थी मानते है कि बाल मजदूरी में कमी आयी है वहीं 20 प्रतिशत लाभार्थी एवं 8 प्रतिशत गैर लाभार्थी का कहना है कि कमी नहीं आयी है।

महिलाओं की प्रस्थिति में पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए निम्न तालिका का गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक जान पड़ता है।

तालिका क्र. 7

महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	उत्तरदाताओं की	
		संख्या	प्रतिषत
1	सम्मान में वृद्धि	270	**45**
2	पूर्वस्थिति विद्यमान	210	**35**
3	आर्थिक स्थिति सुधरी	120	**20**
	योग	600	**100**

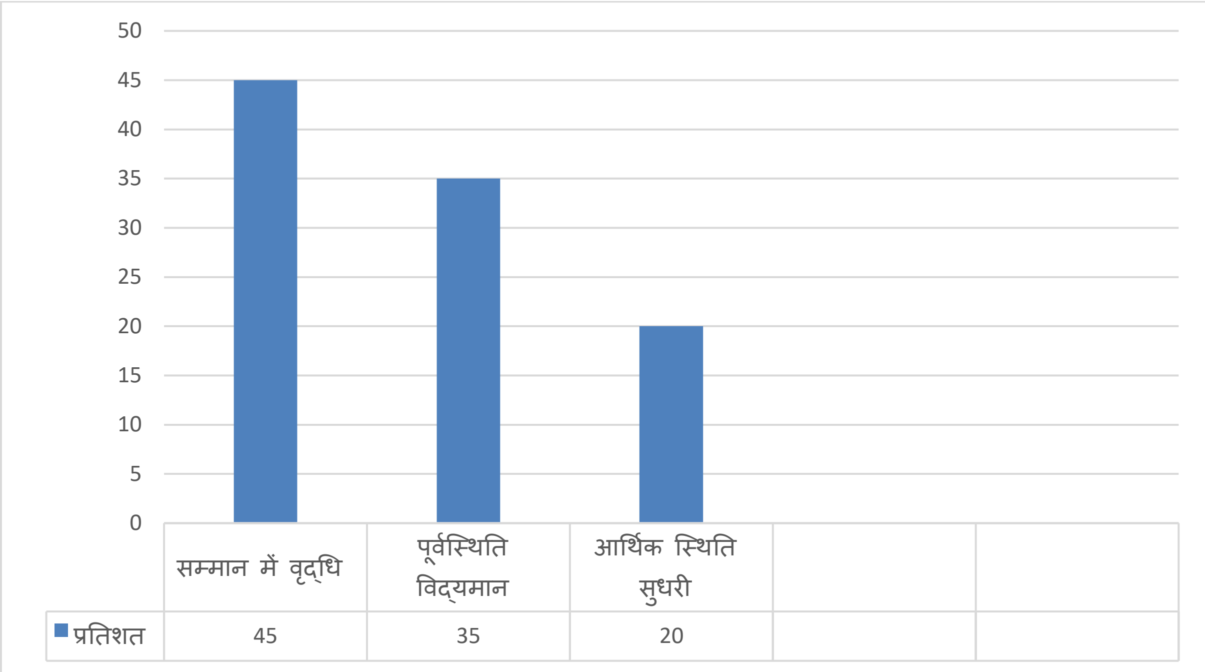

ग्राफ क्रमांक 7 : महिलाओं की प्रस्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से महिलाओं की प्रस्थिति में पड़े प्रभाव के लिए 45 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। जबकि 35 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, महिलाओं की प्रस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनकी स्थिति पूर्ववत् बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के बारे में 20 प्रतिशत ग्रामीणों का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है।

मनरेगा के क्रियान्वयन से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव का अध्ययन निम्न तालिका से किया जा सकता है–

तालिका क्रं. 8

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

क्र.	तथ्य	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत

1	बीपीएल स्टेटस में कमी आई	12	4	18	6
2	क्रय शक्ति बढ़ी	162	54	120	40
3	आधुनिक संसाधनों का प्रयोग बढ़ा है।	105	35	108	36
4	बचत की प्रवृत्ति आयी है	21	7	54	18
	योग	**300**	**100**	**300**	**100**

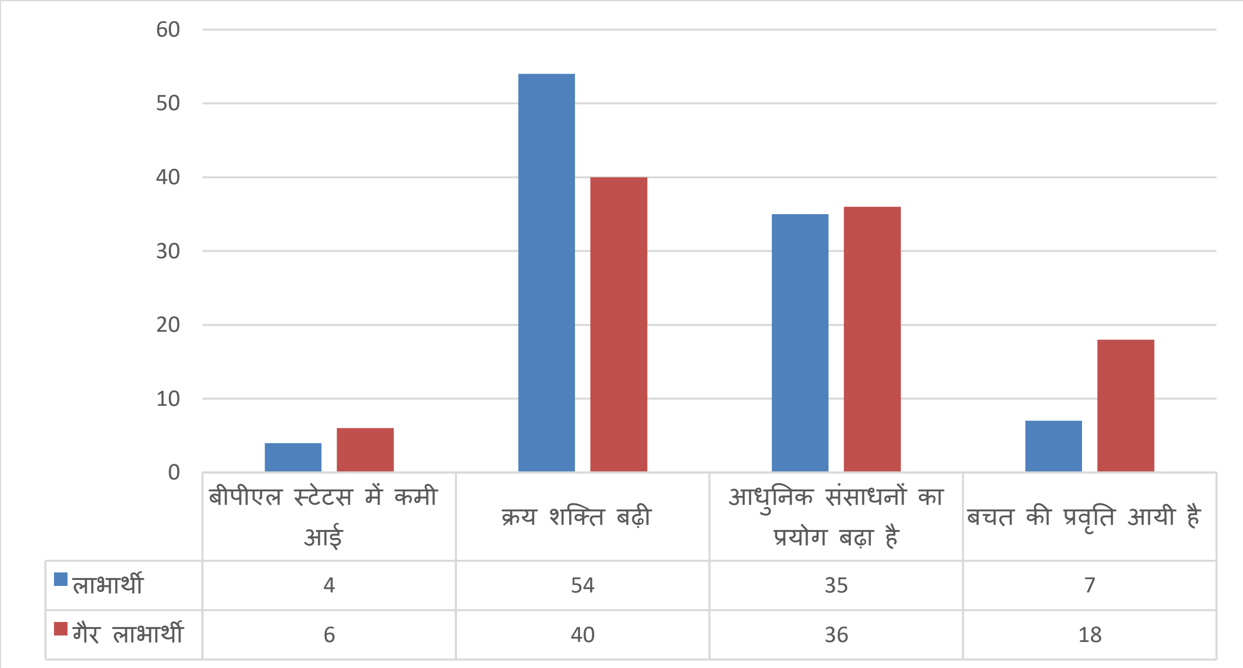

ग्राफ क्रं. 8 : आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

उपरोक्त ग्राफ के अध्ययन से पता चलता है कि 54 प्रतिशत लाभार्थी तथा 40 प्रतिशत गैर लाभार्थियों की मान्यता है कि मनरेगा के तहत प्राप्त रोजगार के कारण ग्रामीणों की क्रयशक्ति बढ़ी है। 35 प्रतिशत लाभार्थी एवं 36 प्रतिशत गैर लाभार्थी का मानना है कि इसी कारण वे आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे है। 7 प्रतिशत लाभार्थी एवं 18 प्रतिशत गैर लाभार्थी कहते है कि मनरेगा से प्राप्त रोजगार एवं निश्चित मजदूरी दर से ही ग्रामीण गरीबों में भी बचत की प्रवृत्ति पनपी है। बीपीएल स्टेटस में आये परिवर्तनों का अध्ययन करने से पता चला है कि कोई खास

परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 प्रतिशत लाभार्थी एवं 6 प्रतिशत गैर लाभार्थी ही स्वीकार कर रहे हैं कि बी०पी०एल० स्टेटस में परिवर्तन का एक कारण मनरेगा के तहत प्राप्त रोजगार है।

मनरेगा के तहत रोजगार के कार्यस्थल हेतु प्रावधान किया गया है कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति को उसके निवास स्थान से 5 किमी. की परिधि के अंदर ही रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस प्रावधान ने गामीणों को कितना प्रभावित किया।

तालिका क्रं. 9

कार्यस्थल की स्थिति का प्रभाव

क्र.	**तथ्य**	**लाभार्थी**		**गैर लाभार्थी**	
		आवृति	**प्रतिषत**	**आवृत्ति**	**प्रतिषत**
1	कार्यस्थल पास होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी	150	50	159	53
2	ग्रामीणों में पलायन में कमी	99	33	120	40
3	ग्रामीणों के पलायन में कोई प्रभाव नहीं पडा	51	17	21	7
	योग	300	**100**	**300**	**100**

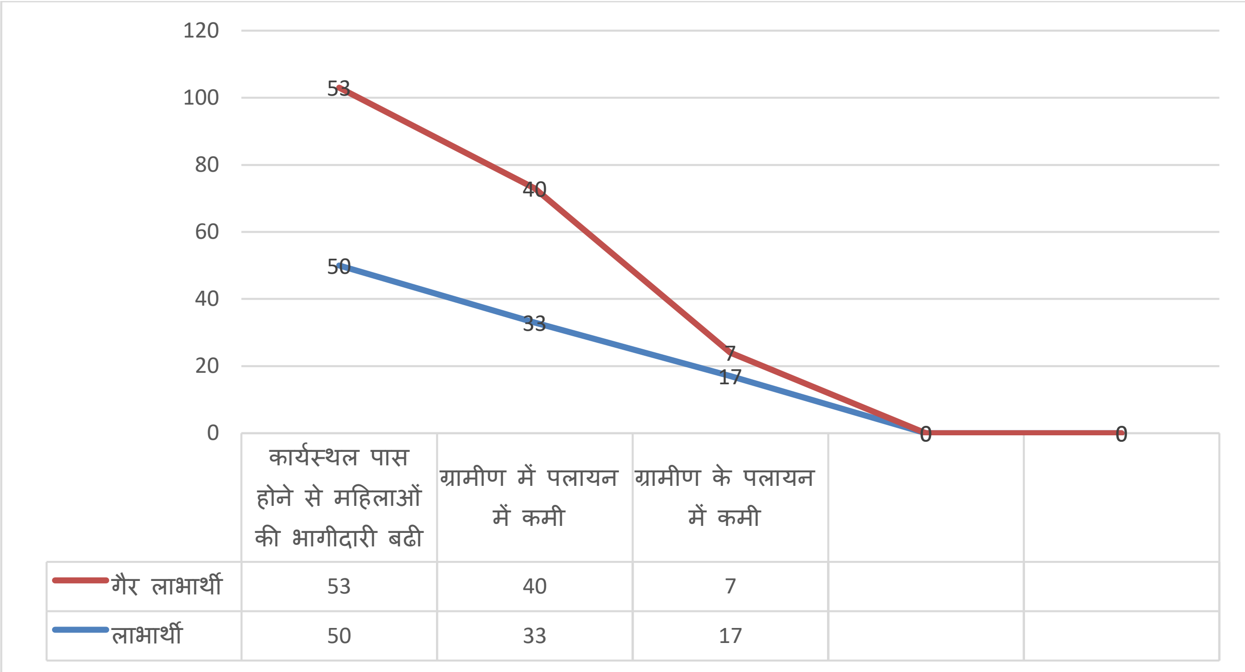

ग्राफ क्रमांक 9 कार्यस्थल की स्थिति का प्रभाव

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि मनरेगा के तहत निवास स्थान के समीप ही कार्यस्थल स्थित होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 50 प्रतिशत लाभार्थी तथा 53 प्रतिशत गैर लाभार्थियों का यही मानना है। 33 प्रतिशत लाभार्थी एवं 40 प्रतिशत गैर लाभार्थियों ने माना है कि ग्रामीणों का पलायन भी रूका है, जबकि 17 प्रतिशत लाभार्थी एवं 7 प्रतिशत गैर लाभार्थी का मानना है कि ग्रामीण पलायन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर मनरेगा द्वारा पड़ने वाले सम्पूर्ण प्रभाव का लाभ निम्न तालिका से समझा जा सकता है–

तालिका क्रं. 10

मनरेगा से प्राप्त लाभ का विवरण

क्र.	लाभ की प्रकृति	लाभार्थी		गैर लाभार्थी	
		आवृत्ति	प्रतिषत	आवृत्ति	प्रतिषत
1	गरीबी में कमी आयी	102	34	96	32
2	बेरोजगारी में कमी आयी	114	38	84	28
3	गाँव से पलायन में कमी हुई	60	20	39	13
4	सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आया है।	12	04	42	14
5	कोई विषेष लाभ नहीं मिला	12	04	39	13
	योग	300	**100**	**300**	**100**

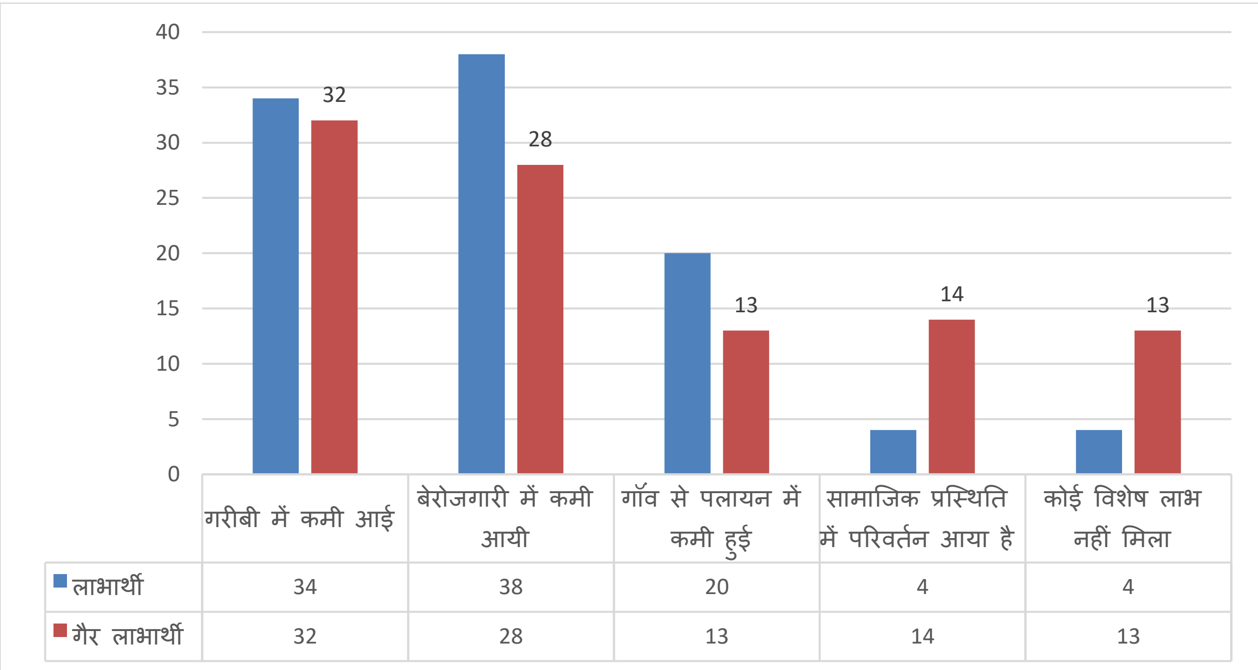

ग्राफ : क्रं. 10 : मनरेगा से प्राप्त लाभ का विवरण

उपरोक्त तालिका एवं ग्राफ से पता चलता है कि मनरेगा के आरम्भ से आज तक सतना जिले में ग्रामीणों को काफी लाभ मिला है। 34 प्रतिषत लाभार्थी एवं 32 प्रतिषत गैर लाभार्थी ने माना है कि गरीबी में कमी आयी है, 38 प्रतिषत लाभार्थियों व 28 प्रतिषत गैरलाभार्थियों का मानना है कि बेरोजगारी में कमी आयी है। 20 प्रतिषत लाभार्थी वं 13 गैर लाभार्थी ने गाँव से पलायन में कमी की बात भी स्वीकारी है। मात्र 4 प्रतिषत लाभार्थी एवं 14 प्रतिषत गैर लाभार्थी ने माना है कि मनरेगा से ग्रामीण गरीबों की सामाजिक प्रस्थिति में प्रभाव पड़ा है। जबकि 4 प्रतिषत लाभार्थी एवं 12.8 प्रतिषत गैर लाभार्थियों का मानना है कि मनरेगा से ग्रामीणों को कोई विषेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

समग्र विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि सतना जिले में कोरोना पूर्व एवं कोरोना पश्चात मनरेगा के क्रियान्वयन से मनरेगा लाभार्थियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा है। मनरेगा लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है जिससे उनकी क्रयषक्ति बढ़ी तथा उसका प्रभाव ग्रमीणों की सामाजिक जीवन पर दिखाई देता है, जैसे– जाति व्यवस्था षिथिल हुई, संयुक्त परिवार बाल विवाह, बाल मजदूरी, आदि भी प्रभावित हुए महिला की प्रस्थति सुधरी । इस तरह हम देखते है कि मनरेगा ने अपने क्रियान्वयन के साथ ही अपना प्रभाव छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है।

संदर्भ सूची

1 सेल्जनिक एण्ड बूम — प्रिन्सीपल ऑफ सोषियोलॉजी।

2 पंथ डी0 सी0 — भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक, 2007।

3 ओझा सी0 एम0 — सामान्य, समाजषास्त्र एवं भारत में समाज दीप्ती प्रकाषन, इलाहाबाद, 2007।

4 गुप्ता, मोतीलाल — भारतीय समाज, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकादमी पब्लिकेषन, जयपुर 2005।

5 Rozgar Guarantee Yojana Madhya Pradesh — Useful for Gram Sabha representatives, groups and members working for them, Samarthan, Centre for Development support, March 2006

6 http://www.nrega-mp.org/

7 http://nrega.nic.in/draft_guidelines.pdf

8 Madhya Pradesh Gramin Rozgar Yojana-Salient Features, Samarthan, Centre for Development Support, 2005

9 Ministry of rural development 2007. National rural Employment Gurantee Act 2005,

New Delhi, Ministry of Rural Employment.

10 Samvad, V. 2005, Status Report of MNREGA in Madhya Pradesh. Bhopal, India, State Advisor (Madhya Pradesh)

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

Contract Labour a Nonstandard form of Employment

Saurabh Kumar
PhD Research Scholar, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, U.P., India

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 103-109

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

Abstract - Work is a core activity of society. It is central to individual identity, links individuals to each other, and locates people within the stratification system. In the present scenario, a nonstandard form of employment, contract labour, is overgrowing in the public and private sectors. After implementing the liberalised policy, the contract labour system expanded in the Indian labour market. For several decades, flexible labour has increased due to the informalisation and casualisation of the global economy. Contract labourers generally have low wages, few or no benefits, limited or no collective representation, and little job security. In this sense, it is precarious employment. Several studies show the difference in wage rates, hours of work, holidays, and social security benefits between regular and contract labour, even in cases where contract labour is performed the same work or work of a similar kind. This paper tries to understand the nonstandard employment relation of contract labour with organisations. It is based on a secondary source of data. The share of contractual workers in service jobs increases rapidly. However, the paper finds contract labour has vulnerable terms and conditions.

Keywords- Contract labour, nonstandard employment, Informalisation, Casualisation, Terms and Conditions.

Work is a core activity of society. It is central to individual identity, links individuals to each other, and locates people within the stratification system. In the present scenario, a nonstandard form of employment, contract labour, is overgrowing in the public and private sectors. After implementing the liberalised policy, the contract labour system expanded in the Indian labour market. George

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

(2003), in his study, examines whether employment externalisation or the use of contract workers in organisations would negatively relate to internal workers and organisations. He defined internal workers as full-time workers directly administrated by the organisation. In contrast, temporary or contract workers at the organisation are external workers. Such workers could include direct hire individuals sent by contract agencies and firms.The act defines a contract worker, a contractor, and a principal employer. It refers to labour other than those in regular employment based on a direct, definite, and identifiable employer-employee relationship. Contract labour is defined in clauses 2(a) to 2(h) of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 as one who is recruited in or in connection with the work of an establishment by or through a contractor, with or without the under the knowledge of the principal employer.

There are two types of contract labour systems: job contracts and labour contracts. i) A job contract is a type of contract labour system where the principal employer assigns the work to the contractor to supply goods and services. The contractor or agency sends his employees to the principal employer. These contractual workers work with the principal employer under the supervision of the contractors. Once the job is done, these contractual workers will be shifted to another principal employer where the contractor is supposed to get the work. ii) Labour contract is a type of system in which the contractor recruit workforce to the principal employer for the work of the organisation. Employers hire temporary workers to cut down on the cost of hiring regular workers. In labour contract system, contractual workers do similar work that is being performed by regular employees of the primary employer for lower pay.Large and medium establishments have specific operation process where the prescribed jobs are outsourced by giving contract on lump sum payment including labour cost to the contractor who engages his own workers. And the less skilled jobs or perennial jobs are engaged in contractual roll based on the labour contracts. The practice of engaging contract labour succeeds in almost all industries and services.

The contract labour occupied by an employer either by direct recruitment or through an intermediary. In direct recruitment, the employee may be engaged on regular basis or for a fixed term. Nonetheless, he or she is the employee of the employer and the employment relationship is governed by the rules of the employer’s enterprise, if it is a regular appointment, and by the contract of service, in case of contractual appointment. However, in all cases are subject to the provisions of the Constitution. The second type of engagement of labour is a triangular employment relationship. The enterprise for which work is performed is known as principal employer or the user enterprise. The relationship between the workers who actually perform the work and the principal employer is mediated by one or more other parties who actually occupy the workers and pay them. These intermediaries are known by various names such as employment agencies, contract agencies, brokers,

contractors, jobbers, middle men, sub-contractors etc. The contract labour system has been general all over the world for a long time. However, it is particularly after the globalization of economies that there has been a rapid increase in the use and abuse of contract labour.

Debi S. Saini (2010), in his paper, describes the legal framework of contract labour employment in India. He reviews Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and relates it with the vulnerabilities contract labour suffers from. Contract labourers constitute a large part of the total wage employment in India. The employment culture is now becoming contract culture. He argues that contract labour employment in core activities is exploiting in nature because of weak bargaining power of workers. The paper gives reference for effecting change in framework based on the Andhra Pradesh amendment to the Contract Labour Act.

Meenakshi Rajeev (2006), looks at the status of contract labour in the state of Karnataka. The study disclose that a number of large firms pay wages above the minimum wage fixed by the state and support an increase in the minimum wage levels. On the other hand considerable number of small firms exploits the contract workers in various ways, including through non-payment of minimum wages. The study finds contract labour working within worse social security networks and supervisory mechanisms.In his study, R.C. Saxena (1986) investigates the cause of non-direct-recurring contract labour by the firm or industry. Contract labour is not on the firm's payroll and is not compensated. This is the main concept of the contract labour system. Most of the workers working as contract labour work in deplorable conditions for long hours and low pay as compared to permanent workers who perform similar work. Many of the social security benefits, such as the provident fund, health insurance, gratuity, and paid leave, among others, are not properly provided to contract labour.

Several studies find working condition of contract labour far away from the concepts of decent work. Contract workers are in a weaker position to negotiate terms and conditions with employers.

Informalisation of workforce- Labour flexibility has become a central tenet of neoliberal- led structural reforms. For several scholars flexibilisation is synonymous with lower wage, insecurity and more uncertain employment.Organisations use contractual workers to attain numerical and functional flexibility. Broadly speaking, numerical flexibility is about the deliberate erosion of employment security that is achieved by legislation, regulatory reforms, and the trend of informalisation and contract out the labour functions. Further, functional flexibility is intensification of job insecurity. It means workers have no control over their jobs and must accept tasks imposed on them. Organisations achieve functional flexibility when they are able to hire workers to deal with special tasks and skills and for short-term duration. Thus, contract labour is a convenient source of numerical flexibility.Contractualisation is one of the key trends facilitating

broader informalisation of labour. In most of the Asian countries, the manufacturing sector is increasing informalisation through contractualisation and agency work (Chang, 2009).

The government of India, after liberalisation has been committed to creating a flexible labour market as well. It can also be seen in the policy recommendations of the Second Indian National Commission on Labour which acknowledged that in the changed economic circumstances in view of globalisation, 'there cannot be a fixed number of posts in any organisation for all time to come. Organisations must have the flexibility to adjust the number of their workforce based on economic efficiency' (Report of the 2nd Indian National Commission of Labour, 2002). The commission also diluted the prevalent distinction between core and peripheral work areas for engagement of regular or contractual labour when it stated that for sporadic seasonal demand, the employer may engage temporary labour for core production/service activity. Thus, the rise of contractual manpower in the public sector since liberalisation outlines the government's direction towards the informalisation of work in a subtle way (Shyam Sundar, 2012). In the private sector, the government policy was more towards opening up the labour market increasingly through an emphasis on capital investment and job creation rather than on job quality. Therefore, broadly speaking, the contract labour form of precarious work is the result of flexibilisation and casualisation of the labour market. Contract labourers generally have low wages, few or no welfare benefits, limited or no collective representation, and little job security.

In their paper, Ravi Srivastava et al. (2016) analysed the nature and increasing precarity of India's economy in the last decade and a half. They examined the trends in informal employment in 2004-05, 2011- 12 and 2017-18. The study analysed NSS-EUS and PLSF data. It revealed industry-wise, in the total percentage of employment in year 2017-18, 92.97% of workers were informal workers, while only 7.03% of workers were in formal employment. Specifically, in the service industry, the ratio of formal and informal workers was 12.06% and 87.94% respectively. Further, in the health-social work sector, formal employment has decreased from 37.62% to 32.78%, and informal employment has increased from 62.38% to 67.22% between 2004-05 and 2017-18.

Working condition of Contract labour- Working conditions cover a broad range of topics and issues, from working time (hours of work, rest periods, and work schedules) to remuneration, as well as the physical conditions and mental demands that exist in the workplace. Present conditions of contract labour, such as adverse climatic conditions, migratory nature of labour, low wages and standard of living, low-efficiency machinery and poor quality of raw materials, lack of education, long hours work, unacceptable working condition, bad housekeeping standards, and often indebtedness of the labour and regular absenteeism. Permanent workers generally have better working conditions than

the contractual workers. Contract labour associate with temporary jobs which typically lack the job security, fringe benefits and possibilities for the advancement.

BagaramTulpule (1997),reviewed two status study- one relating to employment of contract labour in the public sector and other relating to the construction industry. The first study was done by the Maniben Kara Institute, an associate of Hind Mazdoor Sabha and the other by the NICMAR. At some places like Indira Gandhi Port and international airports, the number of contract workers was double than regular workers. Other significant feature revealed by the study is as follows:

1. The cost of employing contract labour much is below than equivalent regular labour. Fringe benefits payable for contract labour are very few.
2. Contract labour has no job security.
3. Enforcement of high work norms on contract labour.
4. In most units it was found that unceasing and essential part of the work was given to contract workers. Such works includes cleaning and housekeeping, watch and ward duties, transportation, maintenance, clerical work, stenography and so on.
5. A group of labour working under contractors.
6. Contract labour largely is non-unionized because workers fear victimization through contractors.

Legal framework - Contract labour not benefits from labour rights as such as regular labour. Several studies revealed contract labour that minimum wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948. The provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Employees State Insurance Act, 1948 and Employees Compensation Act, 2010 are applicable to contractual labour but in practice, no such allowances are being paid by employers. Contract workers are unaware of their rights under social security legislations. Contract workers are also entitled to all the benefits available to workers under the Factories Act, 1948 including those relating to weekly holidays, overtime wages, compensatory holidays, paid leave etc. But in practice, they are not given any paid holidays. Contract workers cannot seek any judicial remedy in the ordinary courts of law or labour courts under the Industrial Disputes Act, 1947. Even they do not get help from trade unions and International Labour Organisation. These are the reason behind contract labour weaker condition comparison with legal entitlement and protection for labour in organized sector.

Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

The aim of CLA is gradual abolition of contract labour hiring and, where permitted, to regulate the working condition of contract labour. The Act regulates the legal entitlements or the rights, privileges, power and immunity of the workers, contractors, and the enforcement agencies (state). The CLA applies to every establishment where 20 or more workermen are employed or were

employed on any day of the preceding 12 months as contract labour (Section 1). The contract labour system covered under the Act includes both labour contracts and job contracts. The contract labour Act does not apply to establishments where work of an intermittent or seasonal nature is performed. Contract workers are prohibited from perennial core activities. The contract labour system covered under the Act includes both labour contracts and job contracts. In 'Labour contract', the contractor or agency outsources the labour to the principal employer, who assigns work and supervise and control the workers. The second category 'job contract' the contractor or agency exercises all supervision and control on the workers for the job assigned by the principal employer. However, in both cases the primary control of recruitment, work distribution and compensation are to be exercised by the contractor, whereas the secondary control is to be exercised by the principal employer who is the ultimate beneficiary and payer of the work.

Conclusion- Studies mostly focus on the behaviour, attitude and condition of nonstandard workers compared to standard workers in the organisation. As the nature of contractual labour is temporary, they have a weaker attachment to their organisation. As a result, they have lower identification with the organisation,lower job satisfaction and lower commitment to the organisation. Contractual workers work alongside permanent workers in workplace. They are aware of different wages, different level of job security and different benefits of each other from the job. Several studies reveal that contractual workers are being discriminated in the payment of wages, support from labour union, measures for job satisfaction. It is also found that the condition of contractual workers is slightly better in the public sector instead of the private sector.

References

1. Chang, D.O. (2009). 'Informalising labour in Asia's global factory', Journal of Contemporary Asia, 39(2): 161-179.
2. George, E. (2003). 'External solutions and internal problems: The effects of employment externalisation on internal workers' attitudes', Organizational Science.14(4): 386-402.
3. ILO (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Geneva: International Labour Office.
4. Rajeeev, Meenakshi (2006). 'Contract Labour in Karnataka: Emerging Issues and Options', Economic and Political Weekly.41(21): 2086- 2088.
5. Saini, Debi S., (2010). 'The Contract Labour Act Issues & Concerns', Indian Journal of Industrial Relations, 46(1): 32-44.
6. ShyamSundar, K.R. (ed.) (2012). Contract Labour in India: Issue and Perspectives. New Delhi: Daanish Publishers.

7. Srivastava R. (2016). Structural Change and Nonstandard forms of Employment in India. Condition of Work and Employment Series No. 61. Geneva: International Labour Organisation.
8. Tulpule, Bagaram (1997). 'ILO Initiative on Contract Labour', Economic and Political Weekly,32, (35): L21-L22.

अभिज्ञानशाकुन्तले प्रयुक्तानां तिङन्तपदानामनुशीलनम्

डॉ. कैलाशचन्द्रसैनी
सहायकाचार्य:, शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय:, जयपुरपरिसर:, जयपुरम्

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 110-116
Publication Issue :
May-June-2022
Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

शोधसारांश :- काव्येषु नाटकं रम्ये तत्र रम्या शकुन्तला। तत्रापि चतुर्थोऽङ्क: तत्र श्लोकचतुष्ट्यम्।। उपर्युक्तश्लोक: अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य तत्रापि चतुर्थाङ्कस्य महत्वं द्योतयति। अस्मिन् शोधोलेखे अस्मिन् अङ्के समागतानां तिङ्गन्तपदानां विवेचनं कृतं विद्यते। अत्र कालिदासेन विभिन्नानां तिङ्गन्तदानां विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयोग: कृतो विद्यते। धातुलकार-अर्थनिर्देशपुरस्सरं सर्वेषां तिङ्न्तपदानाम् अत्र विश्लेषणंविहितमस्ति।

कूटशब्दा: :- तिङन्तपदानि, भ्वादिगण:, सार्वधातुकसंज्ञा, आर्धधातुकसंज्ञा।

अस्मिन्नशोधपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य चतुर्थाङ्के प्रयुक्तानां तिङन्तपदानामनुशीलनं करिष्यते। "अनसूया अद्य स राजर्षिरिष्टिं परिसमाप्य विसर्जित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्त: पुरसमागत इतोगतं वृतान्तं स्मरति वा न वेति। प्रियम्वदा- विस्त्रब्धा भव। न तादृशा आकृतिर्विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति। तात इदानीमिमं वृतान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति।

अनसूया - यथाऽहं पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्।

प्रियंवदा - कथमिव

अनसूया - गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत् प्रथम: संकल्प:। तं यदि दैवमेव संपादयति नन्वप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन:।

प्रियंवदा - सखि, अवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि।

अनसूया - ननु सख्या: शकुन्तलाया सौभाग्यदेवताऽवर्चनीया।

प्रियंवदा - युज्यते।[1]

उपर्युक्तनाट्यांशे प्रथमं तिङ्न्तपदमस्ति-स्मरति। अत्र भ्वादिगणस्य स्मृ-चिन्तायाम् इत्यस्यामाद्धातो: लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप्-प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरी शप्[2] इति शपि अनुबन्धलोपे सार्वधातुकार्धधताकयो: इति ऋकारस्य गुणे उरण् रपर:[3] इति रपरत्वे च स्मरति इति रूपं निष्पद्यते।

[1] अभि: शा. अंक - 4 पृ. 197

[2] पा.सू. 3/1/68

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

पुनः उपर्युक्ते द्वितीयं तिङन्तपदमस्ति-प्रतिपत्स्यते। अत्र प्रति उपसर्गपूर्वकात् दिवादिगणस्य पद्-गतौ इत्यसमाद्धातोः लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकचनविवक्षायां त प्रत्यये ससार्वधातुकसंज्ञवयां स्यतासी लृलुटोः इति स्य आगमे खरि च[4] इति दकारस्य चर्त्वे तकारे कृते टित् आत्मने पदानां टेरे इति टेरेत्वे प्रतिपत्स्यते इति रूपं निष्पते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति-सम्पादयति। अत्र सम् उपसर्गपूर्वकात् दिवादिगणस्य पद्-गतौ इत्यस्माद्धातोः हेतुमति च इति णिचि अनुबन्धलोपे अत उपधायाः इति उपधावृद्धौ यदि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोप सार्वधातुकसंज्ञायां शपि, सार्वधातुकेति गुणे कृते अयादेशे मस्य अनुस्वारे परसवर्णे च सम्पादयति इति रूपं निष्पद्यते।

अस्मिन्नेव नाट्यभागे अन्तिं तिङन्तपदमस्ति-युज्यते। अत्र दिवादिगणस्य युज् समाधौ इत्यस्माद्धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां त प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां शपं प्रबाध्य दिवादभ्यः श्यन्[5] इति श्यन् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे टित आत्मनेपदानां टेरे इति टेरेत्वे युज्यते इति रूपं निष्पद्यते।

विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा

तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्

कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव।।[6]

उपर्युक्तश्लोके प्रथमं तिङन्तपदमस्ति-स्मरिष्यति। अत्र भ्वादिगणस्य स्मृ-चिन्तायाम् इत्यस्माद्धातोः लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षां तिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञाया स्यतासी लृलुटोः इति स्य आगमे आर्धधातुकसंज्ञायाम् आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इडागमेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति ऋकारस्य गुणे टपरत्वे सस्य मूर्धन्यादेशे च स्मरिष्यति इति रूपं निष्पद्यते

पनुः अन्यत् तिडन्तपदमस्ति वेत्सि। अत्र अदादिगणस्य विद्-ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः लट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचनविवक्षायां सिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपि अदिप्रभृतिभ्यः शपः इति शप्-प्रत्ययस्य लुकि-पुगन्तेति गुणे कृते खरि च इति दकारस्य चर्त्वे तकारे वेत्सि इति रूपं निष्पते।

"प्रियंवदा हा धिक्, हा धिक्। अप्रियमेव संवृतम्। कस्मिन्नपि पूजार्हेऽपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला। न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि। एष दुर्वासाः सुलभकोपो महर्षि। तथा शप्त्वा वेगवलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः।

अनसूया – कोऽन्यो हुतवहाद् दग्धुं प्रभवति। गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयैनं यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि।

प्रियंवदा– तथा

---

[3] पा.सू. 1/1/57

[4] पा.सू. 8/4/55

[5] पा.सू. 3/1/69

[6] अभि.शा. 4/1

अनसूया – अहो, आवेगस्खलितया गत्या प्रभृष्टं ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम्।

प्रियंवदा – सखि! प्रकृतिवक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगह्यति। किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः

अनसूया – तस्मिन् वहेतदपि। कथय।

प्रियंवदा – यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो मर्पयितत्थ इति।

अनसूया – ततस्ततः।

प्रियंवदा – ततो न मे वचनमन्यथाभवितुमर्हति, किंत्वभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापो निर्वतिष्यत इति मन्त्रयमाण एवान्तर्हितः।

अनसूया – शक्यमिदानीमाश्वसितुम्। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं निपद्धम्। तस्मिन् स्वादीनोपाया शकुन्तला भविष्यति।

प्रियंवदा – सखि एहि देवकार्यं तावद् निर्वर्तयापः।

प्रियंवदा – अनसूये पश्य तावत्। वामहस्तोपहित–वदनाऽऽलिखितेव प्रियसखि। भर्तृगतया चिन्तयात्मानमपि नैषा विभावयति, किं पुनरागन्तुकम्।[7]

उपर्युक्ते नाट्यांशे प्रथमं तिङन्तपदमस्ति उपकल्पयामि। अत्र उप उपसर्गपूर्वकात् भ्वादिगणस्य कृपू (कप्) सामर्थ्ये इत्यस्माद्धातोः हेतुमति च घति णिचि पुगन्तेति गुणे कृते टपरत्वे कर्पि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञज्ञयां लट्लकारस्य उत्तमपुरुषैकवचनाविवक्षायां मिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायाम् शपि सार्वधातुकेति गुणे अयादेशे दीर्घे कृपो रो लः[8] इति रेफस्य लत्वे कृते उपकल्पयामि इति रूपं निष्पद्यते।

उपर्युक्ते नाट्यभागे एव अपरं तिङन्तपदमस्ति – प्रतिगृह्णाति। अत्र प्रति उपसर्गपूर्वकात् क्रयादिगणस्य ग्रह् उपादाने इत्यस्माद्धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपं प्रबाध्य 'यादिभ्य श्ना[9] इति श्ना प्रत्यये अनुबन्धलोपे सार्वधातुकमपित् इति ङिद्वद्भावे ग्रहिज्यावयित्यधि[10] इति रेफस्य सम्प्रसारणे ऋकारे सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे अट्कुप्वाङ्नुम्[11] इति नस्य णत्वे कृते प्रतिग्रह्णाति इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति कथय। अत्र चुरादिगणस्य अदन्तात् कथ–वाक्यप्रबन्धे इत्यस्माद्धातोः सत्यापपाश. इति णिचि अतो लोपः इति अकारलोपे कथि इत्यस्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचनविवक्षायां सिप् प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां शपि सार्वधातुकेति गुणे कृते अयादेश, सेह्र्यपिच्च इति सि स्थाने हि आदेशे अतो हे इति हि लोपे कथय इति रूपं निरुपद्यते।

---

7 अभि.शा. अंक – 4, पृ. 201

8 पा.सू. 8/2/18

9 पा.सू. 3/1/81

10 पा.सू. 6/1/16

11 पा.सू. 8/4/2

अपरं तिङन्तपदमस्ति इच्छति। अत्र तुदादिगणस्य इष् इच्दायाम् इत्यस्माद्धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपं प्रबाध्य तुदादिभ्यः शः इति शप्रत्ययेऽनुबन्धलोपे इषुगमियमां हः[12] इति षस्य छत्वे हे च[13] इति तुगागमेऽनुबन्धलोपे स्तोः श्चुना श्चुः[14] इति श्चुत्वेन तकारस्य चकारे कृते इच्छति इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति निर्वर्तिष्यते। अत्र निट् उपसर्गपूर्वकात् दिवादिगणस्य वृतु वृत् वर्तने इत्यस्माद्धातोः लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां त प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां स्यतासी लृलुटोः इति स्य-आगमे आर्धधातुकसंज्ञायाम् पूंगन्तलधूपधस्य च इति लघूपधगुणे कृते उरण् रपरः इति रपरत्वे आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इडागमेऽनुबन्धलोपे सस्य मूर्धन्यादेशे टित आत्मनोपदानां टेरे इति टेरेत्वे निर्वतिष्यते इति रूपं निष्पद्यते।

उपर्युक्ते नाट्यभागे अपरं तिङन्तपदमस्ति - निर्वर्तयावः। अत्र निर् उपसर्गपूर्वकात् चुरादिगणवस्य वृतु भाषायाम् इत्यस्माद्धातोः सत्यापपाशरूप इति णिचि पुगन्तेति गुणे रपरत्वे च वर्ति इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य उत्तमपुरुषद्विवचनविवक्षायां वस् प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां शपि सार्वधातुकेति गुणे अयादेशे अतो दीर्घो यञि इति अकारस्य दीर्घे सस्य रुत्वविसर्गे च निर्वर्तयावः इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति पश्य। अत्र भ्ववादिगणस्य दृशिर् (दृश) प्रेक्षणे इत्यस्माद्धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचन विवक्षायां सिप् प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां शपि अनुबन्धलोपे पाघ्रस्थाम्ना[15] इति दृश् - स्थाने पश्य-आदेशे अतो गुणे इति पररूपे सेह्र्यपिच्च इति सिस्थाने हि आदेशे अतो हेः इति हि लुकि पश्य इति रूपं निष्पद्यते।

उपर्युक्ते नाट्यांशे अन्तिमं तिङन्तपदमस्ति विभावयति। अत्र वि उपसर्गपूर्वकात् भ्वादिगणस्य भू सत्तायाम् इत्यस्माद्धातोः हितुमति च[16] इति णिच्, सार्वधातुकेति गुणे आवादेशे च भावि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपि सार्वधातुकेति गुणे अथादेशे च विभावयति इति रूपं निष्पद्यते।

अनसूया - प्रियंवदे, द्वयोरेव नौ मुख एष वृतान्तस्तिष्ठतु। रक्षितव्या खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी।

प्रियंवदा - को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिञ्चति।

शिष्यः - वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि तत्रभवता प्रवासादुपावृतेन काश्यपेन। प्रकाशं निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति। इन्त, प्रभातम्।

तथाहि -

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना-

---

[12] पा.सू. 7/3/77

[13] पा.सू. 6/1/73

[14] पा.सू. 8/4/40

[15] पा.सू. 7/3/78

[16] पा.सू. 3/1/26

माविष्कृतोऽरुणपुरः सर एकतोऽर्कः।

तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां

लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु॥[17]

उपर्युक्त नाट्यांशे प्रथमं तिङन्तपदमस्ति-तिष्ठतु। अत्र भ्वादिगणवस्य ष्ठा स्था गतिनिवृत्तौ इत्यस्माद्धातोः लोट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपि पाघ्राध्मास्थाम्ना. इति स्था-स्थाने तिष्ठ् आदेशे एरुः इति इकारस्य उकारे कृते तिष्ठतु इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः द्वितीयं तिङन्तपदमस्ति सिञ्चति। अत्र तुदादिगणस्य षिच् क्षरणे इत्यस्माद्धातोः धात्वादे षः सः[18] इति षस्य सत्वे सिच् इत्यस्माद् लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनुबंधलोपे सर्वधातुकसंज्ञायां शपं प्रबाध्य तुदादिभ्य शः इति शप्रत्यये अनुबन्धलोपे शे मुचादीनाम्[19] इति नुमागमेऽनुबन्धलोपे नश्चाऽपदान्तस्य झलि[20] इति नस्य अनुस्वादे अनुस्वारस्य यत्रि परसवर्णः[21] इति परसवर्णे च कृते सिञ्चति। इति रूपं निष्पद्यते

उपर्युक्ते अपरं तिङन्तपदमस्ति याति। अत्र अदादिगणस्य या -प्रापणे इत्यस्माद्धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप्-प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां कर्तरि शप् इति शपि अदिप्रभृतिभ्यः शपः[22] इति शब्लुकि याति इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः उपर्युक्ते नाट्यभागे अन्तिमं तिङन्तपदमस्ति नियम्यते अत्र नि-उपसर्गपूर्वकात् यम्-उपरमे इत्यस्माद्धातोः कर्मणिः विवक्षायां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां त प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां सार्वधातुके यक् इति यकि अनुबन्धलोपे नियम्यते इति रूपं निष्पद्यते।

अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे,

दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणीयशोभा।

इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य

दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि॥[23]

उपर्युक्ते श्लोके तिङन्तपदमस्ति नन्दयति। अत्र भ्वादिगणस्य टुनादि नद् समृद्धौ इत्यस्माद्धातोः इदितो नुम् धातोः इति नुमि

---

[17] अभि.शा. 4/2

[18] पा.सू. 6/1/64

[19] पा.सू. 7/1/59

[20] पा.सू. 8/3/24

[21] पा.सू. 8/4/58

[22] पा.सू. 2/4/72

[23] अभि. शा. 4/3

अनुबन्धलोपे हेतुमति च इति णिचि अनुबन्धलोपे नन्दि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सांधातुकसंज्ञायां शपि सार्वधातुकेति गुणे कृते अयादेशे च कृते नन्दयति इति रूपं निष्पद्यते।

अनसूया – यद्यनि नाम विषयपराङ्मुखस्य जनस्यैतत्र विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामनार्यमाचरितम्।

शिष्यः – यावदुपस्थितां होमवेला गुरवे निवेदयामि।

अनसूया – प्रतिबुद्धाऽपि किं करिष्ये। न म उचितेष्वपि निजाकर्येषु हस्तपादं प्रसरति। काम इदानीं सकामो भवतु। येनासत्यसन्धे जने शून्य हदया सखीपदं कारिता। अथवा दुर्वाससः शाप एव विकारयति। अन्यथा कथं स राजर्षिस्तादृशानि मन्त्रयित्वैतावतः कालस्य लेखमात्तमपि न विसृजति। तदितोऽभिज्ञानमऽगुलीयक तस्य विसृजपः। दुःख शीले तपस्विजने कोऽभ्यर्त्यताम्। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिताऽपि न पारयामि प्रवास। प्रतिनिवृत्तस्य तातकाश्यपरस्य दुष्यन्त-परिणीतामापन्नसत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम्। इत्थंगतेऽस्माभिः किं करणीयम्।

प्रियंवदा– सखि, त्वस्व त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निर्वर्तयितुम्।

अनसूया – सखि कथमेतत्।

प्रियंवदा – शृणु। इदानीं सुखशयितप्रच्छिका शकुन्तलासकाशं गातस्मि।

अनसूया – ततस्ततः।

प्रियंवदा– तावदेनां लज्जावनतमुखी परिष्वज्य तातकाश्यपैनेवमयि नन्दितम्। दिष्टज धूमाकुलितदृष्टेरपि। यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता। वत्से, सुशिष्यपरिदता विद्येवाशोचनीयासि संवृता। अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं विसर्जयामीति।[24]

उपर्युक्तनाट्यांशे प्रथमं तिङन्तपदमस्ति – निवेदामि। अत्र नि-उपसर्गपूर्वकात् अदादिगणस्य विद् ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः हेतुमति च इति णिचि पुगन्तेति गुणे कृते वेदि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य उत्तमपुरुषैकवचनविवक्षायां मिप्-प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपि, सार्वधातुकेति गुणे कृते एचोऽयवायावः इति अयादेशे कृते अतो दीर्घो यञि इति अकारस्य दीर्घे कृते निवेदयामि इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति करिष्ये। अत्र तनादिगणस्य डुकृञ् कृ करणे इत्यस्माद्धातोः लृट्लकारस्य उत्तमपुरुषैकवचनविवक्षायाम् इत् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां स्यतासी लृलुटो इति स्य आगमे आर्धधातुकसंज्ञायां **आर्धधातुकस्येडवलादेः** इति इडागमेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकेति ऋकारस्य गुणे, रपरत्वे, यस्य मूर्धन्यादेशे टेरेत्वे अतो गुणे इति पररूपे च कृते करिष्ये इति रूपं निष्पद्यते।

अपरं तिङन्तपदमस्ति विकारयति। अत्र वि-उपसर्गपूर्वकात् तनादिगणस्य डु कृञ् कृ करणे इत्यस्माद्धातोः हेतुमति च इति णिचि अचोञ्णिति इति वृद्धौ रपरत्वे च कारि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनविवक्षायां तिप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे, सार्वधातुकसंज्ञायां शपि सार्वधातुकेति गुणे अयादेशे च विकारयति इति रूपं निष्पद्यते।

---

[24] अभि.शा. अंक ' 4, पृ. 208

पुनः अग्रिमं तिङन्तपदमस्ति पारयामि। अत्र जुहोत्यादिगणस्य पृ पालनपूरणयोः इत्यस्माद्धातोः णिचि वृद्धौ रपरत्वे पारि इत्यस्य पुनः धातुसंज्ञायां लट्लकारस्य उत्तमपुरुषैकवचनविवक्षायां मिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां सार्वधातुकेति गुणे अयादेशे अतो दीर्घो यञि इति दीर्घे कृते पारयामि इति रूपं निष्पद्यते।

उपर्युक्त नाट्यभागे अपरं तिङन्तपदमस्ति – त्वरस्व। अत्र भ्वादिगणस्य ञि त्वय त्वर सम्भ्रमे इत्यस्माद्धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचनविवक्षायां थास्–प्रत्यये सार्वधातुकसंज्ञायां शपि थासः से[25] इति थास् स्थाने से **आदौ सर्वाभ्यां वामौ**[26] इति एकारस्य स्थाने वकारे कृते त्वरस्व इति रूपं निष्पद्यते।

पुनः अन्यत् तिङन्तपदमस्ति शृणु। अत्र भ्वादिगणस्य श्रु श्रवणे इत्यस्माद्धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचनविवक्षायां सिप् प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे सार्वधातुकसंज्ञायां शपं प्रबाध्य श्रुवः शृ च[27] इति श्रु स्थाने शृ आदेशे श्नु प्रत्ययेऽनुबन्धलोपे च शृ नु सि इति।

सन्दर्भग्रन्थाः :-

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् , डॉ. राजदेव मिश्र, घनश्याम एण्ड संस फेजाबाद (उ.प्र)
2. सिद्धान्तकौमुदी, गोविन्द प्रसाद शर्मा एवं रघुनाथ शास्त्री, चोखम्बा प्रकाशन वारणसी।
3. व्याकरणमहाभाष्यम्, चारुदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन दिल्ली।
4. लघुसिद्धान्तकौमुदी, (भैमी व्याख्या) पं. भीमसेन शास्त्री, भीमसेन शास्त्री प्रभाकर, गाँधीनगर, दिल्ली।
5. मध्यसिद्धान्तकौमुदी, प्रो. अर्कनाथ चौधरी, हंसा प्रकाशन, जयपुर।
6. वैयाकरणभूषणसारः, कौन्डभट्टः, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन दिल्ली।

[25] पा.सू. 3/4/80

[26] पा.सू. 3/4/91

[27] पा.सू. 3/1/74

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

शब्दकौस्तुभस्य प्रभाव्याख्यादिशा मङ्गलश्लोकसमीक्षा

राजेश मण्डल
शोधच्छात्र: ,व्याकरणविभाग:, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति:

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 117-120
Publication Issue :
May-June-2022
Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

सारांश: – प्रारब्धेप्सितग्रन्थस्य निर्विघ्नेन समाप्तये, प्रचारपरिसमाप्त्यादिप्रतिबन्धकप्रत्यूहव्यूहप्रशमनाय च विद्वद्भि: ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलं विरच्यते। यद्यपि प्रमाणीभूतानामाचार्याणां कृति: प्रामाणिकी भवति तथापि मया शोधलेखेऽत्र वैद्यनाथपायगुण्डस्य प्रभाव्याख्यानुसारी खण्डनं विलिख्यते। अत्र च विश्वेशम्, अध्याहत: तम् इति पदार्थविचार: चरीकर्त्ति वरीभर्त्ति सञ्जरीहर्त्ति इति यङ्लुग्विचार: च क्रियते।

मुख्यशब्दा: - शब्दकौस्तुभ:, प्रभाव्याख्यादिशा, मङ्गलश्लोक:, कृति:, अध्याहत:, धातु:

संस्कृतवाङ्मये विद्यामानानां सर्वेषामपि विषयाणां मूलभूता भवन्ति वेदा:, अतोऽयं वेदराशि: सर्वथा सर्वयत्नेन संरक्षणीय:। तद्रक्षणाय च उपाय: व्याकरणाध्ययनम्। अत एव च व्याकरणशास्त्रमिदं वेदाङ्गेषु मुखत्वेन प्रामुख्यं भजते। तत्र भगवान् पतञ्जलि: महर्षिपाणिने: प्राय: 4000 अल्पाक्षरै: सूत्रै: विरचनां **अष्टाध्यायीमु**परि शास्त्रे समस्यानिवारणरूपं महाभेषजं महाभाष्यमिति व्याख्यानग्रन्थं रचयामास। अमुमेव ग्रन्थमनुसृत्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणेन श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितेन सकलाष्टाध्याय्या अष्टाध्यायीक्रमेण शब्दकौस्तुभनामा व्याख्यानभूतो ग्रन्थो निरमायि। कैयटपन्थानुसारिणा विरचितस्य अस्य भाष्याब्धेरुद्धतस्य शब्दकौस्तुभग्रन्थस्य स्थले स्थले स्वगुरो: महामहोपाध्यायनागेशसिद्धान्तोपस्थापनाय विद्वद्वर: वैद्यनाथपायगुण्डे–महोदय: प्रभाव्याख्यां निरमात्। तत्र च मङ्गलश्लोकमपि खण्डितं तै:। तदेव खण्डनपरविषयं समाश्रित्य शोधलेखोऽयं विरचितो मया। शब्दकौस्तुभस्य मङ्गलश्लोकस्तावद्

विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत्।
चरीकर्त्ति बरीभर्त्ति संजरीहर्त्ति लीलया॥
नमस्कुर्वे जगद्वन्द्यं पाणिन्यादिमुणित्रयम्।
श्रीभर्तृहरिमुख्यांश्च सिद्धान्तस्थापकान्बुधान्॥
नत्वा लक्ष्मीधरं तातं सुमनसोवृन्दवन्दितम्।
फणिभाषितभाष्याब्धे: शब्दकौस्तुभमुद्धरे॥
परिभाव्य बहून् ग्रन्थान्योऽर्थ: क्लेशेन लभ्यते।
तमशेषमनायासादितो गृह्णीत सज्जना:॥
समर्प्य लक्ष्मीरमणे भक्त्या श्रीशब्दकौस्तुभम्।
भट्टोजिभट्टो जनुष: साफल्यं लब्धुमीहते॥

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युः इति **भूवादयो धातवः**[1] इति मङ्गलप्रयोजनसूत्रभाष्यमनुसृत्य तत्परिपालनाय प्रारब्धेप्सितग्रन्थस्य निर्विघ्नेन समाप्तये, प्रचारपरिसमाप्त्यादिप्रतिबन्धकप्रत्यूहव्यूहप्रशमनाय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षणार्थं भट्टोजिदीक्षितेन ग्रन्थादौ– **विश्वेशमिति**। नमस्कार्य्यदेवतागुनगणवर्णनात्मकत्वात् इदं वस्तुनिर्देशकरूपं मङ्गलम्। अन्वयस्त्वस्य– **योऽखिलं जगत् लीलया चरीकर्त्ति बरीभर्त्ति संजरीहर्त्ति (तं) विश्वेशं सच्चिन्दान्दमहं वन्दे।** अत्र तम् इति पदमध्याह्रियते एकवाक्यताप्रतिपादनाय[2]।

❖ **अध्याहृतः तम् इति पदार्थविचारः- योऽखिलं जगत् लीलया चरीकर्त्ति बरीभर्त्ति संजरीहर्त्ति (तं) विश्वेशं सच्चिन्दान्दमहं वन्दे। इति** मङ्गलश्लोके वाक्यद्वयं विद्यते। चरीकर्ति इत्यादीनां क्रियापदानां कर्ता भवति आत्मा। वदिधातोः कर्ता भवति ग्रन्थकर्ता। वदिधात्वर्थवन्दनव्यापारविशिष्टफलाश्रयः कः इत्याकाक्षायां **योऽखिलं जगत् लीलया चरीकर्त्ति बरीभर्त्ति संजरीहर्त्ति** इति वाक्यार्थमन्वेति। तेन सम्पूर्णस्य वाक्यार्थस्य कर्मत्वापत्तिः। परन्तु वाक्यार्थस्य कर्मत्वमसम्भवं प्रातिपदिकत्वाभावात्। **कृत्तद्धितसमासाश्च** इति सूत्रे समासपदग्रहणेन **यत्र संघाते पूर्वपदं तस्य चेद्भवति तर्हि समासस्यैव** इति नियमेन वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वन्न सम्भवति। शब्दार्थयोः परस्परयोः विशेष्यविशेषणभावाङ्गीकारात् तद्धितकृतोरिति न्यायेन योऽखिलम् इति वाक्यस्य कर्तृत्वेऽपि अर्थस्य कर्मत्वं स्वीक्रियते। तद्धितकृतोरिति न्यायस्यार्थस्तावद्– तद्धितान्ते कृदन्ते यादृशो गुणप्रधानभावस्तादृशस्यैव गुणप्रधानभावस्य बोधकं न भवति। किं तु कृत्तद्धितान्ततिङन्तयोर्विशेष्यविशेषणभावस्य व्यत्यासो दृश्यत इत्यर्थः। नियमस्य स्वीकारे तु नीलं घटम् इत्यस्य वाक्यस्यापि कर्मत्वापत्तिः। न्यायेन तु भावप्रधानतिङन्तार्थविहितस्य सत्त्वप्रधानार्थबोधकत्वरूपो विपर्ययः दृश्यते। तथा सति कटं भीष्मम् इत्यादौ भाष्यापत्तिः।

❖ **चरीकर्त्ति वरीभर्त्ति सञ्जरीहर्त्ति इति यङ्लुग्विचारः-** यङोऽचि[3] इति सूत्रेण प्रारभते युङ्लुक्प्रक्रिया। सूत्रेऽस्मिन् **बहुलं छन्दसि** [4]इति छन्दसि इति अनुवर्तते। तेन यङ्लुक्प्रक्रिया छन्दस्येव इति हेतोः कथं चरीकर्त्ति इत्यादयः मङ्गलश्लोके व्यवहृताः इति पृच्छा। अर्थात् यङ्लुकः छन्दोमात्रविषयत्वात् भाषायां न साधुः इति शङ्का।

हुश्नुवोः सार्वधातुके[5] इति सूत्रे हुश्नुग्रहणं भाषयामपि यङ्लुक्प्रयुज्यते इत्यत्र ज्ञापकम्। हुधातोः श्नुप्रत्ययान्तस्य चानेकाचोऽङ्गस्य च संयोगपूर्वोवर्णस्य यण् स्यादजादौ सार्वधातुके प्रत्यये परे इति तदर्थः। जुह्वति शृण्वति इति उदाहरणे। हु दानादनयोः इति जुहोत्यादिगणीयः धातुः। श्नुः इति स्वादिगणीयः विकरणप्रत्ययः। सार्वधातुके प्रत्यये परे हुश्नुः इत्येतेभ्यः भिन्नः न ह्यन्यदस्ति उवर्णान्तः यस्य प्रकृतसूत्रेण यण् भवति। अतः सूत्रे अन्यस्याभावात् हुश्न्वोः ग्रहणमनर्थक्यम्। अर्थात् सार्वधातुके इति सूत्रस्वरूं भवत्वित्याशयः। हुश्नुः इति व्यर्थं सत् भाषायामपि यङ्लुग् भवतीति ज्ञापयति।

---

1 अष्टाध्यायी– 1-3-1

2 तमित्यध्याहारेण वाक्यस्य भिन्नत्वेनादोषात्। शब्दकौस्तुभः, प्रभाव्याख्या,पृ-2

3 अष्टाध्यायी– 2-4-74

4 अष्टाध्यायी– 2-4-73

5 अष्टाध्यायी– 6-4-87

युवं योयुवतीनां वृषभम् रोरुवतीनाम् इत्यादौ यथा छन्दसि योयु इत्यत्र, रोरु इत्यादिकं यथा यङ्लुगन्तमनेकाजसंयोगपूर्वमुवर्णान्तं विद्यते। एतेषां व्यावर्त्त्यर्थं हुश्नुग्रहणमिति प्रयोजनात् तज्ज्ञापकत्वं मास्तु।

छन्दस्युभयथा[6] इति सूत्रेण छन्दसि विषये सार्वधातुकमार्धधातुकञ्च उभयथा भवति। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयः इत्यत्र वर्धन्तु इत्यस्य आर्धधातुकत्वाण्णिलोपः। विशृण्विरे इति सार्वधातुकत्वात् श्नुः शृभावश्च। तथानेन सूत्रेण शतृप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वस्वीकारेण सार्वधातुकत्वाभावात् सूत्रस्याप्रवृत्तेः न भवति हुश्नोः प्रयोजनमिदम्। अतः पदमिदं व्यर्थं भवति। भाषायामपि यङ्लुक् प्रयुज्यते इति ज्ञापनान्तरं लोके योयुवती इत्यादौ यङ्लुगन्ते छन्दस्युभयथा इति सूत्रस्य छन्दरहितत्वात् अप्रवृत्तौ सार्वधातुके शतृप्रत्यये परे यणादेशं बाधितुं हुश्नुः इति स्वांशे चरितार्थो भवति। अस्य ज्ञापकस्य फलं तु भाषायां बेभिदीति चेच्छिदीति इत्यादयः यङ्लुगन्तास्साधवाः।

भाष्यकारेण बेभिदीति चेच्छिदीतीत्येतत्सिद्धं भवति भाषायामपि इत्यत्र इत्येतत्सिद्धं भवति भाषायामपि इति पदेन द्वयोरेव भाषायां प्रयोगः नान्ये भाषायां साधवः इति सूच्यते। विषयेऽस्मिन् नागेशमहोदयः- “छन्दस्युभयथा[7] इत्यनेनार्द्धधातुकत्वात्सिद्धम् इत्युक्त्वा एवन्तर्हि सिद्धे सति यद्धश्नुग्रहणं करोति चज्ज्ञापयत्याचार्यो भाषायामपि यङ्लुग्भवति। एवं विधप्रयोगद्वयस्यैवोपादानान्न सर्वत्र भाषायाम्भवतीति कल्प्यते। प्रयोगद्वयस्योदाहरमुलक्षणमिति प्राञ्चः। ”

भाष्यस्य “किमेतस्य प्रयजनम्” इति प्रश्नस्य बीजं भवति लोके उवर्णान्तयङ्लुगन्तप्रयोगदर्शमेव। नागेशस्तु उद्योते छन्दसि बहुलम् इति बहुलग्रहणानुवृत्या यथाप्रयोगं लोकेऽपि प्रयुज्यते यङ्लुग् इत्यकथयत्।

द्वितीयप्रमाणम्-

यङन्तात् परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्येड् वा स्यात् इत्यर्थके यङो वा इति सूत्रवृत्तौ यङ्लुग्विचारः वर्तते तन्मया अधः आलोच्यते।

कृषेश्छन्दसि इति सूत्रात् छन्दसि इति अनुवर्तनात् दाधर्तिदर्धतिदधर्षिबोभूतु-तेतिक्तेऽलर्ष्यापनीफणत्संसनिष्यत्कारिक्रत्कनिक्रदद्भरिभद्द्विध्वतोदविद्युतत्तरित्रतःसरीसृपतंवरीवृजन्मर्मज्यागनीगन्तीति च इति सूत्रेण दाधर्त्यादयः छन्दसि एव निपात्यन्ते। तथा च बोभूतु तेतेक्ति इत्यदौ भूधातोः तिज्धातोश्च यङ्लुगन्ते गुणाभावः निपातितः। स्वाभवतः भूसुवोस्तिङि इत्यनेन गुणनिषेधे सिद्धे पुनः यङ्लुगन्तस्य छन्दसि गुणाभावदर्शनहेतोः निपातनं “यङ्लुकि भूसुवोस्तिङि इति गुणनिषेधश्चेत्तर्हि छन्दस्येव”इति नियमं ज्ञापयति। प्रोक्तञ्च दीक्षितेन- “भुसुवोस्तिङि[8] इति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न बोभूतु तेतिक्ते इति छन्दसि निपातनात्”। तथा च नियमशरीरस्थ-एव इत्यस्य अवधारणार्थकत्वात् भाषायाम् न इति अवबुध्यते। तथा भाषायामपि यङ्लुक्प्रयुज्यते इति धीः।

भूधातोः यङ्प्रत्यये तस्य लुकि द्वित्वे जश्त्वे अभ्यासगुणे बोभु इत्यव्यवहिते परे तिङभावात् अप्रापकोऽयं “भूसुवोस्तिङि”[9] विधिः द्वित्वादनन्तरम्प्रकृतिभिन्नाद्। प्रकृतसूत्रेण भूधातोरेव गुणो विधीयते। द्वित्वे तु बोभू इति भिन्नैव प्रकृतिः। अतः दाधर्तिदर्धतिदधर्षिबोभूतुतेतिक्ते—इत्यदिसूत्रे बोभूतु इति निपात्यते। तथा सति “यङ्लुकि भूसुवोस्तिङि इति गुणनिषेधश्चेत्तर्हि छन्दस्येव”इति नियमप्रयोजनं किमिति शङ्का न कर्तव्या। प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया भूधातोरिव बोभू इत्यपि विधौ समाना प्रकृतिरिव आचरति। यङ्लुग् अपि प्रकृतिवद् गृह्यते इत्यत्र भाष्यप्रमाणं- “द्विःप्रयोगे द्विर्वचनं षाष्ठम्”। अस्य व्याखानां बालवोधिन्यां- “षष्ठाध्यायादौ एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यत्र किमिदं द्विर्वचनम्-

---

[6] अष्टाध्यायी- 3-4-117

[7] अष्टाध्यायी- 3-4-117

[8] अष्टाध्यायी- 7-3-88

[9] अष्टाध्यायी-7-3-88

एकाचः प्रथमस्य एकस्य स्थाने द्वितयात्मक आदेशः स्थान्यपेक्षया अन्यो विधीयते, उत स्थानिन एकस्य सतो द्विरुच्चारणं विधीयते, नतु तत्सथानिनः अतिरिच्यते इति संशय्य द्विःप्रयोगे द्विर्वचनमिति सिद्धान्तितम्"। ततश्च भू इत्यस्यैव बोभू इत्यस्यापि द्विः प्रयुज्यमानतया "भूसुवोस्तिङि"[10] इति सूत्रेण सार्वधातुके परे गुणः निषिद्ध्यते। तेन नियमशरीरावश्यकतायाः सिद्ध्यति भाषायामपि यङ्लुग् भवतीति।

उपसंहारः- अनेनैव प्रकारेण मया मे धीया सारल्येन अस्य मङ्गलश्लोकस्थाः अध्याहृतः तम् इति पदार्थविचारः, चरीकर्त्ति वरीभर्त्ति सञ्जरीहर्त्ति इति यङ्लुग्विचारः इति च व्याख्याताः।

परिशीलनीयग्रन्थसूची

1. अष्टाध्यायी, ज्ञानभारती पाब्लिकेशन्, दिल्ली, 2009
2. महाभाष्यं प्रदीपोद्योतसहितं छायाटिकोपेतञ्च, चौखाम्वा संस्कृतप्रतिष्ठान, वाराणसी
3. महाभाष्यम्, पतञ्जलिः, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 2008
4. वाक्यपदीयम्(ब्रह्मकाण्डम्), भर्तृहरिः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2006
5. व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः,सत्यप्रकाशदुवे, राजस्थानपत्रिका
6. व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिमर्मप्रकाशः, डा.पङ्कजकुमारव्यासः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्या-पीठम्, तिरुपतिः 517507
7. शब्दकौस्तुभः, आचार्यः श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः, 517507
8. संस्कृतव्याकरणशास्त्रैतिहासविमर्शः, अशोकचन्द्रगौरशास्त्री,भारतीय विद्यासंस्थान, वाराणसी,1997

[10] अष्टाध्यायी- 7-3-88

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

An Introduction of E-Governance Trends

Dr. Omendra Singh
Chaudhary Charan Singh University, Meerut, India

Artic Info
Volume 5, Issue 3
Page Number : 121-126

Publication Issue :
May-June-2022

Article History
Accepted : 01 May 2022
Published : 10 May 2022

Abstract : E-Governance is the application of information and communication technology (ICT) for providing government services, exchange of information, transactions, integration of previously existing services and information portals.Hence e-Governance is basically a move towards SMART governance implying: simple, moral, accountable, responsive and transparent governance.The “e” in e-Governance stands for ‘electronic’. E-Governance originated in India during the 1970s with a focus on in-house government applications in the areas of defence, economic monitoring, planning and deployment of ICT to manage data intensive functions related to elections, census, tax administration etc.Development of any country can be judge by the scope of E – Governance in that country. E – Governance can eradicate poverty, reduces inequality and safety basic human needs. In India literacy level below poverty line and people are not even aware about the benefits of E – Governance.E-governance involves new styles of leadership, ways of debating and deciding policy and investment, ways of accessing education, ways of listening to citizens, and ways of organising and delivering information and service. E-governance is a conceptually wider connotation than e-Government though most of the times they are used assynonym only. E-Government is the modernization of processes & function of Government using the tools of ICT so as to transform the way it serves its constituents. E-governance on the other hand goes beyond the service delivery aspects and is seen as a decisional process. It is about the use of ICTs in the system of governance i.e. using ICT to involve multi-stockholders in decision making and in making governments more open & accountable.

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pillars of e-Governance-

- People
- Process
- Technology
- Resources

Keywords: E-governance, E-government, ICT, Information and Communication technology

What is SMART Governance?

- **S**imple — implies simplification of rules and regulations of the government and avoiding complex processes with the application of ICTs and therefore, providing a user-friendly government.
- **M**oral — meaning the emergence of a new system in the administrative and political machinery with technology interventions to improve the efficiency of various government agencies.
- **A**ccountable — develop effective information management systems and other performance measurement mechanisms to ensure the accountability of public service functionaries.
- **R**esponsive — Speed up processes by streamlining them, hence making the system more responsive.
- **T**ransparent — providing information in the public domain like websites or various portals hence making functions and processes of the government transparent.

Types of Interaction in e-Governance: There are 4 kinds of interactions in e-governance, namely:

1. G2C (Government to Citizens) — Interaction between the government and the citizens.
   - This enables citizens to benefit from the efficient delivery of a large range of public services.
   - Expands the accessibility and availability of government services and also improves the quality of services
   - The primary aim is to make the government citizen-friendly.

G2B (Government to Business):

- It enables the business community to interact with the government by using e-governance tools.
- The objective is to cut red-tapism which will save time and reduce operational costs. This will also create a more transparent business environment when dealing with the government.
- The G2B initiatives help in services such as licensing, procurement, permits and revenue collection.

G2G (Government to Government)

- Enables seamless interaction between various government entities.
- This kind of interaction can be between various departments and agencies within government or between two governments like the union and state governments or between state governments.
- The primary aim is to increase efficiency, performance and output.

G2E (Government to Employees)

- This kind of interaction is between the government and its employees.
- ICT tools help in making these interactions fast and efficient and thus increases the satisfaction levels of employees.

Advantages of e-Governance:

- Improves delivery and efficiency of government services
- Improved government interactions with business and industry
- Citizen empowerment through access to information
- More efficient government managementLess corruption in the administration
- Increased transparency in administration
- Greater convenience to citizens and businesses
- Cost reductions and revenue growth
- Increased legitimacy of government
- Flattens organisational structure (less hierarchic)
- Reduces paperwork and red-tapism in the administrative process which results in better planning and coordination between different levels of government
- Improved relations between the public authorities and civil society
- Re-structuring of administrative processes

Significance of e-Governance:

- **Post COVID era**: The government stressed the need for right and optimum use of e-governance initiatives especially in the post COVID era.
    - It has provided flexible timings and helped people especially employees during COVID pandemic.
- **Ease of life:** The purpose of e- governance is to bring ease of life for common citizens.
- **One nation-one portal**: Over grievances and redressed, the linking of the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System with that of the states is almost done realizing Prime Minister's vision for one nation-one portal.
- **Simplification**: To support and simplify governance for government, citizens, and businesses.
- **Transparent and accountable**: To make government administration more transparent and accountable while addressing the society's needs and expectations through efficient public services and effective interaction between the people, businesses, and government.
- **Corruption**: To reduce corruption in the government.
- **Speedy delivery**: To ensure speedy administration of services and information.
- **To reduce difficulties**: for business, provide immediate information and enable digital communication by e-business.

Issues/ Challenges of e-Governance:

- **Lack of computer literacy**: India is still a developing country and a vast majority of the citizens lack computer literacy which hinders the effectiveness of e-governance.
- **Lack of accessibility:** to the internet or even computers in some parts of the country is a disadvantage to e-governance.
- **E-Governance results in a loss of human interaction**: As the system becomes more mechanized, lesser interaction takes place among people.
- **Risk**: It gives rise to the risk of personal data theft and leakage.
- **E-Governance leads to a lax administration**: The service provider can easily provide excuses for not providing the service on technical grounds such as "server is down" or "internet is not working", etc.

Various initiatives by the Government towards E-governance:

- **Aadhaar** is a unique identification number issued by UIDAI that serves as proof of identity and address on the basis of biometric data. It is being used to provide many benefits to the members of the society. One can e-sign documents using Aadhar.
- **MyGov.in** is a national citizen engagement platform where people can share ideas and be involved with matters of policy and governance.
- **UMANG** is a Unified Mobile Application which provides access to central and state government services including Aadhar, Digital Locker, PAN, Employee Provident Fund services, etc.
- **Digital Locker** helps citizens digitally store important documents like mark sheets, PAN, Aadhar, and degree certificates. This reduces the need for physical documents and facilitates easy sharing of documents.
- **PayGov** facilitates online payments to all public and private banks.
- **Mobile Seva** aims at providing government services through mobile phones and tablets. The m-App store has over 200 live applications which can be used to access various government services.
- **Computerisation of Land Records** ensures that landowners get digital and updated copies of documents relating to their property.
- **DigiSevak** platform connects interested citizens with the government to volunteer for various Digital India activities by Ministries and agencies of government.
- **Online Registration System (ORS)** is an online portal where citizens having Aadhaar can enrol for appointments in hospitals across various States and Union Territories of India.
- **IndiaStack** is a set of APIs that allows governments, businesses, startups and developers to utilize a unique digital Infrastructure to solve India's hard problems towards presence-less, paperless, and cashless service delivery.
- **PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation)** is aimed at starting a culture of Pro-Active Governance and Timely Implementation. It is also a robust system for bringing e-transparency and e-accountability with real-time presence and exchange among the key stakeholders.

The National e-Governance Plan (NeGP):

- The National e-Governance Plan (NeGP), provides a holistic view of e-Governance initiatives across the country.
- Around this idea, a massive countrywide infrastructure reaching down to the remotest of villages is evolving, and large-scale digitization of records is taking place to enable easy, reliable access to the internet.
- The Government has proposed to implement "e-Kranti: National e-Governance Plan (NeGP) 2.0" under the Digital India programme.

e-Kranti – Electronic Delivery of Services:

- e-Kranti is an essential pillar of the Digital India initiative.
- Considering the critical need for e-Governance, mobile governance and good governance in the country, the approach and key components of e-Kranti have been approved by the government.
- The e-Kranti framework addresses the electronic delivery of services through a portfolio of mission mode projects that cut across several government departments.

National Conference on e-Governance:

- The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) along with the Department of Information Technology, in association with one of the state governments, has been organising the National Conference on e-Governance every year.
- This Conference provides a platform to the senior officers of the Government including IT Secretaries of state governments to discuss, exchange views and experiences relating to various e-governance initiatives.
- Every year, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances recognises and promotes excellence in e-Governance by awarding government organisations/institutions which have implemented e-Governance initiatives in an exemplary manner.

Conclusion : E-Governance is getting momentum in India, but public awareness and the digital divide are important issues to be addressed.The success of e-Governance measures largely depends on the availability of high-speed internet, and the nation-wide roll-out of 5G technology in the near future will strengthen our resolve.E- Governance with open source is very popular in west countries but in India it is still an emerging technology. NIC is providing the network backbone and a wide range of ICT (Information and Communication Technologies) services to government organizations throughout India. Several drafts have also been passed by IT department to implement E-Governance with these technologies so that working, efficiency, transparency and security can be increased in E-Governance.

References:

1. Al-Hossienie, C.A. and Barua, S.K. (2013) 'Applications of e-governance towards the establishment of digital Bangladesh: prospects and challenges', Journal of E-Governance, Vol. 36, No. 3, pp.152–162.
2. Beaumont, S.J. (2017) 'Information and communication technologies in state affairs: challenges of E-governance', International Journal of Scientific Research in Computer Science and Engineering, Vol. 5, No. 1, pp.24–26.
3. Coe, A., Paquet, G. and Roy, J. (2001) 'E-governance and smart communities: a social learning challenge', Social Science Computer Review, Vol. 19, No. 1, pp.80–93.
4. Ebbers, W.E., Pieterson, W.J. and Noordman, H.N. (2008) 'Electronic government: rethinking channel management strategies', Government Information Quarterly, Vol. 25, No. 2, pp.181–201.
5. Ghosh Roy, S. and Upadhyay, P. (2017) 'Does e-readiness of citizens ensure better adoption of government's digital initiatives? A case based study', Journal of Enterprise Information Management, Vol. 30, No. 1, pp.65–81.
6. http://www.egovernancesolutions.com

ज्ञानशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com